खण्ड-208, अंक-4
गुरूवार, 3 पौष, शक संवत् 1881
(24 दिसम्बर, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९५९ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६३

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्राबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, -श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह, नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद, कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दहियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धिसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनवी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
बीरसेन, श्री
बीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रंगोला श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९५९ ई०

तारांकित प्रश्न

कम्बल शिक्षण केन्द्र, गोरखपुर को अनुदान

*१--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर स्थित राजकीय कम्बल शिक्षण केन्द्र को १ जनवरी, १९५७ से १ जुलाई, १९५९ तक कितना धन दिया गया है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--ट्रेनिंग सेन्टरों के लिये अलग धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती। औसत रूप से गोरखपुर स्थित कम्बल केन्द्र के लिये १ जनवरी, १९५७ से १ जुलाई, १९५९ तक २२,६७० रु० दिया गया।

*२--**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५८ से १ जुलाई, १९५९ तक राजकीय कम्बल शिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में कितने व्यक्तियों ने ट्रेनिंग ली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उक्त अवधि में १६ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की तथा इस समय ११ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

*३--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर), **श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी), **श्री राम सुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़), **श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर), **श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)--[परिवहन मंत्री की प्रार्थना पर ३१-१२-५९ के लिये स्थगित किया गया।

हिमालय पर चढ़ने वाले पर्यटकों के सम्बन्ध में जानकारी

*४--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५८ तथा ३१ जुलाई, १९५९ तक राज्य में कितने पर्यटक हिमालय की विभिन्न चोटियों पर पहुंचने का प्रयत्न करने आये ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)--वर्ष १९५८ में ५ तथा ३१ जुलाई, १९५९, तक २९ पर्यटक राज्य में हिमालय की चोटी पर पहुंचने का प्रयत्न करने आय ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर मास में पंचचूली और चौखम्भा की चोटी पर चढ़ने का किस-किस पर्यटक टीम ने प्रयत्न किया और किस-किस चोटी पर कितने फीट तक वह चढ़ सका ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीय सरकार इन माउंटेनियर्स के लिये कोई व्यवस्था नहीं करती और न उसके पास कोई रिकर्ड है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट कुछ काम सभी टूरिस्टों का करता है, उसके रिकर्ड्स भी हैं, परन्तु प्रान्तीय सरकार में माउंटेनियर्स as such, पर्वतारोहियों के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने इन पर्यटकों पर क्या व्यय किया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मैंने जैसा अभी अर्ज किया, प्रान्तीय सरकार माउंटेनियर्स के लिये कोई व्यय नहीं करती और न कोई और ही प्रबन्ध करती है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन पर्यटकों में से कितने की मृत्यु हुई ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि प्रान्तीय सरकार माउंटेनियर्स के लिये कोई व्यवस्था नहीं करती और न यहां उनका कोई रिकर्ड ही रहता है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन पर्यटकों में कोई भारतीय भी था ? यदि था, तो कौन था और कहां तक सफलता प्राप्त की ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा ही है कि उनके पास कोई रिकर्ड नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या २४ अक्तूबर को उत्तर प्रदेश का जो आखिरी हिस्सा तिब्बत से मिला है, ग्राम 'माना', वहां से पंचचूली और चौखम्भा को पार करने की कोशिश लोगों ने की ? और क्या उसकी खबर उत्तर प्रदेशीय सरकार को अब मिली है जब कि सीमा विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--मैं अभी बतला चुका हूं कि यह पर्यटक जिनके बारे में पूछा गया था, जो उनका रिकर्ड हमारे पास था उसका उत्तर दे दिया गया कि १९५८ के वर्ष में तथा ३१ जुलाई, १९५९, तक इतने-इतने पर्यटक आये। अब ५४ में कितने आये या ५६ में कितने आये, इस सबका हमारे पास रिकर्ड नहीं है और इस सम्बन्ध में सवाल भी नहीं था।

विभूतीनारायण ग्लास फैक्टरी, रामनगर, के मजदूरों को वेतन न मिलना

*५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इधर करीब ६ महीने से विभूतीनारायण ग्लास फैक्टरी, रामनगर, वाराणसी के मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---जी हां। कथित फैक्टरी के कर्मकारों का वेतन फरवरी, १९५९ से देना बाकी है। फैक्ट्री में काम पर उपस्थित कर्मकारों को लगभग दो माह का और वेतन दिया जा चुका है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैक्टरी से अभी तक वेतन न देने का क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---फैक्टरी की बन्दी और उसकी आर्थिक खराबी।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो काम पर हैं उनको २ माह का वेतन दिया गया तो कितने मजदूर इस वक्त काम पर हैं और कितने हटा दिये गये हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१६६ काम करने वाले मजदूर थे। १ दिसम्बर, १९५७ से प्ले आफ कर दिया गया था। इन मजदूरों में से ५ की मृत्यु हो गयी। इनके अतिरिक्त न प्ले आफ होने वाले मजदूर थे जो १ दिसम्बर, १९५७, से चले आते थे। ऐसे ११९ मजदूर १५ दिसम्बर, १९५९, को काम न करने के बावजूद भी हाजिरी पर रहे। इस वक्त प्ले आफ है। स्केलेटन स्टाफ है और वह सिर्फ इसलिये रखे गये हैं जिससे फैक्टरी में लिखापढ़ी व देखरेख का काम चलता रहे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि फैक्टरी की बन्दी क्यों हुई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, इस सम्बन्ध में काफी छान-बीन सरकार ने स्वयं भी की और जिन निर्णयों पर वह आयी है उन निर्णयों को आज कहने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। यह बात जरूर है कि फैक्टरी के आर्थिक ढांचे में और उसके उत्पादन में कोई समन्वय नहीं बन सका था।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि सरकार ने उस फैक्टरी को खुलाने के लिये कुछ ऋण भी दिया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

श्री राजनारायण---कितना और कब से, और उसके भुगतान की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---किस तारीख में ऋण दिया गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन लगभग ९ लाख के करीब ऋण दिया गया था और उसको वसूल करने का ऐसा इन्तजाम कर रहे हैं कि जो हमारा कर्जदार है, वह जिन्दा होकर खड़ा हो जाय और हमको हमारा पैसा दे दे।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, कि जो ११९ मजदूर १५ दिसम्बर तक रहे, उनको पूरी तन्खवाह क्यों नहीं दी गई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने जैसा कहा, वहां के मालिक और मजदूर दोनों उस फैक्टरी की स्थिति से वाकिफ हैं और वे देख रहे हैं कि मालिक का प्रयास है कि फैक्टरी खड़ी हो जाय इसलिये वह अपने वेतन के न मिलने के बावजूद भी फैक्टरी के खड़े होने के दिन का इन्तजार कर रहे हैं। मजदूरों ने वेतन के मापक रूप में ज्यादा दबाव भी नहीं डाला और मालिक ने भी यथाशक्ति अब तक कुछ न कुछ वेतन दिया है। साथ ही पिछला वेतन पूरा करने की भी उनकी बड़ी इच्छा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतायेगी कि उसने इस बात का पता लगाया कि फक्टरी की आज की माली हालत को देखते हुये सरकार का जो कर्जा है वह वसूल हो जायगा या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा-सा निवेदन कर दूं। सरकार को पूरा भरोसा है कि कर्जा वसूल हो जायगा। इसमें भारत सरकार को भी दिलचस्पी है कि यह कारखाना बहुत जल्दी चलने लगे क्योंकि हमारे यहां जो कई प्रकार के उद्योग खुलने वाले हैं उनमें शीशे के कंटेनर्स की बहुत जरूरत है और इस मिल की जो मशीन है वैसी शायद भारत में दूसरी जगह कहीं नहीं है। लेकिन किसी कारण से यह फैक्टरी बन्द है। इसलिये भारत सरकार और प्रादेशिक सरकार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि वह मिल फिर से चले, और उसका प्रबन्ध काफी समय तक सरकार के हाथ में रहेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो छान-बीन इस फैक्टरी के सम्बन्ध में की है और अब जिस नतीजे पर पहुंची है उसको देखते हुए और मशीन की उपयोगिता को देखते हुये क्या सरकार विचार कर रही है कि और लागत लगाकर वह फैक्टरी फिर से चलाई जाय और जो मजदूर हटे हैं उनको फिर से काम पर लगाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने निवेदन किया कि इसका बहुत जल्द प्रबन्ध होने वाला है कि सरकार के प्रबन्ध में बहुत दिन तक फैक्टरी रखी जाय और हमारा बकाया, मजदूरों का बकाया और ऋण दे दिया जाय और फैक्टरी अच्छी तरह से चले।

श्री राजनारायण---आज तक उस फैक्टरी का मालिक कौन है ? और क्या उस फैक्ट्री को उनसे लेने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है या वह स्वतः देना चाहते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---फैक्ट्री के मालिक हैं महाराजा साहब, बनारस। जहांतक मैं समझता हूं कि शायद कोई शेयर होल्डर्स हों लेकिन ज्यादातर उन्हीं का है। अब तक न तो उसको लेने का सवाल है और न देने का क्योंकि लेने में कम्पेंसेशन देना होगा। उसका प्रबन्ध ही गवर्नमेंट के हाथ में आने वाला है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उसका प्रबन्ध लेने का प्रश्न है वह उनकी तरफ से आफर हुआ है या सरकार उनकी किसी बदइंतजामी के कारण अपने हाथ में लेना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर माननीय सदस्य को "बदइन्तजामी" शब्द बड़ा सुन्दर लगता हो तो दूसरी बात है, नहीं तो मैंने यह कहा था कि उसका प्रबन्ध अच्छा नहीं है लेकिन वह इसके लिये उर्दू शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार को भी दिलचस्पी है, ऐसा मैंने कहा था लेकिन हमारी और फैक्टरी की बातचीत में किसका खत पहले आया और किसका बाद में, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि मजदूरों का वेतन बकाया है, तो ऐसे बकाये की कुल कितनी धनराशि है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अनुमानतः ५३ हजार रुपये।

कुछ जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों का हाकिम तहसील की जगह काम करना

*६---**श्री राजेन्द्रसिंह**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रांत में कितने जूडिशियल मैजिस्ट्रेट हाकिम तहसील के स्थान पर कार्य कर रहे हैं और किस योजना के अनुसार ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे पांच जुडीशल अफसर हैं। इनमें से दो चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, और शेष प्रशासकीय कारणों से।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एस० अधिकारियों के होते हुए जुडिशल अफसरों को हाकिम तहसील बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कभी-कभी प्रशासकीय कारणों से ऐसा होता है। बाज जिलों में नये डिप्टी कलेक्टर होते हैं जो कनफर्म्ड नहीं होते हैं। उनको सब-डिवीजन का चार्ज देना उचित नहीं समझा गया।

गवर्नमेंट पोलीटेकनिक, लखनऊ, में भर्ती में कमी

*७—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ सेशन में लखनऊ पोलीटेक्निक कालेज में प्रत्येक ट्रेड में कितने अभ्यर्थी लिये गये एवं प्रत्येक ट्रेड में कितने स्थान नियत हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गवर्नमेंट पोलीटेक्निक, लखनऊ, के १९५९ सेशन में पालीटेक्निक स्कीम तथा रिलीफ आफ अनइम्पलायमेंट स्कीम (Relief of Unemployment Scheme) के अन्तर्गत प्रत्येक ट्रेड में भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की तथा प्रत्येक ट्रेड में नियत स्थान की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि पोलीटेक्निक स्कीम के अन्तर्गत जितनी भी संख्या औसत स्थानों की मुकर्रर है, १२०, उसके मुकाबिले में विद्यार्थी कुल १०६ हैं और ठीक इसी प्रकार से रिलीफ एम्प्लायमेंट स्कीम में २५३ के मुकाबिले ९६, इतने कम विद्यार्थी क्यों लिये जा सके?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारी ओर से विद्यार्थियों को हर साल सूचना होती है कि आवें। जिन कोर्सेज में लड़के ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनमें तो अधिक लड़के आगये हैं लेकिन कुछ में पूरी तादाद में लड़के नहीं आ रहे हैं। जिनमें लड़के कम आ रहे हैं उन्हें बन्द करना भी जनहित में नहीं होगा। आप भी इससे सहमत होंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस बात को देखते हुए कि लड़के आधे से भी कम, तिहाई, आ रहे हैं, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस स्कीम के चलाने में, सिलेबस आदि में, कुछ दिक्कत है या उसके चुनाव के तरीके में कोई गड़बड़ी है, और सरकार इसकी जांच करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमें बराबर चिन्ता रहती है कि अधिक से अधिक लड़के आवें। यदि कोई माननीय सदस्य हमें न आने के कारणों को जानने में मदद देगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—सरकार के पास अधिक लड़के बुलाने का क्या माध्यम है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लड़कों को बुलाने के लिये सूचना का प्रसार जितने हमारे अखबार हैं उनके द्वारा होता है। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज स्कूलों और कालेजों को भी लिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि २५ रुपया महीना वजीफा भी हम देते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इसमें प्रदेश भर के लड़के आना चाहते हैं लेकिन उनकी माली हालत ठीक न होने से २५ रुपये को बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सभी क्षेत्रों के लड़के ऐसी शिक्षा पा सकें, इसके लिये सरकार के सामने हर क्षेत्र में पोलीटेक्निक खोलने का विचार है और हम उसमें आगे भी बढ़ गये हैं लेकिन छात्रवृत्ति बढ़ाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या कम लड़के आने का यह कारण नहीं है कि उनके चुनाव में प्रिफरेंन्शल ट्रीटमेंट होता है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसा समझना सत्य से परे होगा।

लघु उद्योगों के विकासार्थ कानपुर जनपद को सहायता

*८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में सन् १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में बड़े व छोटे उद्योग की वृद्धि के लिये राज्य सरकार से कितने धन की सहायता की गई तथा कितने कर्ज दिये गये?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—विभागीय विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास हेतु कानपुर जनपद में सन् १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ में २८, १९, ५३७·५० रु० ऋण, १,७३,५६२.७८ रु० अनुदान, २०,८४४ रु० आर्थिक सहायता (Subsidy) तथा ७,३३,९१०.७६ रु० छूट (Rebate) के रूप में दिया गया।

उपरोक्त समय में कानपुर में बड़े उद्योग हेतु कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५६-५७ में २८,१९,५७३ रुपया जो था वह सारा बंट गया था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ के ये आंकड़े हैं। इतना मैं निश्चय कह सकता हूं कि १९५६-५७ और १९५७-५८ का कोई रुपया बाकी नहीं रहा। १९५८-५९ के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—काटेज इंडस्ट्री को जो १०,००० रुपया देने की बात है उसमें क्या यह सही नहीं है कि बड़े उद्योग वाले भी यह रुपया लेने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्नोत्तर से सम्बन्धित रुपये में कई प्रकार का रुपया है। कुछ तो हैंडलूम का है, कुछ काटेज इंडस्ट्रीज का है जैसे तेलघानी, कागज, साबुन वगैरह। कुछ सहकारी समितियों का है और कुछ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का है। तेलघानी, साबुन वगैरह हस्तकला का रुपया जो ग्राम उद्योग से सम्बन्ध रखता है वह किसी और यूनिट को नहीं दिया जा सकता। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की परिभाषा में वे ही उद्योग आते हैं या वे सबयूनिट्स आते हैं जिनका कैपिटल आउटले ७ १/२ लाख रुपया तक का हो और जो बिजली या बिना बिजली के भी काम करते हों।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—कानपुर जनपद को जो यह धनराशि दी गई है उसे देने में क्या सरकार की नीति छोटे और बड़े उद्योगों में तरजीह देने की है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो हैंडलूम के सैक्टर को गया है। बड़े और छोटे उद्योग की कोई परिभाषा उद्योग में नहीं हुई है। सिर्फ एक ही परिभाषा हुई है, ग्राम उद्योग।

दूसरे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की परिभाषा में साढ़े सात लाख रुपया कैपिटल आउटले वाले सब लोग आते जाते हैं, उसमें बड़े आदमी भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। बड़े छोटे की छांट बिना परिमाण के करना मुश्किल है। प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर में दो ही आते हैं—एक तो ग्रामोद्योग और दूसरे साढ़े सात लाख कैपिटल आउटले वाली तक की इकाइयां।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने इस बात की भी जांच कराई है कि जिन उद्योगों को ऋण या अनुदान दिया गया है उनकी प्रगति क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, लेकिन जो विभागीय जांच हुई थी उसको हमने पर्याप्त न समझकर हर कमिश्नरी में एक पर्यवेक्षण समिति बैठायी है जिसके टर्म्स आफ रेफेरेन्स यह भी हैं कि जो पैसा छोटे और गृह उद्योगों को दिया गया है उनकी प्रगति क्या है। जब सब समितियों की रिपोर्ट आ जायेगी तब निश्चित रूप से मालूम हो सकेगा कि सूबे के किस हिस्से में धन का सबसे अधिक सदुपयोग हो सका है।

*९—श्री मोतीलाल अवस्थी—[परिवहन मंत्री की प्रार्थना पर ३१-१२-५९ के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले में घरेलू उद्योग धंधों के लिये सहायता

*१०—श्री टीकाराम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में घरेलू उद्योग धंधों को उन्नति के लिये साल १९५८-५९ में कितना रुपया दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१,१७,८४३ रुपया।

हरदोई, मैनपुरी तथा एटा जिलों के पुराने राजपत्रित पदाधिकारियों के स्थानान्तरण की प्रार्थना

*११—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई, मैनपुरी, एटा में कितने राजपत्रित (गजटेड) पदाधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल ६-३ हरदोई में, एक मैनपुरी में तथा २ एटा में।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जो यह बतायेंगे कि इनको कितने-कितने वर्ष हो गये और अब तक उनको न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें अधिक से अधिक मियाद जो किसी की हुई है वह ४ साल है, और ४ साल भी अभी पूरे नहीं हुये। कुछ को ३ साल अक्तूबर, नवम्बर में हो हुये हैं और उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। ४ साल से ज्यादा एक शिक्षा विभाग के आफ़िसर को हो गये हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग गर्मियों में ट्रांसफ़र करता है इसलिये उनका ट्रांसफ़र गर्मियों में किया जायगा। एक सज्जन समाज कल्याण के हैं। उनका काम बहुत अच्छा है इसलिये समाज कल्याण विभाग ने थोड़े दिन और काम करने के लिये लिखा है। वे मुहल्ला कल्याण समितियों की स्थापना में संलग्न हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जो यह बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम बना हुआ है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अवधि से अधिक रोक लिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी चीजों के नियम नहीं बना करते। किसी विशेष अवस्था में किसी का काम विशेष अच्छा हो तो उनको थोड़े दिन और वहां रहने का मौका दे दिया जाता है।

*१२—श्री मदन पांडेय—[परिवहन मंत्री की प्रार्थना पर ३१-१२-५९ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में उद्योग विभाग द्वारा अनुदान तथा ऋण

*१३—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक जौनपुर जिले में उद्योग विभाग द्वारा किस-किस उद्योग के लिये कितना-कितना रुपया अनुदान और ऋण के रूप में अलग-अलग दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आवश्यक सूचना से सबंधित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५७ पर)

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग, चर्म उद्योग, और तेल उद्योगों में जो सहायता और अनुदान दिया गया है वह किस काम के लिये दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन उद्योगों को फैलाने के लिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर में ऐसे कौन से ग्रामोद्योग हैं जिनके लिये पर्याप्त कच्चा माल है और जिनको आगे और प्रगति देने की आवश्यकता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ग्रामोद्योग से बने हुये कागज, तेल, साबुन, खांडसारी और राब इन सब के लिये पर्याप्त मात्रा में साधन मौजद हैं। इसके अतिरिक्त लोहे पर आधारित छोटे-छोटे उद्योगों के लिये भी पर्याप्त मात्रा में साधन मौजूद हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को जौनपुर जिले से ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि जिन लोगों को उद्योगों के लिये ऋण दिया गया है, उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, जौनपुर जिला बार-बार इस भवन में आया जरूर ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में किस उद्योग को सबसे अधिक रकम दी गयी और किस उद्योग को कम से कम रकम दी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तेल उद्योग को सबसे ज्यादा ३४,०९३ रु० दिया गया और सबसे कम रुपया दिया गया ताड़ गुड़ के लिये, २०० रुपया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जो रुपया तेल उद्योग के लिये दिया गया है उसका कुल योग कितना है ? और क्या सरकार पिछली शिकायतों को ध्यान में रखते हुये उद्योग सलाहकार समितियों के द्वारा आगे रुपया दिया जाय, इसका आदेश देगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह जो रुपया बांटा गया उसकी सूचना मैंने सदन को दी। यह तो जिला उद्योग समिति रुपया बांटती है और खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड यह रुपया देता है । उत्तर प्रदेश सरकार के केवल अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से रुपया बांटने की बात तो है ही नहीं ।

हिन्दी में प्रकाशित होने वाली सरकारी पत्रिकायें

*१४—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा हिन्दी में कौन-कौन पत्र प्रकाशित होते हैं ? उनकी वार्षिक आय-व्यय क्या है ? वह कितने छपते और कितने बिकते हैं और उनका अधिक प्रसार करने की क्या व्यवस्था है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १४ श्री प्रताप सिंह ने पूछा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के नाम, उनका वार्षिक आय-व्यय, मुद्रण एवं विक्रय की प्रतियों की संख्या तथा उनके अधिक प्रसार करने की व्यवस्था आदि के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५८-३६१ पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितनी पत्रिका दैनिक हैं और कितनी साप्ताहिक हैं ?

श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दैनिक एक भी नहीं और साप्ताहिक २ हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-सी पत्रिकायें सरकार की ओर से निकाली जायेंगी, इस का निर्धारण कौन करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रायः वही विभाग करता है जिस विभाग की ओर से वह पत्रिका निकाली जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलायेगी कि जितनी भी पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं उन के वार्षिक व्यय का योग क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---४-५ मिनट का समय मिले तो जोड़कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री झारखंडे राय---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो साप्ताहिक और मासिक पत्रिकायें निकलती हैं उन के नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक साप्ताहिक पत्रिका तो उद्योग विभाग, कानपुर से निकलती है, जिसका नाम है "साप्ताहिक समाचार-पत्र" और एक निकलती है लखनऊ से, जिसका नाम है "ग्राम्या"।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जो पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं वे ज्यादातर लोगों को मुफ्त दी जाती हैं और उन से कोई आय नहीं होती या होती है तो वह नहीं के बराबर होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ ऐसी हैं जो बिलकुल मुफ्त दी जाती हैं और उन से आय का कोई खयाल भी नहीं होता, मसलन साक्षरता के सम्बन्ध में "नव जाग्रति" निकलती है, इसी तरह से "श्रमजीवी" भी मुफ्त है और ऐसे ही कुछ और हैं कि जिन से कोई मुनाफ़ा नहीं होता।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "श्रमजीवी" मुफ्त बटता है लेकिन मजदूरों से उसका मूल्य लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सम्भव है, अगर माननीय सदस्य को ऐसा मालूम है तो, मैं उन की बात नहीं काट सकता, मेरा खयाल था कि मुफ्त दिया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सरकारी पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या समाचार पत्रों और ग्रामसभाओं को मुफ्त देने की सरकार की कोई नीति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ तो जरूर दी जाती हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स विभाग की। वह तो जरूर दी जाती हैं समाचारपत्रों को और मेरा ऐसा ख्याल है कि श्रम और उद्योग विभाग वाली भी दी जाती हैं और यदि नहीं दी जाती हैं तो इस सुझाव पर मैं गौर करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं कोई ऐसी जांच करेंगे इन हिन्दी प्रकाशनों के सम्बन्ध में कि कौन निरर्थक हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से किन्हें बन्द किया जा सकता है और कौन आवश्यक हैं ? इनका पुनर्गठन करके कोई सूची तैयार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि सभी आवश्यक हैं। फिर भी जो माननीय सदस्य ने कहा, इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्रों के वार्षिक आय-व्यय में यदि डेफिसिट रहता है तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह हानि किस रूप में पूरी की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जनता को जो ज्ञान की वृद्धि होती है उसी के रूप में पूरी होती है।

ग्रामोद्योग के लिये राज्य सरकार को प्राप्त धन का वितरण

*१५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--दिनांक ३०-७-५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २-३ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३०,३४,७१५ रु० की धनराशि का उपयोग जिन संस्थाओं को ऋण और अनुदान देकर किया गया है उनके नाम और प्रत्येक को दी गयी धनराशि क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वांछित† सूचना संलग्न है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--गुड़ और खंडसारी उद्योग की उन्नति के लिये उत्तर के क्रम-संख्या २ में जिन ६ खांडसारी समितियों की सहायता के लिये ऋण और अनुदान दिया गया है, उनमें ऋण से अनुदान अधिक दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस उद्योग के लिये सरकार का प्रेम।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--इसी उत्तर में २५ अन्य समितियों को ऋण दिया गया है, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उनमें से किसी को अनुदान क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उनकी जरूरत ऐसी नहीं थी कि उन्हें यह अनुदान भी दिया जाय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--बांटे हुए ऋण और अनुदानों का पूरा-पूरा उपयोग हो सके और इससे प्रदेश की क्या प्रगति हुई है उसका अवलोकन करने हेतु इस सदन के माननीय सदस्यों की समिति बनाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों की सहायता, जो हमने डिवीजनल सर्वे कमेटी बनायी है, उसमें ले रहे हैं और उसमें कई माननीय सदस्य इस सदन के मौजूद हैं, अलग-अलग डिवीजन और कमिश्नरियों से रिपोर्ट हमारे पास आयेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि "यूपीका" को धन-वितरण के लिये उक्त संस्था के परामर्श के बिना ही दे दिया गया था और उसने वितरण की जिम्मेदारी लेने से क्यों इन्कार कर दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--"यूपीका" एक कामर्शियल कोआपरेटिव सोसाइटी है, चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसने रुपया बांटना चाहा लेकिन लोगों को सस्ते ढंग से रुपया लेने की आदत पड़ी हुई थी। लेकिन "यूपीका" इस तरह रुपया देने को तैयार नहीं हुआ।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

उसने कहा कि हम व्यापारियों की तरह से रुपया देंगे और गारण्टी लेंगे। सरकार तो बिना गारण्टी के भी रुपया दे सकती है और छोटे उद्योगों के नाम पर कुछ हानि भी बरदाश्त कर सकती है, लेकिन "यूपीका" में न इतनी शक्ति थी न उसके वश की बात थी कि वह इस तरह से बिना गारण्टी के रुपया दे। इस वजह से "यूपीका" के द्वारा रुपया नहीं बंट पाया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह इन उद्योगों में से किस उद्योग से विशेष रूप से प्रेम पीड़ित है ?

(इसका उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय ताराचन्द जी माहेश्वरी की जिस समिति के बारे में मांग है उसको बनाने में सरकार की क्या दिक्कत है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उसकी आवश्यकता ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९", की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन*

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। इस संबध में फिर मैं सरकार का ध्यान उसी बात पर आकर्षित करना चाहता हूं जो पिछली बार मैंने इस सदन के समक्ष रखी थी कि बहुत सी नियमावली अक्सर भ्रमात्मक और अशुद्ध होती हैं और उनको समझने के लिये हमें अंग्रेजी में जो नियमावली तैयार होती हैं उनका आश्रय लेना पड़ता है। उसका कारण यह है कि सरकार द्वारा हिन्दी में मुद्रित और हिन्दी में प्रकाशित न किसी अधिनियम पर अधिक ध्यान दिया जाता है और न नियमों पर, और यही कारण है कि उनमें अशुद्धियां रह जाती हैं। अभी परसों इसी सदन में उत्तर प्रदेश (गन्ना पर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश पेश किया गया। उसमें एक वाक्य था कि विद्युत चालित कोल्हू या बैल का (जिसे ऐसी राब बनाने वाली इकाई परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिदिन २५० मन गन्ने के रस का उपयोग किया जा सकता है या जिसे ७ या ७ से अधिक बैलों द्वारा चलाये जाने वाले कोल्हू रस .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तो परसों की बात है। वह आपकी रिपोर्ट का तो अंग है नहीं।

श्री मदन मोहन—श्रीमन्, मैं सिर्फ यह दिखलाना चाहता हूं कि प्रायः अंग्रेजी में बने हुए नियमों, ज्ञापनों तथा अधिनियमों को केवल अनुवाद करके सदन के समक्ष रख दिया जाता है और उस हिन्दी वाले अनुवाद पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि अनुवाद से एक भ्रम पैदा हो जाता है। मेरा निवेदन केवल यह है कि इससे जो भ्रम

---

*छापा नहीं गया।

[श्री मदन मोहन]

पैदा होता है उससे इसी सदन के अन्दर प्रश्न, उत्तर और प्रत्युत्तर होने लगता है। वह केवल इस कारण से होता है कि 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' के रूप में अनुवाद करके सदन के सामने रख दिया जाता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी, जिसके संबंध में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश उसका पालना है, वहां पर हिन्दी पर अधिक ध्यान देना चाहिये और दिया जाय, यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति ने कहा है उसी के सिलसिले में कहना है कि अपने प्रदेश में हिन्दी को प्रमुखता होते हुए भी, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बारबार कहे जाने पर भी विभागीय सेक्रेटरी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और दिन पर दिन हालत गिरती जा रही है। जितनी भी नियमावली आती हैं वे अंग्रेजी से हिन्दी में आती हैं . . . .।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, अध्यक्ष, प्रतिनिहित विधायन समिति ने जो अभी निवेदन किया उस पर हम सबको विचार करना चाहिये। मेरे विचार से तो यह भी आवश्यक है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की सिफारिशों पर जो सरकार ने कार्यवाही की है, कौन-कौन से नियमों और उपनियमों को, जिनके संशोधन करने का सुझाव विधायन समिति ने दिया है, उनमें से किन-किन सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया है, इसका एक मेमोरेंडम भी सरकार को सदन के सामने रखना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि चूंकि यह सदन की बड़ी महत्वपूर्ण समिति है जिसका कार्य निरीक्षण करना है तो उसका मेमोरेंडम अवश्य सरकार को रखना चाहिये ताकि हमें मालूम हो सके कि सदन की समिति की किन-किन सिफारिशों को सरकार ने माना है और किनको क्यों नहीं माना है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस संबंध में वे अपने विचार व्यक्त करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, कौन-सी मानी है और कौन सी सिफारिश नहीं मानी है, यह समय उसको बताने का नहीं है। लेकिन प्रतिवेदन उपस्थित करते समय यदि सभापति उस संबंध में ध्यान आकृष्ट करें तो नियमानुसार संबंधित मंत्री को यह अधिकार है कि उस वक्त या किसी दूसरे रोज उसका उत्तर दें। तो जो सभापति ने हिन्दी के संबंध में थोड़ी सी टीका की कि हिन्दी का अनुवाद ठीक नहीं होता है, अगर उनको दिक्कत है तो इस संबंध में संबंधित मंत्री अगर कोई उत्तर देना चाहें तो दें क्योंकि नियम में दिया हुआ है कि:---

२१७(२) "प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाला सदस्य यदि कोई अभियुक्ति करे तो अपने आप को तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगा या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेगा किन्तु उस कथन पर कोई वादविवाद नहीं होगा।"

और इसी के बाद दिया हुआ है---

"(३) संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए, संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।"

तो मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं या किसी दूसरे रोज कहेंगे?

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यापक बात थी कि हिन्दी के अनुवाद अच्छे नहीं होते, यह हम सब के लिये दुख की बात है और हम कोशिश करेंगे कि अनुवाद जहां ठीक न होते हों वह ठीक किये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का तृतीय प्रतिवेदन**

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

***श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह ३ फरवरी, १९५८ से ५ अप्रैल, १९५८ तक के आश्वासन जो सदन में दिये गये उनसे संबंधित हैं। मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि इस प्रतिवेदन में आप देखेंगे १२६ आश्वासन ऐसे हैं जो साल भर बीत जाने पर भी बहुत अधूरे हैं या अपूर्ण हैं और उन पर पूरी कार्यवाही नहीं हुई और २१ आश्वासन ऐसे हैं कि हमारे कार्यालय से बराबर स्मरण पत्र भेजने पर भी जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों ने इतना भी कष्ट गवारा नहीं किया कि उनकी स्वीकृति भेज देते या उस पर कोई कार्यवाही करते।

श्रीमन्, इस में एक तालिका दी हुई है जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि सिंचाई, शिक्षा, राजस्व, चिकित्सा और उद्योग विभाग काफी उदासीन रहे हैं। सदन जानता है कि इसका बड़ा अधिकार है कि जो आश्वासन दिये जायं उनकी पूर्ति हो और उस पर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिये। सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रिगण यहां उपस्थित हैं। हमारे विभाग का जो कार्य है उसके सुचारु रूप से संचालन के लिये वे सहायता करेंगे और जो सदन का एक अधिकार है कि आश्वासन की पूर्ति हो उसकी ओर ध्यान दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—प्रतिवेदन की प्रति हमको मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नोटिस आफिस में मैं समझता हूं कि रखी हुई है। आप वहां से ले सकते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी कुछ नहीं कह सकेंगे। कोई बात मुख्य मंत्री की तरफ से आये तो आप कहिये।

श्री गेंदासिंह—इस प्रकार उनको दो दफा कष्ट करना पड़ेगा। अगर आप उनको दो दफा कष्ट देने से बचाना चहते हैं तो पहले मैं कह लूं।

श्री अध्यक्ष—एक आध मिनट में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—अभी सभापति, आश्वासन समिति ने जो एतराज किया उसका इलाज मैं चाहता हूं कि आप ढूंढ कर निकाल दें। इलाज यह नहीं कि अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाय .....

श्री अध्यक्ष—इसमें अविश्वास के प्रस्ताव का सवाल नहीं है।

श्री गेंदासिंह—मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दूसरा इलाज है अविश्वास के प्रस्ताव के परे, जिससे हम लोग सरकार को समझा सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष---वह सरकार खुद ही समझ लेगी।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं। ऐसा हुआ है तो विचार जरूर होगा। जब अध्यक्ष जी कहते हैं कि कई-कई आश्वासन दिये गये और पूरे नहीं हुए या अधूरे तौर से पूरे किये गये और इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोगों ने जवाब तक नहीं दिया। बगैर रिपोर्ट देखे हुए ही मैं पहले से ही सदन से माफी मांगता हूं और बाकी तो रिपोर्ट देखने के बाद ही कह सकता हूं कि क्या कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मेरा वैधानिक प्रश्न है। अगर सदन में कुछ आश्वासन देती है सरकार तो उसकी वैधानिकता की परिधि क्या है, क्या सदन ?मंत्री महोदय जिन्होंने आश्वासन दिया है, उनको पकड़ सकता है किसी स्तर पर ?

श्री अध्यक्ष---वैधानिकता तो स्पष्ट ही है। यहां जवाब दिया जाय तो जिम्मेदारी के साथ दिया जाय और जो आश्वासन दिया जाय उसकी पूर्ति हो और इसीलिये आश्वासन समिति इस सदन की समिति बनाई गयी है और जिम्मेदार आदमियों का इतना कह देना कि यह गलती हुई जिसके लिये खेद है, बहुत जबर्दस्त, मैं समझता हूं, उन पर चेक है।

गेंदा सिंह जी ने जो प्रश्न किया था उसके लिये कोई हल होना चाहिये। सभ्य समाज में जो हल हो सकता है उसको आप यहां देख सकते हैं कि कैसे अपने आप हल हो जाता है और मैं समझता हूं कि इसके लिये इस बात की सराहना करना चाहिये कि जो चीज ठीक न हुई हो उसको स्वीकृत लोग कर लेते हैं। हरएक सदस्य जिस पर जिम्मेदारी है वह अपने आपको जिम्मेदार समझता है और मैं समझता हूं कि यह उदाहरण हम सभी लोग कायम करें तो अधिक अच्छा वातावरण हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा, उसके संबंध में जो बातें आपने कही हैं, उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं और मैं बिना किसी संकोच के इस बात के लिये प्रशंसा करता हूं, लेकिन आपके द्वारा एक बात जानना चाहता हूं कि वह इस प्रतिवेदन को देख कर के इस संबंध में जो जांच करेंगे और जो कार्यवाही करेंगे उसकी सूचना सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं देना तो चाहिये, औचित्य तो उसका है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आपने स्वयं अभी फरमाया कि 'उसका औचित्य है', तो जो बात उचित है वह हम जरूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा जो निवेदन था उसको आपने दूसरे रूप में कर दिया। हम स्पष्ट कर दें कि माननीय मंत्री जी ने खेद प्रकाशित किया, इसके लिये हम उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। इससे लोगों को आदर्श लेना चाहिये और वे लेंगे, मगर हमारा प्रश्न यह था कि माननीय मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी किसी स्तर पर खेद प्रकाशित करें या न करें, कर देंगे अच्छा है और न करेंगे बुरा है, मगर यह सदन क्या वैधानिक अधिकार रखता है उन आश्वासनों के बारे में जो सदन को दिये गये और पूरे नहीं हुए, हम यह जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि यह आशा की जाती है कि अपने-अपने कर्त्तव्यों को हर एक करेगा और जो नहीं करता है, सदन की मर्जी के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो सदन को पूर्ण अधिकार है कि जो चाहे सो उसके लिये कार्यवाही करे। तो उसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता थोड़े ही है !

१९५६–५७ के विनियोग लेखे तथा १९५८ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, भाग २ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन*

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)––अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति १९५६–५७ क विनियोग लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८, भाग२, पर लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

१९५४–५५ के विनियोग लेखे तथा १९५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा ११ से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की अग्रेतर रिपोर्ट†

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)––अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति, १९५४–५५ के विनियोग लेखे और १९५६ की लेखा परीक्षा (आडिट रिपोर्ट) पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के पैरा ११ से संबंधित अग्रेतर रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष––नम्बर ६ पर जो रिपोर्ट का जिक्र है उसकी मुद्रित प्रतियां नहीं आयीं, इसलिये वे मेज पर नहीं रखी गयी हैं। जब मुद्रण हो जायगा तो सदस्यों को बांट दी जायंगी।

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५९

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं गवर्नमेंट ग्रांट्स उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––यह तो एजेंडा में है नहीं। इसको आज मुल्तवी किया जाय। न हम लोग इसके बारे में समझ पाये हैं, न जान पाये हैं।

श्री अध्यक्ष––ठीक है, यह बांटा जायगा, उसके बाद लिया जायगा।

श्री राजनारायण––हम जाने बिना अनुमति कैसे दे दें ?

श्री अध्यक्ष––जब सब लोगों को इसकी प्रतियां मिल जायंगी उस समय इसको लिया जायगा।

शिक्षा मंत्री के भाषण में कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष––कल माननीय राजनारायण जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया था। मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं विचार करके, उनके पास जो

---

*छापा नहीं गया।

†छापी नहीं गयी।

[श्री अध्यक्ष]

कागजात हों उनके देखने के बाद जो कुछ यहां पर भाषण शिक्षा मंत्री जी ने दौराने बहस में दिया था, उसको भी पढ़ने के बाद, निश्चय करूंगा। आज राजनारायण जी मेरे पास आये थे और मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि मैंने आपके सब कागजात देखे तो कोई बात प्रागदर्शन में ऐसी मालूम नहीं होती कि जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता हो। इसका कारण यह है कि कोई माननीय सदस्य यहां पर भाषण देता है, जब वह जान बूझकर जो उसको मालूमात होती हैं उनके विपरीत वह लोगों को गलत इत्तिला देता है तब कहीं जाकर उसके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है। जब वह जान-बूझकर गलत बात कहे तभी विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है। उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें पहले ही कह दिया था कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्यों बन्द हुई? यह वाइस चांसलर का अधिकार था और उन्होंने जो कुछ किया वह अपने अधिकार में किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसी परिस्थिति में वाइस चांसलर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी को बन्द किया। उनके पास जो सूचना आई थी उसके आधार पर उन्होंने सूचना सदन को दे दी और उन्होंने यह भी कहा था कि कार्यवाही के बारे में मतभेद हो सकता है, दो रायें हो सकती हैं और बार बार यह भी उन्होंने घटनायें बताते हुए पूछा कि क्या अमुक घटना सत्य नहीं है? इस तरह से उन्होंने सब बातें कहीं हैं। अगर कोई सदस्य उनको असत्य समझते थे तो वह उस समय उनको टोक सकते थे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, वह सब ही असत्य कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष---वह ठीक है। उसी समय आप यह बात कहते तो समझ में आता। यहां पर उसका कंट्राडिक्शन तक नहीं किया गया। खैर, असत्य भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने वही सूचना दी जो उनको मिली। यदि कोई सदस्य गलत सूचना अपनी सूचना के आधार पर सदन में दे दें और इस बुनियाद पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठ जाय तो कोई भी माननीय सदस्य अपने बोलने के स्वातंत्र्य को कायम नहीं रख सकता है। इस तरह से हर एक माननीय सदस्य के लिये कहा जा सकता है, अगर वह अपनी कांस्टीटुएंसी की कोई सूचना यहां देता है और वह गलत हो और यदि उसके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ जाय तो उसके बोलने का स्वातंत्र्य नष्ट हो जायगा। इसलिये मैंने श्री राजनारायण जी को स्पष्ट बता दिया कि ऐसी अवस्था में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता नहीं है और मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

गाजीपुर जिला जेल में ३ क्रान्तिकारी समाजवादी बंदियों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी ने दिया है। वह इस प्रकार है कि:---

"गत १०५ दिनों से तीन क्रांतिकारी समाजवादी बन्दी, सर्वश्री रामसागर, रामदीन और सुखराम, गाजीपुर जिला जेल में, राजनीतिक बंदियों की सुविधा की मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी दशा चिन्तनीय हो गयी है। वजन बहुत गिर गया है। इसके कारण गाजीपुर में असंतोष है। दिलदार नगर, नन्दगंज और सैदपुर कस्बों में हड़ताल भी हो चुकी है। सरकार उपेक्षा की नीति अपनाये है, इस पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह भूख हड़ताल आज की नहीं हो सकती है, कई दिनों के पूर्व प्रारम्भ हुई थी। अगर यह बात महत्व की विचारणीय थी तो २१ तारीख को जितने कामरोको प्रस्ताव थे उनमें इस विषय को उठाना था पर उनमें यह विषय उस दिन नहीं उठाया गया। माननीय सदस्य ने

जो यह प्रस्ताव दिया है उसकी अर्जेन्सी वह खुद नहीं समझते हैं। इसलिये इसकी अर्जेंसी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वे किसी व्यक्ति की भूख हड़ताल की बात कहते हैं कि उसकी दशा चिन्तनीय हो गयी है तो माननीय मंत्री जी को अगर कोई जानकारी हो तो वह दे दें, परन्तु मैं कामरोको प्रस्ताव के लिये इसे अस्वीकार करता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उनकी हालत, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब से वह लोग अनशन कर रहे है उनको फ़ोर्स्ड फ़ीडिंग हो रही है और वह फ़ोर्स्ड फ़ीडिंग असफल नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि ९९ दिन से फ़ोर्स्ड फ़ीडिंग हो रही है। शुरू में एक साहब का वजन था ८८ पाउन्ड, आज उनका वजन है ८२ पाउंड। इतने दिनों में कुल जमा ६ पाउंड वजन घटा है। यह इस बात का प्रमाण है कि फ़ोर्स्ड फ़ीडिंग बहुत कामयाब रही। दूसरे साहब की ९७ दिन से फ़ोर्स्ड फ़ीडिंग हो रही है। उनका वजन १०२ पौंड था और आज ८८ पाउंड है। तीसरे साहब की ६४ दिन से फ़ोर्स्ड फ़ीडिंग हो रही है। उनका वजन ११४ पाउंड था और आज १०० पाउंड है। तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन किसी की हालत ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा चिन्ताजनक हो।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—एक बात मैं जानना चाहता हूं कि उन तीन राजबन्दियों को जो प्रमुख मांग है या प्रार्थना है कि एक पोलिटिकल क्लास बनाया जाय या विशेष सुविधा दी जाय उसके बारे में सरकार ने कुछ किया या करना चाहती है? इस पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कोई प्रश्नोत्तर तो इस विषय में होगा नहीं। वह उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बाध्य नहीं करूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रमुख मांग क्या है, मैं नहीं जानता। उनकी मांगें हैं कि जहां जहां टेस्ट वर्क्स चलते हैं वहां वहां मजदूरी एक रुपया कर दी जाय। स्टीमर का रेट घटा कर २५ नये पैसे से ५ नये पैसे कर दिया जाय। जितने बेकार लोग हैं उनको काम दिया जाय। जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं सब को सुपीरियर क्लास दिया जाय। जितनी बैरिकें हैं सब रात दिन खुली रहें। जगदीश पाठक, जो पालिटिकल प्रिजनर हैं, उनको सुपीरियर क्लास दिया जाय। जगदीश पाठक को सुपीरियर क्लास मिल गया। यह भी हो गया कि गरमी में बाहर सोने का मौका भी दे दिया। लेकिन स्टीमर का रेट घटा देना, सब को काम दे दिया जाना चाहिये, इन में कौन सी प्रमुख मांग है, कौन वे-प्रमुख है, जिन्होंने इनको रखा है, उनके लिये सभी प्रमुख होंगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषय की सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत कई प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। लेकिन उनमें जो श्री राजनारायण जी ने भेजा है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उसको पढ़ देता हूं। मंत्री जी उसके ऊपर अगर आज वक्तव्य देने को तैयार हों तो आज, नहीं तो २८ तारीख को दे दें।

"गन्ना आन्दोलन में गिरफ़्तार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक, सर्वश्री रामसेवक यादव, सदस्य लोक सभा तथा भगवतीप्रसाद वर्मा व जंगबहादुर सिंह बाराबंकी में गिरफ़्तार किये गये। इनके ऊपर जो आरोप हैं वह धारा ३४१/१४७ के अन्दर हैं, यह जमानती दफ़ाएं हैं। इन की ओर से जब वह जेल से कचहरी लाये गये तो कचहरी में गत् १८ दिसम्बर को कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं थे। सभी मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के स्वागत में कहीं कोर्ट के बाहर थे। काफ़ी देर होने पर जब पुलिस अधिकारी उन लोगों को जेल पुनः ले जाने लगे कि आज जमानत नहीं होगी तो श्री रामसेवक यादव ने ऐतराज किया और बाद में काफ़ी विलम्ब से एक जुडीशल मैजिस्ट्रेट आए और उन्होंने जमानत मंजूर करके उसे अनावश्यक ढंग पर देर करने

[श्री अध्यक्ष]

के लिये, जमानत तसदीक कराने के लिये तथा पुलिस की रिपोर्ट आने तक के लिये उन लोगों को पुनः भेज दिया। ये तीनों उपर्युक्त सदस्य विधायक हैं, इनकी स्वतः की हैसियत है, साधारणतः ऐसे मामलों में जाती मुचलका पर ही छोड़ा जाता है। मगर मैजिस्ट्रेट महोदय ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सर्वश्री रामसेवक यादव, एम० पी० तथा जंगबहादुर सिंह व भगौती प्रसाद, एम० एल० ए० को उनके संसदीय कार्यों में भाग लेने से रोका है।

यह विषय गम्भीर तथा लोक महत्व का है। मैं दफा ५२ के अन्दर इस विषय का स्पष्टीकरण कराने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।"

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, इसकी तफ़सील से रिपोर्ट तो २८ को ही दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो फिर २८ को ही दीजिएगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि "इनकी ओर से जब वह जेल से कचहरी लाये गये तो कचहरी में गत १९ दिसम्बर को कोई मैजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं थे। सभी मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के स्वागत में कहीं कोर्ट के बाहर थे"।

तो मैं १९ को तो वहां गया ही नहीं .....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---वह १८ है।

श्री अध्यक्ष---(श्री कमलापति त्रिपाठी से) आप, ता० १८ की यह घटना थी, यह मान कर ही चलें। वह कहते हैं कि गलती से १९ लिख गया है। लेकिन (श्री राजनारायण से) इस गलती के लिये आपने खेद प्रकट नहीं किया।

श्री राजनारायण---मुझे खेद है कि टाइप की मिस्टेक से वह आपके पास १९ लिखकर चला गया। इसके लिये मुझे खेद है। लेकिन एक बात पर और मुझे खेद है जो कि माननीय कमलापति जी ने इस १८ और १९ को लेकर के जगलरी की। उनको वस्तुस्थिति पर आना चाहिये था। आप १८ को गये थे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसमें १९ लिखा था इसलिये मैंने कह दिया कि मैं १८ को गया था, १९ को नहीं।

खटीमा थाने के सब-इंस्पेक्टर द्वारा सरदार प्रीतमसिंह की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब माननीय गृहमंत्री उस बारे में बतायेंगे जो कि खटीमा में एक सब-इंस्पेक्टर या कौन हैं, वह जमानत पर हैं या नहीं ?

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि स्पेशल मेसेंजर से खबर आ रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है वह कलेक्टरेट के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से मिली है। टेलीफ़ोन पर मांगी गई थी और फ़िर आदमी से आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह जो जमानत मंजूर हुई, यह डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज, नैनीताल की अदालत से मंजूर हुई और जिस वक्त जमानत की दरख्वास्त पड़ी थी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट

*२३ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

गवर्नमेंन्ट कौंसिल, नैनीताल ने उस जमानत को मंजूर करने के खिलाफ़ पैरवी भी की कि मंजूर न की जाय। जमानत मंजूर करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज ने उस अभियुक्त को थाना खटीमा में रहने के लिये आर्डर पास किया। यानी उनके मूवमेंट को थाना खटीमा में रेस्ट्रिक्ट किया। और खबर यह है कि वह पुलिस सर्किल किछा में इस समय हैं।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी उस रोज पूछा गया था तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आरिजिनल तो मिली नहीं क्योंकि वह पीलीभीत के सुपरिंटेंडेंन्ट पुलिस के पास है, क्योंकि पीलीभीत के हास्पिटल में उनका शव भेजा गया था। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट ने एन्क्वायरी की उसमें उन्होंने पोस्ट मार्टम की जांच-पड़ताल की बात अपनी रिपोर्ट में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ३६ चोटें उनके शरीर पर थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सरदार प्रीतम सिंह की दाढ़ी भी जलाई गई थी और उन्होंने यह भी लिखा है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए--उसको रिप्रोड्यूस किया है--अपनी रिपोर्ट में--अंग्रेजी के शब्द हैं, बाद में मैं उनको हिन्दी में कर दूंगा--

"Death resulted from congestion of the brain as a result of hammerage and shock resulting multiple injuries from all over the body."

यानी यह मस्तिष्क में चोट लगने से और रक्त-प्रवाह हो जाने से और सारे शरीर पर जो बहुत-सी चोटें थीं उनके शाक से यह मृत्यु हुई है। यह पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट थी जिसका उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उद्धरण दिया है। यह केस १० नवम्बर, १९५९ को चालान हो चुका है और जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल की कोर्ट में यह पेंडिंग है और ३० दिसम्बर उसकी तारीख पड़ी हुई है।

श्री प्रताप सिंह--क्या यह सही है कि इसी केस के सिलसिले में एक और मैजिस्ट्रेट साहब की इन्क्वायरी भी हुई। तो क्या वह रिपोर्ट मंत्री जी के पास है और वह उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के ही मैंने कई उद्धरण पढ़कर सुनाये थे।

श्री प्रताप सिंह--केस होने के बाद जब रिमान्ड पार्टियों के ऊपर गया तो एक एस० डी० एम०, तराई-भाबर ने एक स्पेशल इन्क्वायरी की तो उनकी इन्क्वायरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष--क्या आपके पास वह रिपोर्ट है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जितनी बातें पूछी गयी हैं वह मैंने बता दीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--जो पूछा गया था उसका जवाब हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं सिर्फ़ यह जानना चाहता हूं कि उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर मुअत्तिल हैं और आज वह कह रहे हैं कि किछा थाने में वह काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--वह यह नहीं कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं समझा नहीं सका। सेशन जज ने उनको एक यह आज्ञा दी कि वह पुलिस स्टेशन, खटीमा से बाहर न जाने पायें। वहां वह हैं। वह उसी सर्किल में--किछा में रह रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जो प्रश्न उस दिन पूछा गया था उसी के सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री ने यह कहा कि यह बात सही पाई गई कि उसकी दाढ़ी जलाई गई, तो दाढ़ी का जलाना जो एक जुर्म है–रिलीजस फ़ीलिंग को हर्ट करना–उसके बारे में भी मुकदमा चलाया गया या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, ३०२ आई० पी० सी० में उनका चालान किया गया है। श्रीमन्, एक बात में और संशोधन करना चाहता हूं। उस रोज जवाब देते हुए जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार मैंने यह कहा था कि केस की छानबीन सी० आई० डी० को सौंप दी गयी है और वह जांच कर रही है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह जांच सी० आई० को सौंप दी गई, यानी सर्किल इन्सपेक्टर को।

श्री राजनारायण—मेरा प्रश्न यह था कि जमानत उनके केस में मंजूर हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया।

श्री राजनारायण—जो बड़े दारोगा हैं, जिनकी देखरेख में यह काम हुआ, उनके लिये क्या किया गया, इसका उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—उसका उत्तर यह था कि जिसके ऊपर कसूर पाया गया उसके खिलाफ़ कार्यवाही की गयी। जिसका कसूर नहीं पाया गया उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इनका कोई कसूर नहीं रहा होगा।

बिक्री-कर अधिनियम से सम्बन्धित नियमों को देर से मेज पर रखने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

कृषि उप-मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—श्रीमन्, आपका आदेश हुआ था कि बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बनाकर माननीय सदन की मेज पर रखे गये हैं उन नियमों को यहां पर सदन की मेज पर रखने में इतनी देर क्यों हुई। इसके लिये स्पष्टीकरण मांगा गया था। वास्तव में यह सही है कि बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत धारा २४ में यह अनिवार्य है कि जब कभी नियम बने तो उसकी उपधारा (१५) के अनुसार उनको शीघ्रातिशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाय और जो पांचवां शुद्धि-पत्र रखा गया कल सदन की मेज पर और दो विज्ञप्ति रखी गयीं नियमों के सम्बन्ध में, उनके रखने में भी देर हुई। इस में लगभग २, ३ वर्ष के बाद नियम सदन की मेज पर रखे गये जब कि अधिनियम की धारा के अनुसार उनको जल्दी रखना चाहिये था। मैं यह भी निवेदन करूं कि बिक्री-कर अधिनियम सन् १९४८ में बना और १९४८ के बने हुए अधिनियम को १२ वर्ष हो गये। तो इस बीच में यह पांचवा शुद्धि-पत्र आदरणीय सदन की मेज पर रखा गया। इसके पहले चौथा शुद्धि-पत्र रखा गया था वह सन् १९५५ में रखा गया यानी सन् ४८ से लेकर ५५ तक,८ वर्ष के समय में ४ शुद्धि-पत्र रखे गये। उसी प्रकार से कुछ देर से यह शुद्धि पत्र रखा गया जो कि जल्दी से रखना चाहिये था। उसका कारण यही रहा कि पिछली परम्परा यह रही है कि जितने भी नियम बनते रहे हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत उनका एक शुद्धिपत्र यहां रखा जाता रहा। माननीय सदस्यों ने यह पहला ही एतराज किया है। यद्यपि यह खयाल था कि जैसे शुद्धि-पत्र पूर्व में निकलते रहते थे तो उनसे सदस्यों को कोई एतराज नहीं था, वरन् उन से कोई अच्छा लाभ ही होता था और वे केवल शुद्धि-पत्र के रूप में माननीय सदन के सामने आते रहते थे। इसको शायद माननीय सदस्यों ने भी पसंद किया। दूसरे शुद्धिपत्र १,२,३ व ४ में यद्यपि उनमें एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक की विज्ञप्तियां थीं, लेकिन उन पर किसी भी माननीय सदस्य ने एतराज नहीं किया और इसलिये संभवतः यह धारणा बनी कि यह चीज माननीय सदस्यों को पसंद है। इसलिये पांचवां

शुद्धिपत्र जो रखा गया उसमें दो, तीन वर्षों के नियमों को लिया गया है। लेकिन चूंकि यह आपत्ति उठायी गयी है इसलिये संभवतः भविष्य में इसका ध्यान रखा जायगा और इस प्रकार की गलती नहीं होगी और अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि विज्ञप्तियां शीघ्रातिशीघ्र भवन के सामने आती रहें तो वे आती रहेंगी। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी 'संभवतः' न कहें। निश्चित बात हो वह कहें।

श्री कालीचरण अग्रवाल---इसका ध्यान रखा जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कल जब मैंने माननीय मंत्री जी से इन संशोधनों को इकट्ठा छापने के बारे में कहा था तो उन्होंने फरमाया था कि ऐसा संभव नहीं है, और वे सब बाजार में मिलते हैं। आज उप-मंत्री जी फरमा रहे हैं कि दो साल के नियम हम एक साथ छाप कर आपको दे रहे हैं और इसी में आसानी होती है, तो इसमें से कौन-सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष--- मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप दोनों में से कौन-सी चीज पसंद करेंगे ? आप यह चाहेंगे कि दो-दो, तीन-तीन साल में एक बार नियम छप कर आयें अथवा जैसे बनते जांय वैसे सदन में आते जांय ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---कल मंत्री जो डिफेंड कर रहे थे और आज उसका विरोध उपमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---यह डिफेंस नहीं है। उन्होंने अपने दफ्तर की गलतफहमी को बतलाया और उसके लिये उन्होंने कह दिया कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, जो विचार माननीय उपमंत्री जी ने प्रकट किये वह एक प्रकार से भावना के रूप में सही हो सकते हैं लेकिन नियम के विपरीत हैं। नियम यह है कि जैसे ही नियम पारित हो उसकी कापी १४ दिन के लिये सदन में रखी जाय और अगर दो, तीन साल के नियम इकट्ठा कर के छापे जांय तो यह तो नियम के विपरीत होगा।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये तो उन्होंने कह दिया कि ध्यान रखा जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मान्यवर, मैंने ही कल यह एतराज किया था और इस विषय में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि मंत्री जी ने यह फरमाया कि सदस्यों को यह बात पंसद है। यानी जितनी नेग्लीजेंस यह करें वह सब सदस्यों को पसंद है। दूसरी बात यह कि आपने इस बात का आदेश बार-बार इस सरकार को दिया है कि ऐसी नेग्लीजेंस न हो। चार, पांच मर्तबा यह आदेश आपके द्वारा दिया जा चुका है और फिर भी यह सरकार नेग्लीजेंस पर नेग्लीजेंस करती जाती है और उसके बाद बहाना यह करती है कि यह चीज सदस्यों को पसंद है.....

श्री अध्यक्ष---गलती कबूल करने में वह हिचक नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं उसके लिये उनका शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन जो एतराज मैंने कल किया था वह इसलिये किया था कि जब इस तरह की नेग्लीजेंस होती हैं तो देर हो जाती है और देर हो जाती है तो उस विषय पर जल्दी में विचार किया जाता है और जब जल्दी में विचार किया जाता है तो गलती हो जाती है और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रावायरस करार देते हैं और फिर उसे सदन में ला कर ठीक करने में सदन का समय और जनता का पैसा व्यर्थ ही नष्ट होता है .....

श्री अध्यक्ष---ठीक है, अब आप बैठें। अब आगे का कार्यक्रम चलेगा।

श्री उग्रसेन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कल आपने आदेश दिया था कि माननीय उग्रसेन जी के सम्बन्ध में जो जानकारी आयेगी वह आज देंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानकारी उपलब्ध हुई ?

श्री अध्यक्ष---कल माननीय गृह मंत्री जी नहीं थे। मैंने यह कहा था कि मुझे इस गिरफ्तारी की सूचना देने में देर क्यों हुई इस विषय में माननीय गृह मंत्री जी जांच कर लें। वे सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट से पूछ लें और इस बारे में उन्हें हिदायत करकें मुझे सूचना दे दें २८ तारीख को। क्या आप अभी सूचना देना चाहेंगे ?

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन्, मैं २८ तारीख को ही सूचना दे दूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, दो बातों की जानकारी होनी चाहिये। पहले तो तार आया है कि 'ही वाज अरेस्टेड ऐंड रिलीज्ड' (He was arrested and released) और दूसरे में आया है वह गिरफ्तार किये गये। मेरे पास तो यह इन्फर्मेशन आई थी कि ही वाज अरेस्टेड एन्ड सन्ट टू जेल (He was arrested and sent to jail)। तार में यह लिखा हुआ है .....

श्री अध्यक्ष---वह सब मैं उनके पास भेज दूंगा। आप कृपया बैठिये।

सदन के कार्य-क्रम की अनिश्चितता के सम्बन्ध में शिकायत

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, एक कठिनाई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम सब को मालूम है कि पूरे देश में, हमारे प्रान्त में तथा केन्द्र में, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, उसी की हुकूमत है। केन्द्र की पार्लियामेन्ट में यह होता है कि सदन का कार्य-क्रम सभी सदस्यों को काफी समय पूर्व मिल जाता है। उन लोगों को काफी दिन पूर्व ही यह पता रहता है कि आगामी सदन कब तक बैठेगा और कब समाप्त होगा। यहां पर तीन चार दिन पहले तक भी यह पता नहीं होता है कि सदन का निश्चित कार्य-क्रम क्या ह। मैं पिछले ८ साल से यह देखता चला आ रहा हूं और कई बार यह प्रश्न यहां उठाया भी गया है कि कार्यक्रम की जानकारी हमको पूर्व ही होना चाहिये जैसा कि केन्द्रीय पार्लियामेन्ट में होता है। वहां पर हर कार्य-क्रम की सूचना काफी समय पूर्व वितरित हो जाती है। हम लोगों को बहुत कम इस बात की जानकारी होती है कि कब सदन बैठेगा और कब उठेगा। बैठने के बाद भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि कब तक बैठेंगे, कब यह सदन उठेगा। बहुत कम मौकों पर केवल दो तीन दिन पहले मालूम हो पाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब से मुख्य मंत्री जी इस पद पर आसीन हुये हैं तब से इस सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु पिछले कुछ समय से यह व्यवस्था फिर गड़बड़ हो गयी है। आप स्वयं इस चीज से अवगत हैं, इस ओर आपका ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये हम चाहत हैं कि आप हमारी इन कठिनाइयों को दूर करने की कृपा करें। जब केन्द्रीय पार्लियामेंन्ट में उस तरीके से काम चल सकता है तो कोई वजह नहीं है कि यहां पर भी उसी तरह कार्य न हो।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह वक्त तो इस विषय के लिये है नहीं। इस पर चर्चा करना इस समय उचित नहीं है। जिस समय सदन को प्रोग्राम बताया जाता है उस समय इसकी चर्चा होनी चाहिये थी। अगर हर रोज इस विषय पर चर्चा होगी तो ठीक न होगा। लेकिन म इस सम्बन्ध में माननीय नेता सदन से बात करूंगा और इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा और २८ तारीख को जब हम बैठेंगे तो नेता सदन इस विषय में आपको सूचना दे देंगे। आपने बता दिया, यह ठीक है।

खटीमा थाने के सब-इंस्पेक्टर द्वारा सरदार प्रीतमसिंह की कथित हत्या के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मैं, श्रीमन्, कुछ सूचना और देना चाहता था .....

श्री अध्यक्ष---हां, आप सूचना जो देना चाहते थे, दे दीजिये ।

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---अभी मेरे पास यह सूचना आई है कि सेशंस जज ने अभियुक्त की जमानत मंजूर करते हुये यह हुक्म दिया था कि वह खटीमा पुलिस सर्किल में कभी न जायं । कहा यह गया था कि वह खटीमा सर्किल में रहते हैं । तो ऐसा नहीं है । वह इस समय किछा सर्किल में हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---किछा सर्किल खटीमा से कितनी दूर है, वह है तो उसके करीब ही ।

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९

खण्ड २ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार जारी रहेगा ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---श्रीमन्, इसके पहले कि विचार जारी हो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपने यह आज्ञा दी थी कि कन्टीन्युटी की दृष्टि से यह उचित होगा कि पहले जो बिल्स हैं वे पास हो जायं, उसके पश्चात् यह प्रस्ताव जो फ्रान्टियर वाले विषय पर है, उसको लिया जाय क्योंकि अगर कल उस प्रस्ताव को ले लिया जाता तो उसके बाद फिर यह बिल्स लेने पड़ते और फिर उसके बाद प्रस्ताव आता, तो डिसकन्टीन्युईटी हो जाती । तो इस दृष्टि से कि कन्टीन्युइटी न टूटने पावे, आपने जो सुझाव कल दिया था वह बहुत ही उत्तम था और हम लोगों को शिरोधार्य है । लेकिन मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि यदि आज यह बिल्स पास नहीं होते हैं तो शाम को फिर प्रस्ताव आ जायेगा, तिब्बत वाला, और फिर २८ तारीख को हमें बिल्स लेने पड़ेंगे और उनके पास होने के बाद ही फिर प्रस्ताव को लिया जा सकगा और इस तरह से कन्टीन्युइटी नहीं रह पायेगी । मेरा कहना यह है कि अगर किसी कारण से ५ बज तक बिल्स समाप्त न हो पायें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ५ बजे के बाद भी, जब तक यह बिल्स पास न हो जायं यह सदन बैठे और आज इन बिल्स को पास कर दिया जाय । फिर २८ तारीख को ही प्रस्ताव ल लिया जाय ताकि किसी किस्म की कन्टीन्युइटी में बाधा न पड़े ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इस सम्बन्ध में मैं जरा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सभी की बातों को सुन कर और सभी की दिक्कतों को समाधान करने के लिये व्यवस्था दी थी । मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी दिक्कत को तो दिक्कत समझते हैं और दूसरों की दिक्कत को नहीं समझ पा रहे हैं । मैं तो कह रहा हूं कि सदन इतना कम क्यों बैठाया जाता है, इसके पहले ही क्यों नहीं बैठाया गया । ये तमाम बातें उठ जाती हैं कि यह प्रयत्न बार-बार सरकार की ओर से होता है कि आवश्यक और महत्वपूर्ण लोक हित के विधेयक ला दिये जायं और किसी परिस्थिति में सदन को मजबूर करके कहा जाय कि आज इसको पास कर दो । अगर इसी को माननीय मुख्य मंत्री जी लोकतंत्र की मर्यादा समझते हैं कि यही आचरण उसकी सुरक्षा के लिये होता है तो उनके लिये मुबारक है मगर मैं निवेदन

---

† २३ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

करूंगा कि आपकी जो व्यवस्था हो गयी है उसमें कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं होगा। मान लीजिये, आज विधेयक चल रहा है और फिर आपने स्वतः कह दिया है कि आप जहां पुनरावृति देखेंगे या अड़ंगेबाजी देखेंगे वहां रोक देंगे और हमने भी अपने ऊपर सहर्ष यह प्रतिबन्ध लगाना चाहा है। तो वह तो अपनी जगह हो ही गया है मगर जब आज पांच बजे चीन वाला प्रस्ताव ले लेंगे तो वह चलता रहगा और २८ को भी चलता रहगा और जब वह खत्म हो जायगा तब उसक बाद जो विधेयक हैं वे ले लिये जायेंगे। फिर मुख्य मंत्री जी ने यह कैसे समझ लिया कि कन्टिन्युइटी में ब्रेक हो जायेगा? यह कहा जा सकता है कि विधेयक का क्रम टूट जायगा लेकिन उसके लिये इस सदन का इतिहास अवलोकन करें, तो विधेयक कई बार व्यतिक्रम में पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। उन्होंने सूचना दे दी है कि अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो वह प्रस्ताव करेंगे कि आज तब तक बैठा जाय जब तक कि वह विधेयक पास हो जायं। जब वह मौका आयगा तब देखा जायगा, अभी वह सवाल नहीं है। आप उसको जल्द समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं बहस तो नहीं कहना चाहता लेकिन एक जानकारी चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी कौन-कौन से विधेयक आज पास कराना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष---यह तो बताना ठीक है कि कौन-कौन से विधेयक लिये जायेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---फेरीज वाले के लिये खास चिन्ता नहीं है लेकिन आज तो शुगरकेन सेस की बात है, फिर कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट वाला है, हस्तिनापुर और अन्तरिम जिला परिषद् वाला विधेयक, ये पास करने ह।

श्री प्रतापसिंह---चार बिल।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मैं जानकारी के लिये जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रोग्राम बताया है और झारखंडे राय जी ने जो प्रश्न उठाया था उसको देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन २९ तक चलेगा या नहीं। २९ के बारे में अभी से पता चल जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब आज ही इसके लिये निश्चय करना सम्भव नहीं है और निश्चय तो मुझे ही करना होगा क्योंकि यह जो कार्य है वह तो पूरा करना ही पड़गा। इसलिये मैं समझता हूं कि आप जल्दी करने की कोशिश तो करें और जितनी जल्दी कार्य खत्म हो अच्छा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि चीन के मसले की गम्भीरता में या जल्दबाजी में कानपुर को न भूल जायं जहां सैकड़ों आदमी जेल में सड़ रहे हैं और गोलियों से बच्चे धायं-धायं उड़ाये गये हैं, उनका भी खयाल रखियेगा।

श्री अध्यक्ष---अब श्री राजनारायण जी अपना भाषण शुरू करें।

श्री राजनारायण---मुख्य मंत्री जी की ओर से जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है उसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था उसके सम्बन्ध में अब मैं एक वाक्य में निवेदन कर देना चाहता हूं। (डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जाने पर) माननीय मुख्य मंत्री जी चीन के बारे में कितने गम्भीर हैं, यह इसी से मालूम होता है कि वह चले जाना चाहते हैं और यह भी नहीं देखना चाहते हैं कि हम क्या प्रयत्न करते जा रहे हैं उसकी गम्भीरता को देखते हुये। मैं कोई भाषण आगे नहीं करना चाहता सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो शब्द 'फैक्टरी' रखा है वही रहने दिया जाय और जो इकाई बढ़ाने का संशोधन है वह वापस हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मैं इतना कह देना चाहता हूं कि कल यह तय हुआ था कि दो रोज यह विधेयक हों और फिर उसके बाद यह चीन से संबंधित प्रस्ताव शुरू हो । सभी पार्टियां उसके महत्व को समझती हैं और सब ने उस के ऊपर दस्तखत किये हैं, इसलिये मैं आप सब से आशा करता हूं कि जिस खंड पर बोला जाय उसमें बहस की पुनरावृत्ति न हो । ऐसा न हो कि एक ही बात पर दस-दस सदस्य बोलें । अगर सदस्य अलग-अलग अपने प्वाइन्ट्स रख दें तो मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कई विधेयक पारित हो सकते हैं ।

खंड ३

३--मूल अधिनियम की धारा २ में--

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा २ का संशोधन ।

(१) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ञ-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(ञ-१) 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो किसी सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो बैलों द्वारा चालित सात या अधिक कोल्हुओं की या यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो ।"

(२) खंड (ट) में जहां भी शब्द "फैक्टरी" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं तथा कोष्ठक और शब्द "occupier of factory" निकाल दिये जायं ।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित नये खंड (ञ-१) की पंक्ति ४ के शब्द "जो" तथा शब्द "यंत्र" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं ।

मेरे संशोधन को मान लेने के बाद उपखंड (१) इस प्रकार हो जायगा :

"गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो किसी सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो ।"

मान्यवर, यह संशोधन बड़े ही महत्व का है । मैंने इस संशोधन को इस लिये प्रस्तुत किया क्योंकि मैं यह मानता हूं कि सरकार को टैक्स लगाने के लिये भी किसी सिद्धांत का आश्रय लेना चाहिये लेकिन हर चीज पर टैक्स लगाया जाय, यह मेरी समझ में उचित नहीं है और खासकर इस देश में जिसकी पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था है और यहां केवल यह प्रश्न नहीं है कि कैसे हम उत्पादन में वृद्धि करें बल्कि उसके साथ ही साथ सबसे बड़े महत्व का प्रश्न यह है कि जिन लोगों के पास जीविका के साधन नहीं हैं उनको कैसे साधन दें । यदि हमने बैलों से चलने वाले कोल्हुओं पर भी टैक्स लगाया तो उसका परिणाम यह होगा कि एक बहुत बड़ी जन-संख्या जो आज खंडसारी के इन कारखानों में लगी हुई है, बेकार हो जायगी । मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कबूल किया था कि आज जो चीनी मिलें हैं उनमें केवल ३०प्रतिशत ही गन्ना पेरा जाता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायण राय]

७० प्रतिशत गन्ना इन धंधों में पेरा जाता है और फैक्टरियों के अनुपात में २३ गुना ज्यादा हम लोगों को इम्प्लायमेन्ट देते हैं। इसलिये अगर यह उद्योगधंधे बन्द हो गये, इन टैक्सों के लगने से तो इतने तमाम आदमी बेकार हो जायेंगे। इस बेकारी को जब मैं सोचता हूं तो मेरा पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं ऐसे गुनाह के काम की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूं और आपके द्वारा सरकार से आग्रह करूं कि कोई भी अर्थ व्यवस्था, जिसमें अनइम्प्लायमेंट ज्यादा बढ़े, किसी भी हालत में आगे नहीं जा सकती है। मान्यवर, टैक्स सरकार के अख्तियार की बात है। वह टैक्स लगाये, लेकिन टैक्स की जो हालत गन्ना उपजाने वाले लोगों में है उसके बारे में मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसे जिले मौजूद हैं जिन जिलों से सरकार को एक अच्छी खासी रकम गन्ने के टैक्स के रूप में मिलती है। सारे राज्य से साढ़े पांच करोड़ रुपया सरकार गन्ना उत्पादकों से वसूल करती है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह जिस उद्देश्य से लिया जाता है क्या उस पर खर्च भी किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता तो यह रोना जो सरकार आज रोती है कि हमारी मिलों को इतना गन्ना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिये, वह न रोना पड़ता। सरकार खुद बताये कि जिन क्षेत्रों में गन्ने की उपज होती है क्या उनमें वह पैसा रोड डेवलपमेन्ट या सिंचाई के साधनों में खर्च किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---आप तो आम बहस करने लगे। अपने प्वाइन्ट पर रहिये। टैक्स का खर्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो जनरल डिसकशन की बात थी।

श्री रामायणराय---मैं चाहता हूं कि ईकाई की जो इसमें डेफीनीशन दी गयी है उसको ही बदल दिया जाय। वे तमाम लोग, चाहे वे ७ बैलों से काम करते हों, चाहे मिल से काम करते हो, वह इसमें आने चाहियें। यह तो अंधे की लाठी हो जायगी। इस परिभाषा को मान लेने से सरकार जिस प्रोग्रेसिव ढंग को अपनाना चाहती है, वह नहीं रह पायेगा। और जब ऐसी बात उन लोगों की तरफ से आती है जो महात्मा गांधी के शिष्य कहलाते हैं, तो बहुत बुरी बात मालूम होती है। इसलिये और भी बुरी बात होगी क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी काफी योग्य व्यक्ति हैं। उनको इस बात का अवश्य ही पता होगा कि इन फैक्ट्रियों में कितना बड़ा कैपिटल लगता है और उस कैपिटल फार्मेशन में जो देश को बलिदान करना पड़ता है उससे लोगों का जीवन स्तर कितना गिर जाता है, इसको सभी लोग जानते हैं। इसलिये उस ओर मैं केवल संकेत ही कर रहा हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह परिभाषा बड़ी भयावह है। इसलिये उसमें जो यह संशोधन है उसको मंत्री जी मान लें, तो मैं समझता हूं कि इस राज्य का बड़ा कल्याण होगा और उन लोगों का भी कल्याण होगा जो इन इकाइयों द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर बेकारी की समस्या बड़ी विकराल रूप में मौजूद है, इसलिये हमें यह महसूस होता है कि जहां राज्य के सामने यह समस्या है कि उत्पादन को कैसे बढ़ायें वहां उसके सामने यह सवाल भी है कि एम्पलायमेंट किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को दें। इसीलिये इस संशोधन को स्वीकार करने का बार बार आग्रह कर रहा हूं। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की बात नहीं है। बहुत-सी ऐसी बातें आपकी तरफ से होती हैं जबकि बहुत-सी बातों में हमारी ओर से आपको पूरा पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है। आज देश पर जो संकट आया हुआ है उसको हटाने के लिये जितनी उदारता के साथ हम सहयोग दे रहे हैं उतना सहयोग आपकी ओर से हमें प्राप्त नहीं होता। आप तो लड़कों को ठीक करने के लिये पी०ए०पी० का इस्तेमाल करते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप प्वाइंट को छोड़ कर अपने व्याख्यान को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आपका डायरेक्शन गलत है। आप विधेयक के ऊपर ही आ जायं।

श्री रामायणराय---कल एक माननीयय सदस्य ने कहा कि जो लोग अपने को समाजवादी और प्रगतिशील कहत हैं वे ऐसा संशोधन क्यों लाते हैं।

श्री अध्यक्ष—इसका इससे क्या सम्बन्ध है ? आप प्वाइन्ट पर ही भाषण करें ।

श्री रामायण राय—मैं इसी संशोधन की पवित्रता की तरफ संकेत करने के लिये अपनी बातें कहना चाहता हूं । खैर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पुनः पुनः आग्रह करता हूं कि वह मेरे इस पवित्र संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लें । इससे प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता का कल्याण होगा ।

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भाई रामायण राय जी ने उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि एक चीज को वह अपनी दृष्टि से थोड़ा ओझल कर गये हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि यंत्र से चलने वाले कोल्हुओं को सहायता न देने की बात जो इस बिल में रखी गयी है उसे उन्होंने स्वीकार किया है और इसके लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं । लेकिन एक चीज जो इसमें लायी गयी है वह यह है कि पशुओं से चलने वाले कोल्हुओं को उस सीमा में जो रखा गया है उससे वे सन्तुष्ट नहीं हैं । इसकी सीमा यह है कि अगर ७ या ७ से अधिक कोल्हू एक ही जगह पर रस निकालते हों और उससे एक ही यूनिट में गुड़ या खांडसारी बने तो उस पर टैक्स लगाया जायगा । माननीय रामायण राय जी से मैं यह कहूं तो अनुचित न होगा कि पूरब क्षेत्र के ही नहीं बल्कि इस आदरणीय सदन के एक-एक सदस्य से मैंने वार्तालाप किया और मेरठ जिले के एक सदस्य ने जो किसानों के बहुत पुराने नेता रहे हैं, उन्होंने बतलाया कि गांव के १०,२०,२५ किसान मिल कर कोल्हू चलावें यह तो हो सकता है, लेकिन एक गांव में एक आदमी के पास ७ कोल्हू हों ऐसा कोई किसान उत्तर प्रदेश में हमारी जानकारी में तो इस तारीख तक नहीं आया है । ऐसी हालत में जबकि एक आदमी ७ कोल्हू रखने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर उनका जो भय है, मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति आने वाली नहीं है । यह जरूर है कि उनका प्रेम जो गरीबों के लिये है उसकी वजह से वह सशंकित रहते हों, लेकिन इधर के बैठने वालों के दिल में भी उन गरीबों के लिये उतनी ही जलन है, हमें भी उनका खयाल अवश्य है । सवाल यह है कि एक यूनिट में बेल वाले कड़ाह रख कर खांडसारी या गुड़ बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि उन पर उपकर लगाने की बात इस बिल में रखी गयी है । अगर कोई अपने लिये गुड़ या राब बनावे या बिक्री के लिये भी बनावे तो उसके ऊपर रत्ती भर भी इस उपकर का बोझ नहीं पड़ने वाला है । इसलिये मुझे बहुत अफसोस है कि जिस संशोधन को माननीय रामायण राय जी ने पवित्र की संज्ञा दी है—पवित्र तो वह है ही, अगर पवित्र न होता तो इस सदन में उसे आने की स्वीकृति ही कैसे मिलती—लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता और इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं ।

***श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस संशोधन के पीछे जो भावना थी उसको स्वीकार किया और उन्होंने इस बात से भी सहमति प्रकट की कि जहां तक अगली उपज का ताल्लुक है उसको वह छूना नहीं चाहते हैं । लेकिन मैं आदर के साथ उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जो जानकारी उन्होंने मेरठ की प्राप्त की वह गुड़ से सम्बन्ध रखती है, यह ठीक है । मेरठ में भी गुड़ व राब दोनों बनते हैं और आप यहां दोनों को टच कर रहे हैं । ऐसा कोई किसान न होगा जिसके पास ७ कोल्हू हों या एक जगह लगते हों । लेकिन जहां तक राब का सम्बन्ध है, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपना दृष्टिकोण समझा नहीं पाता हूं । वास्तव में स्थिति यह है कि राब बनाने में जब तक ७ कोल्हू एक जगह न लगाये जावें तब तक राब बनाने का काम इकानामिक तरीके से चलाया ही नहीं जा सकता, वह इनसफीशियेन्ट यूनिट रह जाता है । मेरे खयाल से आपके पास आंकड़े होने चाहिये कि कितनी बेलें ऐसी हैं जिनमें ७ से कम कोल्हू चलते हैं । अगर हों, तो मंत्री जी बतायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मेरी जानकारी है कि या तो ऐसी बेलें हैं ही नहीं, और अगर हैं तो वे 'न' के बराबर हैं जिनमें कि ७ कोल्हू से कम काम करते हैं। कोई ऐसा काश्तकार नहीं हो सकता कि जिसके पास ७ कोल्हू हों लेकिन होता यह है कि २०-२५ काश्तकार एक कोल्हू पर आकर रस निकालते हैं और १००-१५० काश्तकार मिलकर ६-७ कोल्हू लगाते हैं और इस प्रकार के पूरे यूनिट को हम 'बेल' कहते हैं। इन कोल्हुओं पर गन्ने का रस पेरा जाता है और वहां पर उस रस को एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसको क्रिस्टेलाइज और सालिडिफाई किया जाता है। यह प्रासेस ५ कढ़ावों में किया जाता है और उसके बाद २० सेर के करीब वजन भरे जाने वाला मिट्टी का बर्तन होता है जिसे 'कलसी' कहते हैं उसमें राब भरी जाती है। जिस तरह से यह परिभाषा है उससे तो वह 'बेल' का स्वरूप भी इससे प्रभावित होने जा रहा है। यही धारा इस पूरे विधेयक की प्राण है जिससे आप निश्चित करेंगे कि क्षेत्र कितना सीमित रखें। मिस्टर हेचफील्ड ने इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन के प्रसीडेंशियल एड्रेस को देते हुये कहा था, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी थे, कि वह केवल यंत्रचालित कोल्हुओं से परेशान हैं। वह भी उसी को कम्पीटीटर उनका मानते हैं। उन्होंने उसमें कहा है कि यह जो इन्डीजिनस कोल्हू हैं वे उनके कम्पीटीटर नहीं हैं। वह चाहते हैं कि वह तो वैसे ही चलते रहें। वास्तव में जितने संरक्षण की आवश्यकता है उससे अधिक संरक्षण आप दे रहे हैं, इस भाषा द्वारा और सीमा बढ़ा कर के।

एक बात और कहूंगा कि इसमें कहा गया है कि "या यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो"। मंत्री जी जरा इस पर प्रकाश डाल दें कि 'रस का प्रयोग करने में समर्थ हों' का क्या आशय है। इसका आशय यह है कि जो रस का प्रयोग करेंगे वे इस परिभाषा में आयेंगे या जो रस से बनाई हुई चीजें उपयोग करेंगे वे भी आ जायंगे? मैं बरेली नगर में रहता हूं, अभी तक तो इसका मतलब यही बताया जाता है कि जो रस का प्रयोग करते हैं वही आयेंगे, लेकिन फिर भी भयंकरता बनी रहेगी अगर साफ कर दिया जाय कि क्या रस से बनी हुई चीजें जो यूनिट प्रयोग करते हैं वे भी इसकी परिभाषा में आयेंगे या नहीं। वे भी इसकी परिभाषा में आयेंतो परिणाम और भी भयंकर हो जायगा और एक साथ दो-तीन स्थलों पर कर लग जायगा।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा तो इसमें कहना नहीं है लेकिन मंत्री जी ने अभी सफाई दी कि हम उन किसानों से कुछ टैक्स नहीं लेना चाहते हैं जो ७ कोल्हू से कम चलाएंगे और ७ या ७ से ज्यादा कोल्हू चला कर जो एक जगह रस पकाया जाता है उस पर टैक्स लागना चाहते हैं। मेरे कहने का मंशा यह है कि आम तौर पर देहातों में और खास तौर से जिस जिले से मैं आया हूं उसके इर्द-गिर्द शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली वगैरह में यह होता है कि सात-सात, आठ-आठ और दस-दस कोल्हू एक-एक बेल पर लगते हैं और क्यों लगते हैं इसका भी कारण है। आज दिसम्बर खत्म हो गया लेकिन अभी तक बेलें नहीं चलीं। नतीजा यह होता है कि जनवरी, फरवरी और १५ मार्च तक किसान चाहते हैं कि हमारा रस खत्म हो जाय क्योंकि उसके बाद रबी की कटाई आ जाती है। ऐसी सूरत में किसान यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारा गन्ना जो है वह खत्म हो जाए। इसलिये काश्तकार चाहता है कि चार-पांच काश्तकार मिल कर एक कोल्हू लगा लें और जल्दी से जल्दी उस बेलिये को जिसने हमारा रस खरीदा है पेर कर दे दें। आप चाहते हैं कि ७ या ७ से ज्यादा जो कोल्हू होंगे उस बेलिये से टैक्स लें। नतीजा यह होता है कि आप तो टैक्स लेते हैं बेलिये से, लेकिन छुरी तरबूज पर गिरे तो तरबूज कटता है और तरबूज छुरी पर गिरे तो भी तरबूज कटता है। उस बेलिये से जितना टैक्स लिया जायगा वह उसी हिसाब से काश्तकारों को कम भाव देता है। जैसे, इस साल आमतौर पर १५० रुपये का रस का भाव रहा है। अब जिन ७ से ज्यादा कोल्हू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाने वालों पर आप टैक्स लगाते है वे १५० रु० से कम १४५, १४६ या १४७ रुपये पर लेते हैं, नतीजा वही हुआ। तो वह पड़ता तो काश्तकार के ऊपर ही है। जिस तरीके से आपने देखा कि जब दो रुपये मन गन्ना बिकता था तो शक्कर ९ आने, १० आने, साढ़े दस आने सेर थी। अब जब आपने मिल वालो पर टैक्स बढ़ा दिया तो नतीजा यह हुआ कि गन्ने का भाव १ रु० ५ आने हो गया। इसी तरह से जितना टैक्स बेलियों पर लगेगा, काश्तकारों को रस का भाव उतना ही कम मिलेगा। इसलिये जो बिजली वगैरह से चलते हैं उन पर टैक्स लगाया जाय, लेकिन जो कोल्हू बैलों से चलते हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय वरना यह उन बेलियों पर न पड़ कर काश्तकारों पर ही पड़ेगा। इसलिये यह जो संशोधन है उसको आप मान लीजिये कि ७ या ७ से ज्यादा कोल्हू चलाने वाले बेलियों पर भी टैक्स माफ कर दिया जाय वरना काश्तकार मर जाएगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं निवेदन करना है। केवल एक-दो बातें निवेदन करनी हैं। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जैसा कहा कि बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस किसान एक ही कोल्हू पर अपना गन्ना पेर लिया करते हैं, मेरी राय में वह ठीक नहीं है। उस स्थान को कोल्हार हमारे यहां कहते हैं जहां गन्ना पेरा जाता है। मुझे मेरठ का पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ जहां तक मैंने देखा है, जो बड़े-बड़े गांव हैं उनमें कोल्हार के अन्दर ८,८-१०,१० कोल्हू चलते हैं, २५, ३० कढ़ाव लगते हैं और वहां गुड़ और राब बनायी जाती है। इस विधेयक में, अगर खाली खंडसारी शकर ही रखें तब तो ठीक है कि वे केवल खंडसारी शकर बनाने वालों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। लेकिन गुड़ और राब लिख करके उसको इतना व्यापक कर दिया है कि उससे कोई किसान नहीं बच सकता। एक स्थान पर जहां ७ से ज्यादा कोल्हू चलते होंगे, चाहे वह एक आदमी के हों या ७ आदमियों के हों, उस जगह पर जो गुड़ या राब बनेगी उस पर यह कानून लग जायगा। मंत्री जी ने कहा कि ७ कोल्हू एक किसान के जिस जगह पर चलते हों, जो उन्होंने कहा वही अगर इस संशोधन विधेयक में होता तो मान लेने में कोई एतराज नहीं था। मगर यह चीज नहीं है कि एक आदमी के ही ७ कोल्हू अगर चलते हों तो उस पर लागू हो जायगा। इसमें यह है कि एक स्थान पर जहां ७ कोल्हू चलते हों, तो अगर ७ आदमियों का कोल्हार चल रहा है तो उस पर भी यह कानून लागू हो जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह इस विधेयक को इन्नोसेंट बनाना चाहते हैं तो या तो यह बढ़ा दिया जाय कि एक आदमी के ७ कोल्हू जहां कहीं चलते हों या इसमें से गुड़ और राब हटा दिया जाय। फिर इनका मतलब खंडसारी शकर वाला पूरा हो जाता है। वरना जो इसके शब्द हैं अगर यही रहते हैं तो हर एक किसान के ऊपर इसका असर पड़ेगा और बहुत सारे गांवों में टैक्सेशन हो जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो रामायण राय जी का संशोधन है उसे मानने की कृपा करें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--मुझे यही कहना है कि जो किसान का गन्ना लिखा जाता है वह यह सट्टा है जिस पर लिखा जाता है। इसमें नाम सब के लिखे हैं, एक नाम है मनोहर वल्द खूब चन्द जिसका ३ एकड़ गन्ना है लेकिन लिखा गया १ एकड़ २५ दिन में,.....

श्री अध्यक्ष--इसका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल--यह संशोधन से ही सम्बन्धित है। ३ साल के अनुसार सट्टा करते हैं और वह भी कम लिखा जाता है, तो जो गन्ना बच जाता है उसको अगर बेल में ले जाता है, उस पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है। तो वह अपना गन्ना कहां ले जाय? सट्टा लिखने का ढंग है, तीन साल की सप्लाई के अनुसार खड़ा है और उसके अनुसार ५०० मन और लेते हैं ३०० मन तो बाकी कहां जाय? इस विधेयक से किसानों की जान के साथ खेल किया जा रहा है।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामायण राय जी के प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

मैं कल से ही नाटक देख रहा हूं । मुझे दुख है इस बात का कि उस तरफ के सदस्य भी इसका विरोध करते हैं लेकिन हाथ उठाने के समय वह हाथ भी सरकार की तरफ उठा देते हैं । एक अजीब तमाशा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने से गन्ने और गुड़ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । पिछले दो वर्ष से सरकार की यह नीति रही कि पूंजीपतियों की मदद के लिये जो गुड़ उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको परेशान किया जाय । मुझे याद है कि पिछले वर्षों में जो किसान गुड़ बनाते थे और बाहर भेजना चाहते थे उनको छट नहीं थी, बुकिंग बन्द थी और वे किसी प्रकार भी अपने उद्योग को नहीं बढ़ा सकते थे । जो छोटे-मोटे काश्तकार होते हैं और गुड़ बनाते हैं और खुद उसकी खपत नहीं कर पाते उनको किसी न किसी बाजार में उसको बेचना पड़ता है।

पिछले वर्ष जब सरकार को गन्ने के आवागमन पर रोक लगाने में सफलता नहीं मिली तो सरकार ने मिल मालिकों की मदद करने के लिये यह नया कदम उठाया और इसके जरिये सरकार ७ बैलों के कोल्हू पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है और अग्रवाल जी ने तो बैलों के स्थान पर पशुओं जोड़ दिया है जिससे सरकार को उसमें और मदद मिलेगी । इस प्रतिबन्ध का प्रभाव सीधे-सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो ५,७ आदमी मिल कर घरेलू उद्योग धन्धा चलाते है । सरकार जो यह समझती है कि इससे किसानों को नुकसान पहुंचता है , मेरे खयाल में यह गलत है । कारण यह है कि पिछले वर्ष मिल मालिकों ने दबाव डाला और यही एकमात्र कारण था जिससे सरकार ने खांडसारी पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी । मिल मालिकों ने सरकार का ध्यान इस और फिर आकृष्ट किया कि हम तो गन्ने की चीनी बनाते हैं जो विदेशोंमें भेजी जा सकती है और जो लोग खांडसारी बनाते हैं वह विदेशों में भेजने लायक नहीं है । इसके पीछे बात यह थी कि खांडसारी का उद्योग करने वाले जो लोग थे वे किसान को ज्यादा कीमत दे देते थे और किसान भी उनको गन्ना दे कर जल्दी से जल्दी गन्ना अपने खेत से खाली कर लेता था । इस प्रकार उसका खेत भी जल्दी खाली हो जाता था और इसकी आमदनी भी घटी नहीं ।

इस साल केन्द्रीय सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जो मिल मालिक पिछले दो वर्षों के औसत से अधिक चीनी उत्पादन करेगा उस पर सरकार सेस में आधी छट देगी । इससे इंडायरेक्ट प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो बैलोंके द्वारा खांडसारी उद्योग चलाते हैं और मिल मलिक को प्रोत्साहन मिलने से अधिक उत्पादन चीनी का हो सकेगा । माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि कोल्हुओं पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है इसका प्रभाव भी मिल मालिकों पर यह पड़ेगा कि वे अधिक उत्पादन कर सकेंगे । माननीय मंत्री जी केवल एक तरफा बात सोचते हैं । आखिर वे सोचें कि इसका प्रभाव होगा क्या ? आज जो गन्ने का उत्पादन करने वाला किसान है उसको वह जो गन्ने की कीमत दिला रहे हैं वह एक रुपये तक पड़ती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विनियमन का विधेयक आपके सामने है इसमें आप देखेंगे कि चाहे वह किसान दूर खेती करता है या मिल के नजदीक खेती करता है, उसकी एक कीमत दिलाने में यह सरकार असमर्थ रही है और रहेगी लेकिन चीनी का भाव एक ही रहेगा. . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह समझता हूं कि आप असंगत हो रहे हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---असंगत नहीं है, उससे सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष---गन्ने की कीमत से सम्बन्ध नहीं है इसका ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि बैलों से चलाये जाने वाले कोल्हुओं पर यह जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है इसका सीधा सादा सम्बन्ध उन मिल मालिकों से है जो अधिक चीनी उत्पादन करेंगे। सरकार की यह मंशा है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा देने से वे किसान जो सहकारिता के आधार पर गुड़ बना लेते थे अपना गन्ना मिल को देने के लिये मजबूर होंगे। इन शब्दों के साथ में यह चाहूंगा कि कम से कम बैलों से जो कोल्हू चलाये जाते हैं उन पर से सरकार यह प्रतिबन्ध हटा ले।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, जो इस विषय के पंडित कहे जाने चाहिये सब कुछ कह दिया है, इसलिये मुझे केवल दो बातें कहनी हैं और वह यह कि यदि कोई किसान अपने यन्त्र चालित कोल्हू से अपने ही गन्ने का अपने ही कड़ाहों में गुड़ या राब बनाता है तो क्या उस पर भी कोई उपकर या टैक्स लगाया जायगा ? हमारी तरफ ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके पास यंत्र चालित क्रशर हैं और उनमें एक गुनहगार मैं भी हूं। । यदि किसी ने ५-६ एकड़ गन्ना बो लिया और उसके पास कोई मिल नहीं है तो लाजिमी तौर पर उसको कोई न कोई साधन बनाना पड़ता है क्योंकि जब मिल कहीं से ५० मील के करीब दूर है तो वहां गन्ना ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिये हमको अपना इंजन लगाना पड़ा और अपना क्रशर लगाना पड़ा और तब अपना गन्ना पेरते हैं और यह करते हुये करीब तीन साल हो गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह तो रिजर्व एरिया के लिये है। मिल से ५० मील दूर रिजर्व एरिया नहीं होता।

श्री रघुवीरसिंह---अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ कहना नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ७ बैलों के लिये अध्यादेश में उपकर लगाना लिखा है। आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि एक बैल से चालित कोल्हू नहीं होता। वह कम से कम ६ अन्यथा ८ बैलों से चल पाता है। दो बैल एक कोल्हू को बराबर १८ घंटे नहीं चला सकते। १८ घंटे बराबर कोल्हू को चलाने के लिये कम से कम ८-१० बैल जुटाने पड़ते हैं।

इसी प्रकार बेल के बारे में बड़ी बहस हुई। बेल उसको कहते हैं जहां ५-७ कड़ाहियां एक लाइन में लगायी जाती हैं। वह एक बेल कहलाती है चाहे उस पर १० कोल्हू लगा कर काम करे, चाहे १५ कोल्हू लगा कर काम करे। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यदि आप गन्ने पर सेस लगाने जा रहे हैं तो प्रत्येक खांडसारी वाला उतना पैसा काट कर किसान को दाम देगा। इसलिये आपको करना यह चाहिये कि जो खांडसारी के ऊपर आप सेस, कर या जो कुछ भी लगायें उससे किसान मुक्त हो जाय और उसको मुक्त करने का तरीका यह हो सकता है कि मिल एरिया में जो आपने गन्ने का रेट रखा है उससे वह रेट कुछ न कुछ बढ़ कर होना चाहिये। क्यों होना चाहिये ? मिल वालों को बड़ी-बड़ी नौकरियां चुकानी पड़ती हैं, बड़ी इमारत बनानी पड़ती है, कीमती मशीन लगानी पड़ती है जब कि खांडसारी वाले कम वेतन पर मजदूरों को नौकर रख लेते हैं। वह छोटी-छोटी मशीन प्रयोग करते हैं इसलिये मैं मंत्री जी से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि मिल एरिया में जो रेट है उससे कम से कम चार आने बढ़ा कर नानमिल एरिया में रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने माननीय ब्रजनारायण जी को भी रोक दिया था। गन्ने के रेट से विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह---बात यह है कि जो सुझाव मेरी समझ में आ रहे हैं उनको मैं दे रहा हूं। मंत्री जी के भाव से भी पता चलता है कि उनकी समझ में मेरे सुझाव आ रहे हैं। अतः जो अपना गन्ना अपने आप पेरते हैं उनको इससे मुक्त कर दिया जाय।

[श्री रघुवीर सिंह]

दूसरी बात यह है कि मिलों को जो क्षेत्र आपने बांट रखे हैं उनमें गन्ना खपता नहीं है। इसके लिये कोई प्राविधान रखा जाय जिससे किसान अपना गन्ना ठीक समय पर दे सकें। जब आप रेट तय कर रहे हैं, गन्ने पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, तो यह भी होना चाहिये कि मिल एरिया के अन्दर गन्ना समय पर ले लिया जाय और अधिक समय तक काश्तकार का गन्ना पड़ा न रहे जिससे वह सूख न जाय या नष्ट न हो जाय। अन्त में, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि कोल्हू से उनका अभिप्राय क्या है। जहां सात बैलों का प्रश्न करते हैं वह तो क्रशर होता है और उसका वही रूप होता है जो मिल वालों का होता है, परन्तु किसान का तो एक कोल्हू होता है और उसके पास इतना ईख नहीं होता है कि सारे दिन कोल्हू को चला सके। दो तीन किसान मिलकर एक कोल्हू को चलाते हैं। यह ७ बैलों द्वारा कोल्हू को चलाने की बात समझ में नहीं आती है। जो भी बिल आता है उसमें अपने स्वार्थ के लिये एक नई बात निकाल लेते हैं। जो इस तरह के कोल्हू चलाते हैं वे मालदार हैं और उन पर टैक्स लगना चाहिये। आप इसमें मुबतला हैं, इसलिये इसकी ताईद कर रहे हैं। किसी के यहां दो तीन कोल्हू नहीं चल पाते हैं। एक भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। आचार्य जी बतायें कि पश्चिम के अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, आदि जिलों में किसी के ऐसे कोल्हू हों जो ७/८ बैलों से चलते हों। ऐसे तो फार्म वालों के ही कोल्हू होते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं और मुझे अफसोस है कि आप उनकी ताईद कर रहे हैं।

हां, एक बात का और मैं समर्थन करता हूं कि किसानों के गन्ने का रेट बढ़ना चाहिये। जैसे मिल वाले किसान का खून चूसते हैं उसी तरह से खाण्डसारी वाले किसान का खून चूसते हैं। खांडसारी वाले पहले किसान को रुपया दे देते हैं, बाद को कम दाम देकर रस लेते हैं। उससे वह राब पकाते हैं और खांड बनाते हैं परन्तु काश्तकार में या गरीब किसान में इतनी क्षमता एवं हिम्मत नहीं कि वह एक भी कोल्हू लगा सके। ४/५ मिलकर एक कोल्हू चलाते हैं और उन पर किसी प्रकार का टैक्स है नहीं। अगर है भी तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस टैक्स को काट देना चाहिये। लेकिन क्रशर में जिसमें सात-सात कोल्हू हैं उन पर अवश्य कर लगाना चाहिये क्योंकि वह भी उसी प्रकार का शोषण करते हैं जैसा कि मिल मालिक करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस विधेयक को तुरन्त पारित कर दिया जाना चाहिये इसमें संशोधन लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर जिसके पास ५०-६० बीघा जमीन है, उसके सात-सात कोल्हू चलवा दें तो मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन उसके पास नहीं है। जो जगदीश शरण जी जैसे लखपती और करोड़पती हैं उन्होंने क्रशर लगा कर शोषण करना शुरू कर दिया है। किसी काश्तकार को आप बताइये जिसके क्रशर लगे हों। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों को उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिये, गरीब मजदूर और किसान का साथ देना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिये।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९, की धारा २ में जो संशोधन माननीय रामायण राय जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार ने इकाई की जिस प्रकार परिभाषा की है और कहा कि मिल एरिया के अन्दर यानी सुरक्षित क्षेत्र के अन्दर गुड़, राब और खांडसारी शक्कर बनाने वाले बैलों द्वारा चालित सात या उससे अधिक जो कोल्हू हैं या यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा। साथ ही साथ सरकार का यह भी मकसद है कि उससे सेस भी वसूल किया जायगा। गोकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें सेस की बात नहीं है लेकिन दूसरे विधेयक में सेस भी लगाने की व्यवस्था है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रामायण राय जी का संशोधन है, वह सरकार को मान लेना चाहिये क्योंकि इससे गन्ना-किसानों के हित की रक्षा होती है। इसका यही मतलब है कि रिजर्व एरिया के अन्तर्गत, यानी जो मिल एरिया है, उसके अन्दर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा कानून खासकर मिल मालिकों की मदद करता है। विधेयक में "इकाई" की परिभाषा साफ नहीं की गयी है। जहां तक "सुरक्षित" एरिया की बात है, वह भी साफ नहीं है कि वह कौन-सा सुरक्षित एरिया है। बल्कि मेरा खयाल है कि सरकार सुरक्षित एरिया का मतलब मिल एरिया से रखती है। साथ ही कोई बेल सात कोल्हुओं से कम पर नहीं लगती है। यदि इन बेलों पर प्रतिबन्ध लगा तो यह समझ लेना चाहिये कि इससे गुड़, राब एवं खांडसारी उद्योग को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिये भी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। यंत्र चालित कोल्हुओं पर भले ही प्रतिबन्ध लगा दें लेकिन बैलों द्वारा चालित कोल्हू पर प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये, साथ ही उन पर लाइसेंस भी नहीं लगना चाहिये और इकाई की डेफिनीशन में भी नहीं आना चाहिये, क्योंकि इसके जरिये सरकार मिल मालिकों की मदद कर रही है। एक तरफ तो गन्ना आन्दोलन चल रहा है कि दाम बढ़ना चाहिये और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जिससे काफी चीनी बने तो, इससे यह मकसद हल नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध लगा कर तो आप गुड़ उद्योग को एक धक्का दे रहे हैं और मिल मालिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा चीनी बनायें। मगर केवल उनको प्रोत्साहित करने से काम नहीं चलेगा। इसका तरीका और भी हो सकता है। आप चाहें तो गन्ने का भाव बढ़ा कर किसानों को गुड़ बनाने से, राब बनाने से और खांडसारी बनाने से रोक सकते हैं। लेकिन इसके जरिये लाइसेंस लगाकर, प्रतिबन्ध लगाकर, इसको रोकने का मतलब यह है कि हर प्रकार से उन्हीं मिल मालिकों का फायदा हो और वे फायदा उठायें। यही खास मकसद मालूम पड़ता है। तो माननीय रामायण राय जी ने जो संशोधन रखा है कि गुड़ और राब बनाने वालों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये और उनको इस इकाई की डेफिनीशन में नहीं आना चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ, यंत्र चालित कोल्हू जो हैं उन पर आप प्रतिबन्ध लगाइये, इसका मैं विरोध नहीं करता। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि आप सुरक्षित एरिया की डेफीनीशन कर दीजिये और इकाई की भी डेफीनीशन कीजिये और दूसरी तरफ उन कोल्हुओं पर जो बेलों से चलते हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये और उनको इसके अन्तर्गत नहीं आने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामायण राय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण राय जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सही बात तो यह है कि सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि वह इस देश का सर्वनाश करके ही छोड़ेगी। वह इस तरह कि मेरे गांव में एक मास्टर थे, बहुत नाजुक मिजाज, छोटा-सा एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। उनके पास एक घोड़ी थी। कुछ साथियों ने उनसे पूछा कि यह आपकी घोड़ी दुबली क्यों हो गई--तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इसलिये कम खाने को देता हूं कि अगर पूरा खिलाऊं तो इतना तेज भागती है कि मुझसे उस पर चढ़ा नहीं जाता है। इसलिये कम खाना देकर इसको कमजोर कर देता हूं ताकि तेजी से न भागे। यही हाल माननीय मंत्री जी का है। उनका पूरा-पूरा मंशा है कि इस देश का काश्तकार सम्पन्न न होने पाये क्योंकि अगर वह साधन सम्पन्न हो गया और सरकार के कारनामों को अच्छी तरह से समझ गया तो यह सरकार न ठहर सकेगी और न शासन कर सकेगी।

सही बात तो यह है कि जो सुरक्षित गन्ना एरिया है उसका बहुत-सा गन्ना खड़ा का खड़ा रह जाता है इस इंतजार में कि फार्म पर डालेंगे जहां उन्हें पैसा अच्छा मिल जाता है,। तो वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूमाल्ह]

इस इंतजार में खड़ा रहता है और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये सरकार ने जो पशुओं से चलने वाले कोल्हू हैं, बेलों पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसका सीधे-सीधे असर यह होगा कि जहां सुरक्षित एरिया है उसके लिये जो गांव का गन्ना है उसको भी बरबाद करने के लिये सरकार तुल गई है। मैं विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जब बेल वालों ने यह समझा कि सात कोल्हुओं पर टैक्स लगेगा तो अब वह सात कोल्हू नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ६ ही कोल्हू लगा रहे हैं। काश्तकार इस आशा में थे कि हम अपना गन्ना बेलों में दे देंगे, इसलिये उन्होंने अपना कोल्हू नहीं लगाया, लेकिन अब वह काश्तकार मुश्किल में पड़ गया है कि किस तरीके से अपनी भट्ठी लगाये। उनका गन्ना फिर उसी स्थिति में पड़ गया है जो स्थिति कि सुरक्षित एरिया में हो जाया करती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस देश का सर्वनाश न करें और यह पशुओं से चलने वाले जो कोल्हू हैं उन पर से यह प्रतिबन्ध हटा लें और उसके लिये माननीय रामायण राय जी का जो संशोधन पेश है उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से यह बहस चल रही है। रामायण राय जी और मैं, दोनों ने एक साथ काम किया है बहुत दिनों तक अगर वह मुझे यह बतला दें कि सात कोल्हुओं का चलाने वाला कोई काश्तकार है, मैंने कल भी यही बात कही थी कि कोई साधारण किसान अगर सात कोल्हू रखने वाला मुझे बतला दिया जाय तो मैं सरकार से यह निवेदन करने को तैयार हूं कि माननीय रामायण राय जी के संशोधन को वह मान लें क्योंकि माननीय रामायण राय जी जितने इस सदन के हमारे साथी हैं.....

श्री बालकराम---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल भी माननीय लालबहादुर जी ने यही बात कही थी और आज भी कही। मैं लालबहादुर जी को दावत देता हूं कि वह मेरे साथ चलें और मैं उनको अपने गांव में दिखाऊं कि पांच-पांच, छः-छः काश्तकार मिलकर एक बेल चलाते हैं। मैं चलकर दिखा दूंगा।

श्री लालबहादुर---पहले आप धीरज से सुन लें। मैं आ रहा हूं उसी पर।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय बालकराम जी, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाकर के आपने अनुचित किया है क्योंकि यह सवाल आप यों ही पूछ सकते थे।

श्री लालबहादुर---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कल इस सदन में यह सुना कि मिल मालिकों से यह सरकार रुपया लेती है। मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन क्या कुछ लोग इस सदन में ऐसे विरोधीदल के नहीं हैं जो खंडसारी पूंजीपतियों से पैसा लेकर उनकी इतनी बड़ी वकालत करने के लिये तैयार हो रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है। यदि लोग प्रोलिटेरियेट का बहाना करके इस तरह से सदन को मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, वह नहीं होगा। आज जो इस देश की हालत है उसको आप, श्रीमन्, खुद जानते हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उसके लिये आप भी स्वयं गन्ना वालों की तरफ़ से खुद गिरफ्तार हुए। आप खूब अच्छी तरह से उनकी हालत को जानते हैं। खंडसारी बनाने वाले पूंजीपतियों का एक गिरोह था जो इस देश में आपस में मिलकर अपनी मोनोपोली करना चाहता था। वह अपनी मोनोपोली बनाकर सरकार और जनता को मिसगाइड करना चाहता है। उससे इस देश की रक्षा करने की जरूरत है।

मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो खंडसारी वालों का एक दल निकल पड़ा है सरकार उनके ऊपर टैक्स लगाकर या बड़े-बड़े मिलमालिक जो चीनी बनाते हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनसे रुपया वसूल करके जनता के काम में जो पैसा लगाती है, उसमें आप रुकावट पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस तरीके से आप जनता को मिसगाइड करना चाहते हैं। आपके लिये यह तरीका शोभा नहीं देता। यह देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े-बड़े काबिल लोग और बड़े-बड़े नेता लोग मिसगाइड होते जा रहे हैं। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उनसे किसी प्रकार का गठबंधन हो चुका है। मान्यवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे दल में भी या किसी भी विशिष्ट दल में कोई आदमी इस तरह की यदि बात करता है तो उस पर मुझे शक होने लगता है .....

श्री उपाध्यक्ष---मेरा खयाल है, आपका मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने लांछन लगाया है उसमें आपको भी शक होने लगता है।

श्री लालबहादुर---मैं किसी पर लांछन नहीं लगाता हूं किन्तु अगर कोई ऐसा करता हो, तो मैं उस पर शक करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या इस माननीय सदन में किसी भी सदस्य को इस भवन के अन्दर बैठे हुए किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर शक प्रकट करने का अधिकार इस हाउस के अन्दर है?

श्री उपाध्यक्ष---मैंने पहले स्पष्ट करा लिया था कि उनका किसी के ऊपर लांछन लगाने का कोई मतलब नहीं है।

श्री लालबहादुर---ऐसी हालत में मैं अपने आदरणीय मित्र रामायणराय जी से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। इससे जनता की भलाई होगी और इस सदन की मर्यादा भी ऊंची रहेगी। जिस जनता ने हमको वोट देकर भेजा है वह जनता बाहर यह नहीं कहेगी कि यह किसी तरीके से जनता या सरकार को मिसगाइड करना चाहते हैं या किसी विशेष दल का पक्ष लिया गया है। रामायण राय जी इस संशोधन को वापस ले लें और जो प्रस्ताव सरकार की तरफ़ से आया है उसको पास होने दें।

***श्री शिवराज सिंह यादव** (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उपमंत्री के भाषण को बड़े गौर से सुना। मुझे उनकी इस जानकारी पर बड़ा आश्चर्य हुआ जो कि उन्होंने इस सदन को दी कि इस प्रदेश के अन्दर कोई काश्तकार इस प्रकार का नहीं है जो लगभग २५० मन गन्ना या उसके करीब रोज पेरता हो। मैं उनकी सेवा में निवेदन करूंगा कि उनके करीब ही जगदीश शरण जी अग्रवाल बैठे हुये हैं, वह मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि उनके ही जिले में सैकड़ों काश्तकार ऐसे होंगे जो १० हजार मन या उससे अधिक गन्ना पैदा करते हैं। जो भी काश्तकार इस प्रदेश के अन्दर १० हजार मन गन्ना पैदा करता है उसके लिये अनिवार्य हो जाता है कि वह यदि दूसरी मौसम में ठीक समय पर गन्ना बोना चाहता है तो २५० मन या उससे अधिक गन्ना रोज पेरे।

आप सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं और सहकारिता की खेती में आपका विश्वास है। उसका कानून आज की परिस्थिति में आपकी जरूरत को पूरा करने वाला नहीं है। यह कानून भविष्य में भी लागू रहेगा और उस वक्त की जरूरियात के लिये ही आप इसे बना रहे हैं। क्या यह संभव नहीं है कि आपके देहात में निकट भविष्य में सहकारिता के आधार पर खेती होने लगे और वहां एक-एक सहकारी समिति १०,१० हजार मन गन्ना पैदा करे और क्या यह संभव नहीं है कि वे अपना गन्ना २५० मन से ज्यादा रोज पेरने लगें? अगर आप अपना गन्ना पेरने वालों पर इस तरह का टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो आपके ढांचे में यह चीज ताल मेल नहीं खायेगी।

जो स्टेटमेंट आपने अध्यादेश के साथ रखा था उसमें आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप मिलों के रिजर्व्ड एरिया में यह नहीं चाहते कि कोई दूसरी एजेंसी गन्ना खरीद करे। तो क्या मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज सिंह यादव]

बड़े अदब से यह जान सकता हूं कि आप उस एरिया के काश्तकारों पर या सहकारी समितियों पर जो अपना गन्ना, अपनी मेहनत से पैदा किया हुआ गन्ना, ७ कोल्हुओं से या और ज्यादा कोल्हुओं से या यंत्र चालित क्रशर्स से पेरना चाहते हैं उन पर आप यह प्रतिबन्ध क्यों लगाना चाहते हैं ?

मैंने कल और परसों निवेदन किया था कि आज भारतीय नागरिक के पास जो उस की सबसे कीमती चीज है वह उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं इस भवन के सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि हम कोई ऐसा कानून यहां न बनावें कि जिससे नागरिकों के फ़ंडामेंटल राइट्स पर आघात पहुंचे। यदि हमने गन्ना पैदा करने वालों पर अपना गन्ना पेरने के लिये इस तरह का प्रतिबन्ध लगा दिया तो यह खुले तौर से संविधान के आर्टिकिल १४ और ९ के विरुद्ध जायगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो काश्तकार नानरिजर्व्ड एरिया में रहते हैं जब वे अपना गन्ना किसी मात्रा में रोज पेर सकते हैं तो रिजर्व्ड एरिया में रहने वाले किसान को वही हक क्यों नहीं हासिल हैं ? इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के लिये आप के पास क्या ग्राउन्ड्स हैं, इस प्रकार के काम को जनहित का काम कहने के लिये आप के पास क्या ग्राउन्ड्स हैं ? दूसरे, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा कर आप काश्तकार के स्टेटस को कितना गिराते हैं ? यदि आपने यह प्रतिबन्ध लगा दिया और यह खंड जिस शक्ल में है उसी शक्ल में यहां से पास हो गया तो यह गन्ना पैदा करने वाले असली मानों में मिलों के गुलाम हो जायेंगे, उनके पाबन्द हो जायेंगे और जिस रेट से, जिस गति से मिलें उनका गन्ना खरीदना चाहेंगी उस गति से और उस रेट से काश्तकारों को अपना गन्ना डिस्पोज आफ़ करना पड़ेगा, भले ही उनका गन्ना सूख जाय, उसमें बीमारी लग जाय या उसके रख-रखाव में उनको दिक्कतें पड़ें और उनको नुकसान पहुंचे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप चाहे ट्रेड पर प्रतिबन्ध लगायें लेकिन उन काश्तकारों के गन्ना पेरने पर जो अपनी मेहनत से उस गन्ने को पैदा करते हैं उस पर कोई प्रतिबन्ध न लगायें। जब आप मैनुफ़ैक्चरिंग गुड्स पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते तो मैं नहीं समझ पाता कि खेती, जिसमें इतना परिश्रम लगता है, इतना समय लगता है और पैसा लगता है, उस पर इस तरह का आप प्रतिबन्ध लगाने क्यों जा रहे हैं ? आज के जमाने में जब एटम फ़ार्म पर पहुंच रहा है तो ऐसे जमाने में वहां पर लगे हुये क्रशर्स को आप नष्ट न करें और इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन गन्ना उत्पादकों पर रहम करें। आप भले ही ट्रेड पर कोई प्रतिबन्ध लगा दें, लेकिन इस तरह का यह प्रतिबन्ध उचित नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रामायण राय जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुए इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि बैलों द्वारा चालित कोल्हुओं पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है उसका केवल मंशा यही है कि बड़ी-बड़ी शुगर फ़ैक्टरियों को गन्ना ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। मैं आपकी आज्ञा से जो इस अध्यादेश में व्याख्यात्मक ज्ञापन छपा है उसमें जो लिखा गया है उसे पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि १९५७ में सफ़ेद चीनी पर भारी उत्पादन शुल्क लगाये जाने के फ़लस्वरूप चीनी की फ़ैक्टरियों के सुरक्षित और अभ्यर्पित क्षेत्रों में विद्युत चालित कोल्हुओं, बैलों तथा केंद्रापकों की संख्या अनियमित रूप से बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो गन्ने की पूर्ति चीनी की फ़ैक्टरियों को न होकर बड़ी खंडसारी इकाइयों को होने लगी, जिसके कारण फ़ैक्टरियों की पेराई में कमी हो गयी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस वजह से यह बिल लाया गया है और यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। इससे होगा क्या ? वह गरीब बेचारा ही मारा जायेगा और जो बैल थे उनकी मुसीबत आ गयी। मिल मालिकों की रक्षा के लिये ही यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक यह रिपोर्ट है मातादीन खेतान की। यह भारत सरकार द्वारा आपके पास भी आयी होगी। इसमें कुछ दूसरे ही कारण बताये गये हैं। एक जगह खेतान साहब कहते हैं कि वे नलकूप प्रायः फ़ैक्टरियों की सलाह से नहीं लगाये गये हैं।

फ़ैक्टरी अंचलों में मिलों की सलाह से छोटे बड़े इतने नलकूप बैठाये जायं कि कम से कम आधी जमीन में पानी का अभाव दूर हो जाय, तभी पैदावार बढ़ सकती है। वे कहते हैं कि सिंचाई के साधनों की ओर तथा पैदावार बढ़ाने की ओर इस सरकार का ध्यान नहीं गया। वे नलकूप जहां लगाये जाने चाहिये थे वहां नहीं लगाये गये। सब मनमाने ढंग से जहां चाहा वहां लगा दिये। यही कारण है कि गन्ने की पैदावार घटती गयी। गन्ने की पैदावार बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। वही मसल हो रही है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। इसी बात को खेतान साहब ने भी माना है। उन्होंने आगे एक जगह यह भी लिखा है कि फ़ैक्टरियों के ५ मील के इर्दगिर्द गन्ना विकास को ही प्राथमिकता दी जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या आप इसके लिये तैयार हैं कि ऐसा किया जाय?

श्री शिवप्रसाद नागर—जी हां, मैं इसके लिये तैयार हूं कि जो वे यह कहते हैं कि गन्ने के विकास को ही प्राथमिकता दी जाय, अन्य किसी उत्पादन को नहीं। आप गन्ने के विकास को ही प्राथमिकता कहां देते हैं? यह कहा जाता है कि बैलों द्वारा चालित कोल्हुओं के कारण गन्ना नहीं मिलता और इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। बात तो यह है कि गन्ने की पैदावार कम होने लगी, इस कारण गन्ना फ़ैक्टरियों को कम पहुंच रहा है। खंडसारी इकाइयों के कारण गन्ना कम नहीं पहुंच रहा है। खेतान साहब ने इसी रिपोर्ट के पन्ना ११ पर लिखा है कि किस वजह से उत्पादन में गिरावट हुई। सन् १९५६–५७ तथा १९५८–५९ के आंकड़े भी उन्होंने दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को ध्यान से सुनें क्योंकि इस विषय में आपको भी बहुत दिलचस्पी है और इसी कारण आपको भी जेल जाना पड़ा। हम और आप एक ही जुमरे में आते हैं। आप देखें कि ऐरा में एक भी खंडसारी शुगर फैक्ट्री नहीं लगी हैं और न कभी लगी थी। एक भी कोल्हू नहीं है गुड़ बनाने का, ऐरा फैक्ट्री के इलाके में। शारदा नदी के किनारे नैपाल के बार्डर पर २४ मील तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और कोई खान्डसारी फैक्ट्री, कोल्हू वगैरह नहीं है लेकिन पता नहीं १९५६–५७ में जो पैदावार गन्ने की थी उस इलाके में उसमें १९५८–५९ में ३५ फी सदी चीनी उत्पादन में गिरावट कैसे हो गई। कौन-सी खांडसारी की इकाई वहां लगायी गयी और कौन-सा कोल्हू वहां चल रहा है? मैं आपसे कहता हूं कि एक भी सिंगिल कोल्हू नहीं चल रहा है। वहां ३५ फीसदी चीनी उत्पादन फिर क्यों गिर गया? गन्ने के उत्पादन में भारी कमी इसलिये आयी कि सरकार वहां डेवलपमेंट करने में उदासीन रही।

एक चीज और हुई कि गन्ने का दाम घटने के साथ ही चीनी उत्पादन भी घटता चला गया। अगर वह न घटाया गया होता तो यह भी नहीं घटता। पारसाल जिस वक्त हम लोगों ने यहां रिज्योलूशन पास किया था कि गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना कर दिया जाय तो सरकार ने एक दम जल्दबाजी में गन्ने का दाम बढ़ाने के बजाय शक्कर का दाम बजाय ३२ रुपये कुछ आने मन के ३६ रुपये कुछ आने कर दिया। उधर श्री अजितप्रसाद जैन ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसीलिये चीनी उत्पादन घटा। मेरा यह दावा है कि अगर चीनी के दाम बढ़ाये गये थे तो साथ ही किसानों के गन्ने का दाम भी बढ़ाया जाता, तब यह उत्पादन न घटता।

एक आश्चर्यजनक बात यह है कि गोला शुगर फैक्ट्री, जिसको कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है, उसके उत्पादन में २० फीसदी गिरावट हुई, जिसमें ६० और ७० खांडसारी की फैक्ट्री लगी होंगी; मगर हरगांव, जहां मुश्किल से इनीगिनी तीन चार फैक्टरियां लगी होंगी, वहां ५० परसेंट गिरावट हुई। यह खेतान साहब के आंकड़े हैं। अगर वह झूठ बोलते हैं तो आप चैलेंज करिये उनको और अगर सत्य है तो फिर कुछ करिये। क्योंकि कोई कारण समझ में नहीं आता कि बेलों के ऊपर यह प्रतिबन्ध क्यों रखा जा रहा है। बैलों से चालित कोल्हुओं पर यह प्रतिबन्ध लगाना प्रजातंत्र के लिये शोभा की बात नहीं है। क्या किसी मिल वाले ने सरकार से हाथ पैर जोड़े हैं? फिर क्यों हम पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाते हैं?

[श्री शिवप्रसाद नागर]

यह कहा जाता है कि मिल वालों को गन्ना कम मिलता है। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है। इनकी ही यह बुलेटिन है जिसमें यह लिखा है कि १६५२-५३ में सिर्फ १५ करोड़ ४१ लाख मन गन्ना पूरी यू० पी० का मिलों को सप्लाई हुआ लेकिन १६५७-५८ में २५ करोड़ ८१ लाख मन सप्लाई हुआ। यह कैसे कहते हैं कि घटता जाता है? यह होते हुए भी प्रतिबन्ध लगाते हैं कि बैलों द्वारा कोल्हू न चल सकें। यह निस्संदेह बात है कि अगर एक बोरी शकर रखी जाती है और उसमें चींटे लग जायें तो वह बोरी साफ हो जाती है। इसी तरह से कहीं मिलवालों को डर तो नहीं है कि ये छोटे-छोटे खांडसारी वाले चींटे हम को ही साफ न कर जायं; बहुत मजबूरी है। श्रीमन्, हम क्या करें? कल हम कह चुके हैं, उसको फिर हम दोहरा देना चाहते हैं, कि अगर किसी भी रेलवे सेन्टर पर हमें एक रुपया दस आने के बजाय एक रुपया आठ आने मिलता है तो दो आने की कमी वहां हो गई। अगर किसी का गांव १५ मील दूर है, वहां से गन्ना लेकर वह चला और ५ आने मन उसको भाड़ा देना पड़ता है, तो इस तरह से फी मन ७ आने कट गये। जो रोड सेन्टर लगते हैं उनमें भी पर मील, पर मांड, एक पुराना पैसा या डेढ़ नये पैसे की कटौती हो जाती है। उसमें भी एक रुपये तीन आने या चार आने से ज्यादा नहीं मिलता है। इसलिये अगर किसी को एक खंडसारी इकाई में एक रुपये ७ आने मन दाम मिल जाते हैं तो इससे उसका समय भी बचता है और बिना किसी परेशानी के ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी काश्तकारों से यह सुविधा क्यों छीनना चाहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि भगवान के लिये बैलों द्वारा चालित जो कोल्हू हैं उन पर सरकार रहम करे। अगर सरकार यह बात नहीं मानेगी तो हमें डर है क्योंकि कोई न कोई रास्ता तो निकल ही आता है। मान लीजिये कहीं कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनी, उसको यह डर हो गया कि कहीं सरकार ऐसा कानून न बना दे उनके खिलाफ। मिसाल के लिये ट्रेजरी बेंचेज के जो सदस्य बोले हैं उन्होंने सोचा कि ७ सदस्य मिलकर गन्ना पेरना शुरू कर दें तो फिर या तो सरकार उनको पकड़ कर बन्द कर देगी या फिर तुरन्त कोई विधेयक लाने की बात सोचेगी। इस प्रकार हमें डर है कि कहीं बैलों के बाद एम० एल० एच० का नम्बर न आ जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार श्री रामायण राय जी के संशोधन को स्वीकार करे और अगर नहीं माना तो कहीं ऐसा न हो कि सरकार के ऊपर से ७ बैल होकर गुजर जायं और यह सरकार रौंद जाय।

श्री रामायणराय--मान्यवर, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में एक भ्रम हो गया और उसका कारण यह है कि वे लोग भी जो अपने को काश्तकार कहते हैं उन्होंने भी हमारे संशोधन का विरोध किया। मेरा संशोधन बहुत साफ था। जो डेफिनीशन दी गई है इकाई की, "गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई", इससे उन्होंने समझ लिया कि शायद एक एक जो अलग-अलग कोल्हू चलते हैं उनको ही वह इकाई मानकर आगे बढ़ गये। यहां शक्कर बनाने वाली इकाइयों की जो डिफीनीशन दी गई है उसमें जो उनकी परिधि बढ़ाई गई, जो और इन्क्लूड किया गया है उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये मेरा संशोधन उपस्थित हुआ था। मैं अधिक समय नहीं लूंगा और यह निवेदन करूंगा कि इस भ्रमजाल में लोग न पड़ें; यह संशोधन बहुत ही पवित्र है। अगर इस संशोधन को नहीं माना, जैसा कि मैं जानता हूं कि सरकार नहीं मानेगी क्योंकि पिछले दिन से ही ऐसा आभास मिल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष--आपका बात मनवाने का ढंग अच्छा नहीं मालूम होता है!

श्री रामायण राय--अब तो ढंग यही है कि मैं अपनी बात कह देता हूं और आगे जो मंत्री जी चाहेंगे करेंगे लेकिन बाद में उनको मालूम होगा कि जिस डाल पर वह बैठे थे उसपर उन्होंने खुद कुल्हाड़ी कैसे चलाई थी। इन शब्दों के साथ, सदन के सम्मुख, मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि जो सदस्य इस प्रदेश की भलाई चाहते हैं वे इसके पक्ष में अपना मत देने की कृपा करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपाध्यक्ष जी, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन भाइयों ने इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप किसान और जनता के हित की बात निश्चय ही की। मुझे आशा है कि इतनी कृपा मुझ पर भी बनाये रखेंगे कि इस बात का भरोसा रखें कि हमने भी इस विचार को करने में कोई कोताही नहीं की। दृष्टि भेद हो सकता है लेकिन बुनियादी दृष्टि में मेरे खयाल से कोई अन्तर नहीं है। दो, तीन दिन का वार्तालाप केवल कोल्हू और बेल का ही वार्तालाप रहा है। भाई जगदीशशरण जी ने पूछा था कि सात कोल्हू किस किसान के होते हैं और कितने किसानों पर यह टैक्स लगने वाला है। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई किसान सात कोल्हुओं से गुड़ बनाने का काम नहीं करता है। जहां पर कोई किसान ७ कोल्हू से राब या खंडसारी बनाने का भी काम करता हो वह इसमें नहीं आता है। हां, कई किसान मिलकर बेल लगा लें और फिर कितने कोल्हू में, वह बात दूसरी है। ऐसा होता होगा। लेकिन उन्होंने यह पूछा था कि कितने कोल्हू ऐसे हैं जो इस बिल की परिधि में आवेंगे। अभी तक हमारे पास ऐसे कोल्हुओं की संख्या रिजर्व्ड एरिया में ६९ है जिन्होंने अर्जियां दी हैं। कोल्हू को बेल के साथ सम्बद्ध करते हैं तो टैक्स लगता है। लेकिन अगर कोल्हू को अलग रखा जाय तो कोई बात नहीं है। जिन बेलों का ७ या ७ से अधिक कोल्हुओं से सम्बन्ध है, उनकी संख्या अभी तक हमारे पास केवल ६९ है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्षमा करें, ये फीगर्स ग़लत हैं। सिर्फ बरेली में ही २००, ३०० हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिन्होंने हमारे पास लाइसेंस लेने की दरख्वास्त दी हैं उनकी संख्या ६९ है। अगर मैं जगदीशशरण जी की बात स्वीकार करूं तो बेल वाले सिलसिले में रुहेलखंड का कुछ विशेष काम है। मुख्यतौर से तो यह पावर क्रशर्स के लिये है। रामायण राय जी ने हमारे ऊपर कृपा की कि इसके लिये कोई संशोधन पेश नहीं किया या इसको मान लिया

आचार्य दीपंकर—(जिला मेरठ) यह बात तो बहुगुणा जी ने ठीक ही कही कि यू० पी० में ऐसा शायद ही कोई किसान होगा जिसके सात कोल्हू चलते हों चाहे वह २५० मन गन्ना पेरता हो या ३०० मन। लेकिन क्या इस कानून का मंशा यह भी है कि जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर में बहुत से लोग अपने कोल्हू नहीं चलाते हैं लेकिन रस खरीद कर राब बनाते हैं, तो उन पर भी यह टैक्स लगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मेरा निवेदन स्पष्ट है। सेस लगता है केन की एन्ट्री के साथ। मैं इसे कानून के इंटरप्रेटर्स के लिये छोड़ता हूं। लेकिन हमारा मंशा यह है कि रस पर हम कोई टैक्स न लगावें। इससे ज्यादा मैं साफ नहीं कर सकता। हमारा सेस तो रस पर न होकर जो कोल्हू गन्ना पेरता है उस पर है और वह कोल्हू सम्बन्धित होगा राब से खांडसारी से या गुड़ से। अगर कोई एक जगह बैठ कर ७, २५ या १०० किसान ७ या अधिक कोल्हू चलाते हैं तो निश्चय ही वह हमारी परिधि में आ जायगा। वे उससे क्या बनाते हैं, इससे मुझे कोई तात्पर्य नहीं है। वे रस बेच देते हैं या खेत में डाल देते हैं, इससे मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। ७ या अधिक कोल्हुओं की पिराई से जो रस निकलेगा उस पर यह टैक्स है।

श्री उग्रसेन—(जिला देवरिया) माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया कि वह रस पर टैक्स नहीं लगाते हैं, केन पर लगाते हैं जो कोल्हू में या क्रशर में पेरा जाय। मैं यह पूछता हूं कि जब गन्ना कोल्हू या क्रशर में पेरा जाता है तो उससे निकलता क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस प्रकार का तर्क करने से मेरे खयाल से कोई लाभ नहीं है। माननीय सदस्य को शायद हो। मैं फिर निवेदन करूं। इस कानून का इंटरप्रेटेशन अपनी जगह पर है। लेकिन मेरा मंशा यह है कि एक यनिट पर ७ या अधिक कोल्हू

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

हों या विद्युत से चलने वाला क्रशर हो, जो रस निकलता है, उसका जहां सम्बन्ध है, उसके सिलसिले में एक यूनिट हो, वह यूनिट एक किसान के कोल्हू पर नहीं है, एक बेलिया के ५ या ६ कोल्हू पर नहीं है, एक बेलिया के ७ कोल्हुओं पर या कई किसानों के ७ कोल्हुओं पर है। मैं शब्दों में ही सफाई कर सकता हूं।

एक बात और कह दूं और वह भाई जगदीशशरण जी ने पूछी थी कि ये बेल कितने होंगे। मैंने कहा था कि ६९ ने हमारे यहां अर्जियां दी हैं। कुल जमा १,११३ ऐसे बेल होंगे जो ७ या ७ से अधिक कोल्हुओं के ऊपर आश्रित हैं। इसलिये इस कानून की परिधि में ये १,११३ कोल्हू आने वाले हैं, ऐसा हमारा विश्वास है।

एक और भाई ने कहा, और बिल्कुल ठीक कहा, कि सच पूछिये तो किसान इन बेलों पर इसलिये जाता है कि चाहे उसे पैसा कम मिलता हो लेकिन उसका खेत जल्दी खाली हो जाय। मैंने भी कल बिल्कुल यही बात कही थी और यह बात है। खेत को जल्दी से जल्दी खाली करा सकने की व्यवस्था करना हम सबका फर्ज है लेकिन जल्दी करने पर भी कुछ वक्त तो लग ही जाता है। एक मिल ६० हजार मन गन्ना पेरती है लेकिन वह भी एक दिन में सब किसानों का गन्ना नहीं पेर सकती। उसके लिये पर्ची सिस्टम लागू किया जाता है। यह दिक्कत है। इसको कम करने के बारे में तो सोचा जा सकता है लेकिन उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। गरमी में रेलगाड़ी में चलने में दिक्कत होती है और एंजिन में जो आदमी काम करता है उसको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है लेकिन उन दिक्कतों को बर्दाश्त ही करना पड़ता है अगर हम समाज को चलाना चाहते हैं तो।

एक साहब ने कहा कि अगर कोई शख्श अपने ही फार्म का गन्ना पेरता है तो? उन्होंने यह भी कहा कि क्या सहकारी समितियों को भी कुछ रियायत होगी। यह प्रश्न विचारणीय है। इसको करने के लिये दूसरी मदों में गुंजाइश है। उनको कुछ रिआयत देने पर हम विचार कर सकते हैं। रही दूसरी बात कि जो अपने फार्म का गन्ना पेरता है उसके बारे में क्या हो। मान लिया जाय किसी फार्म का गन्ना १० हजार मन होता है और अब वह ११ हजारवां मन भी बाहर का पेरना चाहता है क्योंकि क्रशिंग सीजन तो बहुत बड़ा होता है। अब यह बात कैसे साबित होगी कि वह गन्ना उसका था या बाहर का। कुछ साहबान बार बार कहा करते हैं कि आपके कर्मचारी कुछ काम नहीं करते हैं, केवल भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अगर वे लोग कहते हैं कि तुम दूसरे फार्म का भी पेर लो लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमें भी दो, इसकी रोक कैसे होगी? अब जो पावर क्रशर लगाता है उसको हम दूसरे किसानों से कुछ ऊंचा तो समझते ही हैं और इसीलिये उस पर कुछ बोझा डालना चाहते हैं।

अब रही बेलिया से किसानों को ठीक पैसा दिलाने की बात। शाहजहांपुर के एक भाई ने कहा कि जिस प्रकार मिलों से पैसा गन्ने का दिलाया जाता है उसी प्रकार से बेलियों से भी दिलाया जाय। यह बात सही है कि जिस प्रकार मिलों के लिये दाम निश्चित है उस प्रकार से बेलों के लिये निश्चित नहीं। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करना न चाहते हों लेकिन उसके एनफोर्समेंट में कुछ डिफीकल्टीज हैं उनके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते अवश्य हैं कि इन क्रशर्स से भी गन्ने के दाम किसान को ठीक-ठीक मिलें और कोई और सुलभ रास्ता निकल सके, उस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं तो काश्तकारों को यह सलाह दूंगा कि अगर बेलों से उनको ज्यादा पैसा भी मिले तो महज इस कारण से उनको अपना गन्ना न दें।

आज शंशीधर जी ने मुझसे एक बात कही कि गन्ने की सप्लाई के विषय में जो बात है उस पर विचार करने की जरूरत है कि किस प्रकार से मिल के घेरे में छोटे उद्योगों को चलाया जा सके इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन उस पर अलहदा से विचार हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अच्छे किस्म का गन्ना जिस पर डेवलपमेंट का रुपया लगा हुआ है, अगर वह सारा गन्ना इस तरफ चला जाय तो बड़ी गलती होगी। एक भाई ने कहा कि इधर ३३

प्रतिशत ही खपत तो है। ठीक बात है। किसी आदमी से खून चाहिये। खून मिल सकता है, कई जगहों से मिल सकता है, लेकिन अगर आंख से खून लिया जाय तो ? अब इसी तरह से मिलों को जितना गन्ना चाहिये वह रिजर्व एरिया के अन्दर का गन्ना जाय जो कि उसके नियरेस्ट प्रोक्सिमिटी में गन्ना हो और जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च हुआ है। नागर जी ने बतलाया कि इस तरह से इधर तो खांडसारी को गन्ना मिलेगा और मिल वालों के लिये गायब हो जायगा। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि मिलें बहुत देर में कीमत देती हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि सब मिलें ऐसी नहीं हैं। बहुत सी मिलें तो ऐसी हैं जहां बहुत जल्दी गन्ने की कीमत मिल जाती है। कुछ तौल आदि की शिकायत भी की गयी। मैं उसके लिये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता होगा लेकिन अगर कोई भाई इस तरह की शिकायत सरकार के नोटिस में लायेंगे तो उसकी जांच अवश्य की जायगी। यह बिल इसीलिये इस नीयत से लाया गया है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो और आपस में किसी तरह की एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा न हो। इसी भावना से यह काम किया जा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय रामायणराय जी भवन की इस भावना को समझ कर अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करेंगे।

कुमारी कमलकुमारी गोईदी (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि खांडसारी की कीमत इस वक्त बाजार में १ रु० ६ आने सेर है जब कि चीनी की कीमत १ रु० आध आना सेर है और अगर आप इस प्रकार से टैक्स लगायेंगे तो वह खांडसारी बाजार में किस भाव पर बिकेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर इसका पूरा बोझ तो कंज्यूमर्स के ऊपर ही पड़ेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपाध्यक्ष जी, इस बात पर तीन रोज से बहस चल रही है। सारी रामायण कई बार पढ़ ली लेकिन यह बतलाना मुश्किल है कि राम किसका लड़का और रावण किसका बाप। जिस वक्त केन सेस बिल आयेगा उस वक्त मैं प्राइस डिफरेंशल और टैक्स डिफरेंशल के सम्बन्ध में बतला सकूंगा जिससे आपको मालूम हो जायगा कि इसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित नये खंड (क-१) की पंक्ति ४ के शब्द "जो" तथा शब्द "यन्त्र" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---४६,

विपक्ष में---३४।)

श्री गौरीशंकर राय---दरवाजे लाबी के बन्द नहीं किये गये थे, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि नियम यह है कि लाबी के बाद के दरवाजे बन्द होते हैं लेकिन लाबी के दरवाजे बन्द नहीं होते। भविष्य के लिये आप को यह जानकारी करा दी गई है।

श्री राजनारायण---इस बात को भी स्पष्ट कर दिया जाय, उधर की भी लाबी है, घंटी बजते समय तक अगर लाबी में भी लोग बैठे रहें तो बन्द हो जाने के बाद आ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---मतगणना तक जो आयेंगे उनकी गिनती होगी, जैसे श्री मदन पांडेय बाद में आये उनकी नहीं होगी, अगर कोई लाबी में बैठे हों वह मतगणना से पहले आ सकते हैं। मैंने साफ बता दिया कि जिस समय घंटी बन्द होती है ठीक उसी समय सामने के दरवाजे और

[श्री उपाध्यक्ष]

लाबी के उधर के दरवाजे बन्द हो जाते हैं और हर माननीय सदस्य को जो लाबी में बैठे हों अन्दर आने का अधिकार है।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सारे विश्व में यह प्रजातंत्र प्रणाली है कि यदि इस प्रकार सरकार का प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार की यह शराफत होती है कि वह इस्तीफा दे देती है। मेरा विश्वास है कि सरकार....

श्री उपाध्यक्ष---आप मांग कीजिये सरकार से....

श्री गौरीशंकर राय---मतलब मेरा यह है कि अगर उनको हया है, वे प्रजातन्त्र व्यवस्था मानते हैं तो वे अवश्य इस्तीफा देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था मांग रहा हूं कि सरकार की जो पराजय हुई है वोटिंग में, तो इसके फलस्वरूप सरकार की क्या पोजीशन है? इसको जान लेने के बाद ही हम आगे चलना चाहते हैं। सरकार जब हार चुकी है तो ऐसी हालत में इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि अपने बिल को वह आगे बढ़ावें या नहीं या इसको अपना सैंक्शोर मान लें। इसलिये सरकार को मौका दिया जाय कि वह विचार करे और विचार करने के बाद फिर विधेयक को लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने जो विधेयक है उसकी कार्यवाही का मैं संचालन कर रहा हूं। सरकार का क्या कर्तव्य है और आपकी क्या मांग है, यह आप सरकार से कहिये। मेरे सामने संशोधन के पक्ष में बहुमत आया इसलिये वह स्वीकृत हो गया। अब आगे कार्यवाही होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब कभी इधर से डिवीजन मांगा गया तो लाबी के दोनों दरवाजे खुले रहे और आज जब उधर से डिवीजन मांगा गया तो हमारी लाबी के किवाड़ बन्द हो गये।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर बन्द हुए तो गलत हुए और इसकी जांच होगी कि कैसे बन्द हुए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है उसके मुताबिक लंच आवर में कोई वोटिंग नहीं होना चाहिए और १ बजे से....

श्री राजनारायण--- लंच आवर तो खत्म हो चुका है।

श्री गोपीकृष्ण आजाद (जिला बांदा)---श्रीमन्,हम लोग आ गये थे लेकिन दरवाजे बन्द थे इसलिये निकलने नहीं पाये।

श्री गौरीशंकर राय---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जो गैरहाजिर थे उन पर फाइन न किया जाय। उनकी गैरहाजिरी माफ करने की व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय जगदीशशरण जी, आपका यह संशोधन तो बेकार हो गया क्योंकि 'बैलों' शब्द नहीं है इसलिये 'पशुओं' का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री रामायण राय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "गुड़, राब या" निकाल दिये जायं। इसमें मैं कुछ और निवेदन नहीं करना चाहता हूं; केवल मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि कम से कम गुड़ और राब को तो निकाल ही दें।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब इससे पहला संशोधन मान लिया गया तो "मैकेनिकल" शब्द निकलने के बाद इस पर बहस की क्या जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, यह दूसरा है। उसमें तो इतना ही निकला है "बैलों द्वारा चालित सात या अधिक कोल्हुओं की या"।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो संशोधन रामायणराय जी ने दो शब्दों में पेश किया है उसके लिये उनको धन्यवाद, क्योंकि कल से आज तक सदन का काफी समय इस चर्चा म लग चुका था और आशा है यही प्रगति बराबर बनी रहेगी। प्रस्ताव में कहत हैं कि गुड़ और राब निकाल दिया जाय। अब गुड़ और राब के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। हम उस गुड़ और राब को इस बिल की परिधि में नहीं ला रहे हैं जो घरों में या छोटे-छोटे किसानों के द्वारा बनाया जा रहा है। हम तो सिर्फ उनको ला रह हैं जो १, २ लाख की पूंजी लगा कर इस काम को करते हैं। और चूंकि वे इस बड़ी पूंजी के साथ इस काम को करते हैं उसका नतीजा क्या होता हैं? यह होता है कि उनका बनाया हुआ गुड़ और राब सस्ता पड़ता है बमुकाबले उसके जो किसान ट्रेडीशनल मेथड से बनाता ह। इसका नतीजा यह होगा कि बाजार धीर-धीर इनका हो जायगा और जो प्रतिस्पर्धा मिटाने की उधर से बात की जाती है उसको एक तरह बल मिलेगा और वह बल इस तरह आ जायगा कि ट्रेडीशनल मेथड से जो हमारे प्रदेश में गुड़ और राब का काम होता है वह स्वयं खत्म हो जायगा। यही नहीं, इसका असर यह भी होगा कि छोटे-छोटे उद्योग खत्म हो जायंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर गन्ने की पेराई का वह सवाल जो उधर परेशान किये हैं, उसके पेरने के साधन भी एकत्रित नहीं होंगे। क्योंकि लाख, दो लाख रुपया खर्च करके इतने सारे क्रशर्स नहीं लगन वाल हैं कि जो बच हुए गन्न को पर ल। इस तरह किसान को भी असुविधा हो जायगी। इसलिये किसान की वृष्टि से भी यह संशोधन नामुनासिब है।

तीसरी बात यह है कि उधर के जो लोग हैं उन्होंने अपनी बहस में दुधारी तलवार चलाई। जिधर से लगे उधर से ही लगाने की चेष्टा होती ह। एक तरफ तो कहा जाता ह कि बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देते हो और दूसरी ओर खुद ट्रेडीशनल मेथड को खत्म कराना चाहते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि किसके पक्ष में यह संशोधन जाता है। मेरी समझ में यह उन लोगों की तरफ जाता है जो छोटे उद्योगपति नहीं हैं, जो लोग ग्रामोद्योगी कामों में नहीं लगे हुयेहैं बल्कि मझले दर्जे के जो उद्योगपति हैं, जो बड़ी और काटेज इंडस्ट्री के बीच का नया तबका हमारे प्रदेश में हो रहा है। मैं मानता हूं कि वे भी आवश्यक हैं लेकिन धीरे-धीरे उनकी जो तादाद है वह बढ़ने वाली है क्योंकि उसका सम्बन्ध है पूंजी इकट्ठा होने से। और जैसे-जैसे कैपिटल फारमेशन होकर लोगों की जेब में आवे जिससे वे इंजन लगा सकें, सल्फोटेशन प्लान्ट्स को लगा सकें, गुड़ और राब बनाने के क्रशर्स को लगा सकें उस वक्त हमको किसी तरह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो हमारे ट्रेडीशनल मेथड से काम हो रहे हैं उनको चोट पहुंचावें।

एक बात और कहना चाहता हूं। आखिर गुड़ और राब को क्यों निकाला जाय, इसका कोई कारण उधर से नहीं आया, यह नहीं कहा गया कि वह यह बोझ नहीं उठा सकता। यह भी नहीं कहा गया कि फी मन यह बोझ कितना होगा, इसकी बाजार कैसी होगी या गुड़ व राब पर यह बोझ पड़ेगा तो उसकी चलन बन्द हो जायगी। जब कोई तर्क उधर से न हो और तर्क हीन बात इसलिये कही जाय कि जल्दी में इस सदन में शायद थोड़ी देर के लिये तादाद ऊपर नीचे हो जाय और चटपट पास कराने की चेष्टा की जाय, उससे कोई बात सिद्ध नहीं होती। केवल यह सिद्ध होती है जो उधर के लोगों के खिलाफ जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जल्दी-जल्दी पास कराने की तवक्को और उम्मीद उधर से है वह पूरी होने वाली नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---संक्षिप्त होइये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मुझे खुशी इस बात की है कि आज उधर से भी संक्षिप्त होने की बात कहा जा रही है। यही बात मदन पांडेय जी, गेंदासिंह व प्रतापसिंह जी जब हम भी जल्दी करें, तो याद रखेंगे और हमारी जल्दी में मदद करेंगे जैसे हम आज उनकी जल्दी में मदद कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपकी जल्दी का जो फल मिलना चाहिये वह आपको शीघ्र मिल जायगा।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। गुड़ और राब की यह नई दोस्ती की चर्चा व दावा जो उधर से आज हो रहा है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बातों से दोस्त बनते हैं तो उधर के लोग गुड़ व राब वालों के दोस्त बन गये और अगर कामों से बनते हैं तो उसका सबूत मैं देने के लिये तैयार हूं। लाखों रुपये की सबसिडी राब व गुड़ योजना को दी गयी। गुड़ योजना के अन्तर्गत कढ़ाई व भट्टी का सुधार कर डिमांस्ट्रेशन का जाल फैलाने की जिन्होंने कोशिश की वे गुड़ के दुश्मन बने, लेकिन लोग बातों-बातों में गुड़ वालों की दोस्ती का दावा करने लगें, यह अनोखी बात है। सदन के बाहर गुड़ बनाने वाले, व्यापारी लोग इतनी समझ बाकी रखते हैं कि बातों व कामों में कितना अन्तर मानना चाहिये।

आखिर में मैं इतना कहूंगा कि गुड़ और राब का बोझ इतना कम है कि उसको उठाने की उनमें सामर्थ्य है जो मैकेनिकल प्रोसेस व पावर से उसे चलाना चाहते हैं। इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वह बोझ किसान पर न आने पाये, इसकी हम कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे कि यह बोझ किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो जीवन भर के लिये हम बोझ नहीं डाल रहे हैं, उस हानि व नुकसान को हम नहीं होने देंगे। मैं इस सदन को और इस सदन के द्वारा सारे प्रदेश के लोगों को जो इन उद्योगों में दिलचस्पी रखते हैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके हितों के संरक्षण में न हमने कोताही की है, न आज कोताही करने का इरादा है और न कल कोताही करने का इरादा है। इन शब्दों के साथ जो संशोधन रामायणराय जी ने बिना तकरीर के पेश किया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन उसे अस्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से जो यह संशोधन है उसका समर्थन करता हूं और इस हाउस ने इस विधेयक में जो सुधार किया है उसी के सिलसिले में यह भी सुधार उचित होगा और जो परिभाषा रखी गयी है उसमें गुड़ व राब का निकाल दिया जाना उचित होगा।

अब यह विधेयक दूसरे रूप में चल रहा है और जिस रूप में चल रहा है उस रूप में यह आशा की जाती है कि जो संशोधन रखा गया है यह भी इस रूप से माने जाने योग्य है। अतः मैं चाहूंगा कि इसका समर्थन हाउस करे।

श्री रामायण राय---मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन मान लें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "गुड़ राब या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में---५४,

विपक्ष में---६३।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी, आपके नाम लिखा हुआ है कि खंड ३ का आप विरोध करेंगे तो क्या अब भी आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह---जी हां। यह संशोधन अगर स्वीकृत हो गया होता तो कम आवश्यकता पड़ती। लेकिन यह संशोधन बदकिस्मती से अस्वीकार हो गया और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावनाओं को इस समय व्यक्त करने से रोक नहीं सकता। और मैं सदन में सब से पहले यह बात कहना चाहता हूं कि दो खुशियां हमारे सामने हैं। एक तो यह कि आप जिस पुनीत कार्य में हम से विलग हुये थे, उसके करते हुये और उसके लिये कष्ट उठाते हुए आज फिर से आप इस स्थान पर विद्यमान हैं....

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि चूंकि केस सबजुडिस है इसलिये इसका जिक्र न करें तो अच्छा हो।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन, मैं यह कह रहा हूं कि मैं आपको यहां देख रहा हूं....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उपाध्यक्ष की हैसियत से किसी काम में गये थे या श्री रामनारायण त्रिपाठी की हैसियत से गये थे?

श्री गेंदासिंह---श्रीमन, मैं बहुगुणा जी को उनके पड़ोसी बुजुर्ग की तरफ ध्यान दिला-ऊंगा जो इसी कुर्सी पर विद्यमान थे---माननीय टंडन जी। मुझे याद है जब माननीय जहीरुल हसन लारी ने आपत्ति की थी कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं और आप इस कुर्सी पर भी हों तो निष्पक्ष कैसे कहे जा सकते हैं। इसके ऊपर जो उन्होंने उत्तर दिया था उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा और कहना चाहता हूं कि उनका उत्तर सही था और उस उत्तर के बाद भी वह आज हमारे आदर के पात्र बने हुये हैं। जो इशारा माननीय बहुगुणा जी का उपाध्यक्ष महोदय की तरफ था वह सर्वथा अनुचित था; और मैं समझता हूं कि वह उचित कार्य था। माननीय रामना-रायण ने किया या उपाध्यक्ष महोदय ने किया, इसका बांटना मुश्किल काम है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बहुगुणा जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने, जब रामनारायण जी को गिरफ्तारी का तार आया था, उसकी सूचना देते हुये कहा था और उन्होंने स्वत: यह कहा था कि रामनारायण जी एम० एल० ए० भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। इस बात को अध्यक्ष महोदय ने स्वत: कहा था। तो यह निश्चित बात है और निर्विवाद है और उन्हें समझ लेना चाहिये कि रामनारायण जी भी इंसान हैं, एम० एल० ए० भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं और उनकी गिरफ्तारी सरकार के काले कारनामे को तोड़ने के लिये हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष---जो प्रश्न बहुगुणा जी ने उठाया है उस पर जो राय माननीय गेंदासिंह तथा राजनारायण जी ने दी वह सर्वथा उपयुक्त है। मैं विधान सभा का उपाध्यक्ष हूं और जब मैं बाहर जाता हूं तो यह पद मुझ से अलग नहीं हो जाता है। लेकिन विधान सभा क उपाध्यक्ष की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी अलग है। मेरा कर्तव्य है कि जब मैं यहां होऊं तो किसी पार्टी पोलिटिक्स को अपने दिमाग में न आने दूं। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तो पार्टी का सदस्य हूं और एक बहादुर और वफादार सिपाही के नाते मेरा कर्त्तव्य है कि जो वह आदेश देगी उसका मुझे पालन करना पड़ेगा। जहां तक सक्रिय आन्दोलन में भाग लेने का सवाल है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जहां तक विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने का सवाल है, मैं विधान सभा का सदस्य भी हूं, इस हैसियत से मैं विधान सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता हूं। लेकिन मैं एक परम्परा का पालन कर रहा हूं और वह यह है कि हाउस आफ कामन्स के जो उपाध्यक्ष हैं वह सदन के वाद-विवाद में हिस्सा नहीं लेते हैं, न डिवीजन में हिस्सा लेते हैं और न प्रश्न ही पूछते हैं लेकिन सदन के बाहर वह राजनीति में हिस्सा लेते हैं, उसी परम्परा का पालन मैं भी कर रहा हूं। मेरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने में किसी वैधानिक या टेक्निकल प्वाइंट के कारण कोई रुकावट नहीं है बल्कि यह परम्परा का सवाल है और बहुगुणा जी को मालूम होगा कि अन्य प्रदेशों में आज कोई भी कांग्रेस का उपाध्यक्ष नहीं है जो सदन में भी सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा न लेता हो। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़ा हूं, क्योंकि मैं सदन की कार्यवाही में भाग

[श्री उपाध्यक्ष]

नहीं लेता। केवल सदन के बाहर सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता हूं। समाजवादी पार्टी ने अन्त में यही फैसला किया था कि मुझे सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। उसी परम्परा का पालन मैं कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश अब मैं उस पार्टी में नहीं हूं लेकिन जिस पार्टी में मैं हूं, सोशलिस्ट एकता पार्टी, उसका भी आदेश यही है कि मुझे सदन के बाहर पार्टी के वफादार सिपाही की हैसियत से उसके हुक्मों का पालन करना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद भी मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा और सदन को मेरे ख्याल में इस बात का विश्वास और सन्तोष है कि इस चेयर पर बैठ कर मैंने कभी भी अपने दिमाग में पार्टी पालिटिक्स को स्थान नहीं दिया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस अवसर पर एक बात कह दूं कि समाजवादी पार्टी में जब आप थे तो उसका भी आदेश यही था। दिन भर का भूला भटका अगर शाम को आ जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात यहां उठाने की नहीं थी लेकिन राजनारायण जी ने उठा दी। जिस समय विधान सभा समाजवादी पार्टी ने यह मांग एक स्वर से की कि एक परम्परा यह कायम होनी चाहिए कि मुझे राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय समिति ने इस बात को नहीं माना। मैंने फिर उनको लिखा कि हमने विशेष परिस्थितियों के अन्दर ऐसा चाहा है और यह प्रयत्न किया है। लेकिन इसके बावजूद २५ सितम्बर, १९५७ को उन्होंने यह फैसला किया कि मुझे राजनीति में पूर्ववत् हिस्सा लेना चाहिए और राजनारायण जी ने २० सितम्बर, १९५७ को आन्दोलन वापस कर दिया। पांच दिन के बाद मेरे मामले में अन्तिम रूप से फैसला हुआ। तो कैसे मैं उस आन्दोलन में हिस्सा ले सकता था? मैं राजनारायण जी को बतला दूं कि उसी आदेश के अनुसार, जब सुल्तानपुर में फूड एजिटेशन हुआ और दफा १४४ लगी, तो उसे मैंने तोड़ा, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि और १३ आदमियों को गिरफ्तार कर सभा ही को भंग कर दिया। तो मैंने कोई नयी बात नहीं की है। मैं उसी परम्परा का पालन कर रहा हूं---सदन में पूर्णतया निष्पक्ष और बाहर पार्टी के एक वफादार सिपाही की हैसियत से काम करना।

(शोर)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मैंने तीन दिन से निवेदन नहीं किया है। माननीय गेंदासिंह जी काफी बोल चुके हैं। श्रीमन्, मुझे अंग्रेजी बोलने वालो पर विश्वास नहीं है। जो अंग्रेजी ज्यादा पढ़ता है दुनिया में धक्का खाता है। मैंने देख लिया। राजू पक्का सोशलिस्ट था लेकिन अंग्रेजी बोलता था। वह चला गया। इन अंग्रेजी पढ़ने वालों का कोई विश्वास नहीं है। आज यहां और कल वहां।

श्री गेंदासिंह---हमारा यह सौभाग्य है कि आप जैसा उपाध्यक्ष आज हमारे यहां मौजूद है। मैं समझता हूं कि हमारी इस भावना का प्रतिपादन और समर्थन सारा सदन करता है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि अगर रामायणराय जी का संशोधन स्वीकार हो गया होता तो मेरी विरोध करने की ताकत कम हो जाती। मैं बिलकुल स्पष्ट कर दूं। मैं बिलकुल सोलह आने विरोधी हूं कि किसी प्रकार की पाबन्दी इन छोटे उद्योग-धंधों पर लगायी जाय। कुछ भाइयों ने यह कहा है कि ये जो छोटे उद्योग धंधे हैं वे भी शोषण करते हैं। मैं भी मानता हूं कि कोई उद्योग जिसमें सौदा खरीद कर और कुछ मजदूर लगा कर उस काम को चलाया जायगा तो हर पैसा लगाने वाला कुछ मुनाफा खाने के लिए ही उसको करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन हमको देखना यह है कि एक तो ऐसे करोड़पति हैं कि जो लाखों गरीबों का कच्चा माल लेकर के और हजारों मजदूरों को इकट्ठा करके वह किस डिग्री तक शोषण करते हैं और दूसरे ये जो छोटी पूंजी वाले हैं यह किस सीमा तक शोषण करते हैं? यह बहुत साफ बात है और इसका विरोध करते हुए मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्यों विरोध करना चाहता हूं, क्यों इस सारे विधेयक का विरोध करते हुये मैं शुरू से चला आ रहा हूं और मैं अन्त तक इसका विरोध करूंगा?

इसका कारण केवल इतना है कि जब मैं यह देखता हूं उत्तर प्रदेश में कि हमारी गाढ़ी कमाई का, खून और पसीना एक करके पैदा किया हुआ जो हमारा गन्ना है, उस गन्ने को मिल वाले सस्ती कीमत पर लेते हैं बनिस्बत इन छोटे-छोटे लोगों के जिनको कि शोषक कुछ लोग कहते हैं, उन शोषकों की दृष्टि से भी मैं कहता हूं कि उनसे कम कीमत पर गन्ना मिल वाले खरीदते हैं। इसका उदाहरण एक बार नहीं अनेक बार रखा जा चुका है।

मैं सदन का समय उसमें नष्ट नहीं करना चाहता। आपने स्वतः माना है, इस विधेयक का जो प्रिऐम्बिल है, जो भूमिका है और जो उद्देश्य बताया गया है, उसी में यह कहा गया है कि ये खांडसारी वाले और छोटे-छोटे उद्योग धंधे वाले गांवों में जो हैं वे गन्ना मिलों का खरीद लेते हैं और किसान उनको गन्ना बेच देते हैं, मिलों में नहीं ले जाते। तो, आखिर, इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा मोटा है कि उनको सुविधा होती है अपना गन्ना उनके सुपुर्द कर देने में। बड़े-बड़े मिल वालों के पास जब जाते हैं तो उन्हें उसके ढोने का खर्चा देना पड़ता है, कामदारों को रिश्वत देनी पड़ती है और पुर्जियां खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, इन सबसे वह बच जाता है और इसके बाद भी तीसरी चीज यह है कि ये मिल वाले उसे गन्ने की कीमत भी उससे कम देते हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए गांव का किसान चाहता है कि हम अपना गन्ना यहां बेच डालें। इस डेमोक्रेटिक दुनियां में, प्रजातान्त्रिक दुनियां में, अपने सौदे को बेचने के लिए वह अगर कुछ सौदागरी कर लेता है तो उसमें सरकार का क्या बिगड़ता है?

दुनिया के तमाम लोग जो हैं, चीनी बेचने वाले, अपनी चीनी अच्छी कीमत पर बेचने के लिए मालूम नहीं कहां तक चले जाते हैं। लेकिन जो गन्ना बेचने वाला है उसे रिजर्व कर दिया गया है और सारी पाबन्दियां उस पर लगा दी गई हैं कि वह बड़ी मिलों के पास ही जाय। मैं समझता हूं कि उसको अच्छी कीमत अगर छोटे उद्योग धंधे वालों के यहां मिल जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और आपसे बार-बार मैं इसको स्पष्ट करता हूं कि मैं यह समझता हूं, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं, कि मैं उनको किसान समझता होऊं। मैं उनको किसान नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि वे दूसरों से गन्ना खरीद कर के अपना कोल्हू या अपनी मशीन चलाते हैं। मैं बहुगुणा जी से साफ कहना चाहता हूं और दूसरे माननीय लालबहादुर जी से भी मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह हमारा बड़ा भाग्य होता....

श्री राजनारायण---यह लालबहादुर जी से इतनी दोस्ती कैसे है?

श्री गेंदासिंह---अब है, आपसे भी है, उनसे भी है, बनारस वालों से सबसे है। सबसे मुहब्बत है, केवल डिग्री का फर्क है....

एक सदस्य---उस डिग्री का भी पता चल जाय....

श्री गेंदासिंह---वह तो पता चल जायगा, मुहब्बत करते वक्त। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात हंसी में लोग उड़ा देते हैं। मैं यह कह रहा था कि मैं इसका विरोध जो कर रहा हूं उसका बहुत उत्तम और बड़ा मोटा कारण है। मैं लालबहादुर जी का जिक्र इसलिए कर रहा था---मैं वह बात भूल न जाऊं---उन्होंने कहा कि खांडसारी वालों से भी कुछ लोग पैसा लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारा बड़ा भाग्य होता यदि खांडसारी वाले कुछ पैसा हमको देने का यत्न करते। वह अगर पैसा हमको दे सकें तो मैं समझता हूं कि खांडसारी वालों के पैसे से हमारा समाजवाद नष्ट नहीं होगा। समाजवाद नष्ट होगा करोड़पतियों और मिल ओनर्स के पैसे से। उनका जो पैसा आता है, माननीय बहुगुणा जी बुरा न मानेंगे, वेज बोर्ड के सामने जितने बैलेंश शीट पेश हैं, मैं बम्बई गया था तो उनको देखने का मुझे मौका मिला.....

श्री गेंदासिंह---वह तो पता चल जायगा, मुहब्बत करते वक्त। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात हंसी में लोग उड़ा देते हैं। मैं यह कह रहा था कि मैं इसका विरोध जो कर रहा हूं उसका बहुत उत्तम और बड़ा मोटा कारण है। मैं लालबहादुर जी का जिक्र इसलिए कर रहा था---मैं वह बात भूल न जाऊं---उन्होंने कहा कि खांडसारी वालों से भी कुछ लोग पैसा लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारा बड़ा भाग्य होता यदि खांडसारी वाले कुछ पैसा हमको देने का यत्न करते। वह अगर पैसा हमको दे सकें तो मैं समझता हूं कि खांडसारी वालों के पैसे से हमारा समाजवाद नष्ट नहीं होगा। समाजवाद नष्ट होगा करोड़पतियों और मिल ओनर्स के पैसे से। उनका जो पैसा आता है, माननीय बहुगुणा जी बुरा न मानेंगे, वेज बोर्ड के सामने जितने बैलेंश शीट पेश हैं, मैं बम्बई गया था तो उनको देखने का मुझे मौका मिला.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका जिक्र न कीजिये नहीं तो और भी बातें सामने आयेंगी।

श्री गेंदासिंह---मैं तो कहता हूं कि वे सब बातें सामने आयें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि खांडसारी वालों से हमको पैसा मिले पर हम पैसे वालों से बचना जरूर चाहते हैं। जिन पैसे वालों के बल पर आज यह काम हो रहा है, जिन पैसेवालों से आज पैसे की जरूरत है, उन करोड़पतियों के पैसे से हम हर विरोधी पार्टी वाले चाहते हैं कि बचे रहें। हमारी कठिनाई तो यह है कि पैसा लेने वाला हमको कहा जाय और खांडसारी वालों को तलाश किया जाय तो पता चलेगा कि खांडसारी वाले उधर बैठे हुये हैं। उसी दल में ज्यादा लोग खांडसारी वाले नजर आयेंगे।

मैं अपने सामने देख रहा हूं। अगर मैं गलती नहीं करता तो अग्रवाल साहब कृषि उपमंत्री जी बैठे हुये हैं, उनका भी कुछ सम्बन्ध खांडसारी से है। जगदीशशरण जी बैठे हुये है, उनका भी कुछ सम्बन्ध खांडसारी से है। अब आप मेहरबानी करके यह बताइये कि ये खांडसारी वाले जगदीशशरण जी और अग्रवाल जी हमको पैसा देते हैं? कृपा करके ऐसा शक न कीजिये। पर हम चाहते हैं, भगवान वह दिन आये, कि उनसे हमको पैसा मिले। हम उनसे पैसा लेंगे। इसके कहने में हमको संकोच नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यह समाज इन करोड़पतियों से बननेवाला नहीं है। करोड़पति तो समाज को बिगाड़ता है। जो समाज के नियम हैं और जिन बातों से समाज की स्थापना होती है उनको आप देखिये। उसमें यह साफ है कि जिनके पास सम्पत्ति ज्यादा है उनकी कम होनी चाहिये और जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाना चाहिये और उनकी सम्पत्ति बढ़ानी चाहिये लेकिन मध्यम वालों से दोस्ती के बिना समाजवाद कायम नहीं हो सकता। आप ऊपर वालों से दोस्ती चाहते हैं और नीचे वालों से भी दोस्ती चाहते हैं। ऊपर वालों से जो आप दोस्ती चाहते हैं मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि खांडसारी वाले हमको पैसा देते हों या नहीं, लेकिन हम उनसे दोस्ती चाहते हैं। राब वालों से भी दोस्ती चाहते हैं और समझ बूझ कर दोस्ती करना चाहते हैं। हम जरूर यह कहेंगे कि अगर इनकी दोस्ती हमसे हो सके तो अच्छा है। मगर ये अग्रवाल जी और जगदीशशरण जी दोस्त किसके रहेंगे, यह जरा खयाल करने की बात है। इतना होने के बाद भी क्या वह हमसे दोस्ती करेंगे? हमारी बदकिस्मती तो यह है कि हजार कोशिश करने पर भी उनसे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। वह उनके ही दोस्त रहेंगे जिनका वह साथ देते हैं। इस वजह से मेरा निवेदन है कि मेरी बातों पर आप जरा ध्यान दें और मैं यह चाहता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री राजनारायण---बहुगुणा जी को आश्चर्य होगा कि जब सुबह मेरा प्रथम भाषण हुआ था तो उसको मैंने एक मिनट में ही समाप्त कर दिया था और जिस आश्वासन पर किया था वह आश्वासन कुछ पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कुछ सफाई नहीं हुई, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो रफ्तार चल रही है वह चले। कुछ लोगों का यह खयाल है कि चीन पर बहस २८ तारीख को हो जाय और उस दिन मैं यहां नहीं रहूंगा, तो यह उनका खयाल गलत हो सकता है और शायद उस दिन मैं यहां रह जाऊं....

श्री उपाध्यक्ष---क्या कोई इस तरह की चीज सवेरे तय हुई थी?

श्री राजनारायण---मैं कल आखिर में बोलने के लिये खड़ा हुआ था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह विषय चीन वाला कल पांच बजे से बहस के लिये आयेगा। आज सवेरे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब तक ये पांचों विधेयक पास न हो जायं तब तक चीन पर बहस शुरू नहीं होगी। उसमें जिला परिषद् आदि पांच विधेयक हैं। हमने कहा कि जब यह दबाव रख कर चाहते हैं कि आज ही यह पांच विधेयक पास हो जायं तो उनका मन्शा यह है कि हम यहां पर नहीं रहेंगे २८ तारीख को उस दिन उस पर बहस हो जाय, क्योंकि उस दिन हमारी एक कान्फ्रेन्स

होने वाली है। वह समझते हैं कि उस दिन मैं यहां नहीं रहूंगा और चला जाऊंगा। अगर चौथा वाला प्रस्ताव २८ तारीख को आयेगा तो ज्यादा सम्भावना है कि मैं यहां रह जाऊं....

श्री उपाध्यक्ष---सरकार की तरफ से कुछ सफाई हो जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वह अध्यक्ष की बात कह रहे हैं। मैं अध्यक्ष की तरफ से कहने वाला कौन हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---क्या यह शर्त आवश्यक है कि पांचों विधेयक पास हो जायं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इत्तला के लिये मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि आप लोग भाषणों में रिपीटीशन न करें और मैं आप लोगों पर कोई रोक नहीं लगाऊंगा। ऐसी बात भी हुई थी। श्रीमन, चूंकि आप उस समय नहीं थे इसलिये स्पष्ट कर देना ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि जो आप लोगों को सुविधाजनक और लाभदायक मालूम हो वैसा आप लोग करें।

श्री राजनारायण---तो, इस खंड के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। खंड ३ के बारे में जो एक भ्रम अभी तक रह गया है मैं चाहता हूं कि वह दूर किया जाय। जो यह विधेयक और इसकी भाषा है उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि जो गन्ना खरीद कर बैलों से ७ कोल्हू द्वारा पेरेंगे उन्हीं पर यह टैक्स लगेगा। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जब माननीय गेंदासिंह जी ने अभी कहा कि यह किसानों पर, यह मध्यम वर्ग पर, या खरीदने वालों पर हुआ है तो मुझे इस चीज को साफ करने की जरूरत महसूस हुई। मान लीजिये कि मैं किसान हूं और मेरा ही गन्ना है और यह वस्तुस्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो सुरक्षित क्षेत्र है उसके गन्ने का ३० या ३३ प्रतिशत ही केवल मिलों में पेरा जाता है। बाकी ७० प्रतिशत गन्ना किसानों के पास ही रह जाता है चाहे वह उसे अपने घर के कोल्हू से पेरें या उसे यंत्र से चलने वाले कोल्हुओं द्वारा पेरवायें या कई बैलों द्वारा जो कोल्हू चलता है उसको दे दें। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट माना जा चुका है कि ४·५ फीसदी से ज्यादा गन्ना सुरक्षित क्षेत्र का इन कोल्हुओं के जरिये से नहीं पेरा जाता है। फिर यह स्पष्ट हो गया कि करीब ६३ फीसदी गन्ना अभी भी किसान के पास बाकी है। मान लीजिये कि पूरा-पूरा गन्ना जितनी मिलों की कैपेसिटी है उसके मुताबिक मिलों ने पेर दिया और जो आज लगे हुए कोल्हू हैं, चाहे वे यंत्र द्वारा चलते हों या बैलों द्वारा या उनको ७, ७ का केन्द्र बना कर इकट्ठा कर दिया गया हो....

श्री उपाध्यक्ष---अब ७ नहीं हैं।

श्री राजनारायण---जरा सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---७ वाला तो हो गया। अब वह इसमें नहीं है।

श्री राजनारायण---जो खंड है उसको देखा जाय। यह विधेयक है और इसमें यह साफ है और यह खंड अभी पास नहीं हुआ है। मैं इस पूरे खंड का विरोध कर रहा हूं। केवल माननीय रामायणराय जी का संशोधन पास हुआ है और जब मैं खंड का विरोध करता हूं तो वह उसके अन्तर्गत आता है। उधर के लोग अज्ञानतावश ज्यादा बात न करें तो ज्यादा अच्छा हो। आज माननीय बहुगुणा जी मुझे, गेंदासिंह जी को और रामायणराय जी को यह समझाना चाहते हैं कि हम किसानों के प्रति दुश्मनी कर रहे हैं और वे किसानों के प्रति भक्ति कर रहे हैं। मैंने सदन में बार-बार निवेदन किया है मगर मुझे अफसोस है कि उस निवेदन के प्रति सरकारी पक्ष के लोग उदासीन रहते हैं। अगर माननीय बहुगुणा जी कहें कि वही एक-मात्र किसान के

[श्री राजनारायण]

हितेच्छु हैं तो मैं मान लूंगा लेकिन उनके काम जो हो रहे हैं उनका नतीजा किसानों के लिये अहितकर हो रहा है। हो सकता है कि उनकी इच्छा भली हो, हो सकता है कि उनकी भावना शुद्ध हो, लेकिन शुद्ध भावना और सद्-इच्छा रखते हुए भी वह गलती करते हैं और उसका नतीजा नुकसानदेह हो जाता है। तो माननीय बहुगुणा जी अपने काम के नतीजे को नहीं देखते। मैं फिर वही कल वाली बात दोहराता हूं कि इस सरकार की दशा उस शुतुर्मुर्ग जैसी ही है। शुतुर्मुर्ग की ही तरह यह सरकार भी अपना सर बालू में गड़ा रही है और यह समझते हैं कि कोई इन्हें देख नहीं रहा है।

(इस समय ३ बजे श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

माननीय गेंदासिंह जी किसानों के क्षेत्र से आते हैं, जहां गन्ने का काफी उत्पादन होता है, रामायण राय जी भी ऐसे ही क्षेत्र से आते हैं, उग्रसेन जी भी उसी तरफ से आते हैं, मदन-पांडेय जी भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं और हम भी एक किसान ही हैं और अच्छे गन्ने की खेती करते हैं। बहुत पहले जमाने से सेंवार से चीनी बनती थी और वह सबसे ऊंचे दर्जे की चीनी मानी जाती रही है। ९०, ९० वर्ष के बुड्ढों का यह कहना है कि जितने आने मन गन्ना हो उतने रुपये मन ही चीनी होनी चाहिये। किन्तु आज उन तमाम सिद्धान्तों को यह सरकार भुलाये हुये है। सरकार के सामने केवल एक सिद्धान्त रहता है कि येन-केन-प्रकारेण करोड़-पतियों का ही फायदा करो। मैं माननीय बहुगुणा जी को चुनौती देना चाहता हूं, या उनकी तरफ का कोई भी अर्थशास्त्र का पण्डित हो, उनको देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आज समाज का विकास नहीं हुआ है, आर्थिक क्षमता बढ़ी नहीं है, वह घटी है, ग्रामीण जनता की आमदनी कम हुई है, यह बिल्कुल सत्य है। आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री यह बताते हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। माननीय बहुगुणा जी सारे आंकड़ों को देखें। सन् १९५० से लेकर अपने प्रदेश को देखा जाय। न मालूम किस अर्थशास्त्र के पंडित ने बता रखा है कि हमारे यहां विकास हो रहा है, धन की वृद्धि हो रही है, किसान की आमदनी बढ़ रही है।

एक मर्तबा इसी प्रकार की गलती हमारे प्रदेश की सरकार ने की थी और वह बहुत बड़ी गलती थी। उसने यह कल्पना की थी कि वह १७२ करोड़ रुपया दसगुने से वसूल करेगी और फिर अन्ततोगत्वा वह करीब ३४, ३५ करोड़ तक ही रह गया। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इतना रुपया देहातों में नहीं है। वही गलती आज बराबर सरकार की तरफ से दोहराई जा रही है और बार-बार माननीय बहुगुणा जी अर्थशास्त्रियों का हवाला देते रहते हैं। हम किसी का हवाला नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ चलें और किसी भी गांव में चल कर वस्तुस्थिति का अवलोकन करें और देखें कि आज उनकी आमदनी बढ़ रही है या घट रही है। पहले जो उसके पास गायें, भैंसें रहती थीं, वह भी आज उसकी बिक गयी हैं। उसकी आमदनी शहरों में चली गयी है। करोड़पति बढ़ता जा रहा है मगर ग्रामीण जनता की आमदनी कम होती जा रही है। यह सत्य है कि आज वहां की औसत आमदनी घटी है और शहरों की बढ़ी है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। देहात की आमदनी अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि जहां सन् १९५० में औसत आमदनी २१२ रुपये थी वहां अब औसत आमदनी १८३ रुपये ही रह गयी है। यह सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो बहुगुणा जी कैसे कहते हैं कि इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा? जब दस गुने की वसूली के सिलसिले में यह कहा गया था कि किसानों के घरों में नोटों के बंडल हैं और हम चाहते हैं कि वे सरकारी खजाने में आ जायं, जब यह तर्क दिया जाता था, उस समय भी बुद्धि का दीवाला निकल गया था। तो मैं माननीय बहुगुणा जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अब जनतंत्र प्रौढ़ हो चुका है, उसकी शैशवावस्था व्यतीत

हो चुकी और अगर १२ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका शैशवकाल व्यतीत हुआ न माना जाय तो समय के साथ न्याय नहीं किया जायगा ।

अगर आज किसान ६३. फीसदी गन्ना पेरने के लिये अपने घर पर कोल्हू रख कर गुड़ या राब बनाना चाहता है तो उस पर बोझ अब नहीं पड़ना चाहिये । अगर उस पर बोझ पड़ता है तो जो भी सम्मानित सदस्य किसान का हित चाहेगा वह ऐसे विधेयक का विरोध करेगा ही, जिस विधेयक के जरिये से बोझ पड़ता है । अगर इसका विरोध नहीं किया जाता है तो वह किसान के हित में नहीं जायगा, इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं । हां, गवर्नमेंट अगर यह कहे कि चाहे किसान जले या मरे, उसे तो रकम चाहिये जिससे अधिक से अधिक पैसा आये और अनाप सनाप खर्च किया जाय तो मुझे संदेह उसमें नहीं हो सकता । हर साल का बजट देख लें, जिनके दिमाग में तनिक भी राष्ट्र प्रेम बाकी रह गया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सरकार की गतिविधि पर अब अंकुश लगावें क्योंकि अगर अब इसको अंकुश में नहीं कसते तो हमारे देश को खतरा हो सकता है, हमारे राष्ट्र को खतरा हो जायगा । मैं इस विधेयक का सम्बन्ध राष्ट्र से जोड़ता हूं और अगर मैं यह कहता हूं तो अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रहा हूं । मान लीजिये कि इससे १० लाख रुपया आये या १ करोड़ रुपया आये मगर तर्क यह होता है कि आज जिस इन्सान की आमदनी १५ रुपये महीना है, उस पर अगर टैक्स पड़ता है तो उसके खून से वह टैक्स लिया जाता है क्योंकि उसमें वह खा भी नहीं पायेगा, रह नहीं पायेगा, अपने बाल बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, अपने मरीज को दवा नहीं दे सकता, इस लिये उस पर एक छदाम, एक पाई और एक पैसा भी टैक्स बढ़ाना उसके खून को चूसना है । मैं अगर यह कहूं कि यह सरकार आज रावण की तरह से ऋषियों का रक्त चूस रही है तो क्या वह गलत होगा ? अगर मैं यह न कहूं तो मैं अपने साथ, अपने सारे समाज के साथ, ज्यादती करूंगा क्योंकि आज इंसानियत का चिराग बुझ रहा है, मानवता का स्रोत सूख रहा है, तिस पर भी यह सरकार टैक्स लगाने की बात सोच रही है । किन पर ? असहायों, पर गुड़ बनाने वालों पर, मगर जो करोड़पतियों का कैलाश उठाया जा रहा है उनकी तरफ इनकी नजर भी नहीं जायगी । नजर जायगी भी तो कब ? जब एक रुपये १० आने करेंगे तो फौरन उसी के साथ कह देंगे कि चीनी ३६ रुपये की जगह ३७ रुपये ९५ नये पैसे बेंच सकते हैं । लेकिन गुड़ और राब बनाने वाले जो छोटे गृह कुटीर उद्योग हैं उन पर टैक्स बढ़ायें और टैक्स बढ़ाकर उस काम को रोकें, इसका क्या औचित्य है, इसका कोई उत्तर आज सरकार की ओर से नहीं आया । हमारी दिल से ख्वाहिश है कि सरकार इस पर समुचित ध्यान दे ।

हम मानते हैं कि माननीय बहुगुणा जी को राष्ट्र और किसानों के प्रति प्रेम है मगर बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने आधुनिक उत्पादन की सृष्टि नहीं की । उन्होंने केवल आधुनिक खपत की सृष्टि की है । यह दो बड़े अर्थशास्त्र के शब्द हैं । इनका जरा बहुगुणा जी अध्ययन करेंगे तो इनकी गहराई और तथ्य तक पहुंचेंगे कि यह दोनों चीजें क्या हैं । आधुनिक खपत क्या है ? बड़े बड़े एयर कन्डीशन्ड डिब्बे बन गये, अशोक होटल बन गया, तीन रुपये कप चाय मिलने लगी, शेरवानी में फूल लगने लगे, चूड़ीदार पायजामा बनने लगा, सूट-बूट बनने लगे, यह सब आधुनिक खपत बढ़ी मगर आधुनिक उत्पादन नहीं बढ़ा । आधुनिक उत्पादन बढ़ेगा तब जब कि हमारे देश में धन की सृष्टि होगी । लेकिन उस आधुनिक उत्पादन के लिये अमेरिका और रूस की नकल करने चले गये, देश को गिरवी रखा गया, मैं नहीं चाहता कि देश को गिरवी रखा जाय । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जरा गरीबी के स्तर को अख्तियार करो, आज जो मनोवृत्ति सरकार की बढ़ती जा रही है अपने को जनता से अलग दिखाने की वह मनोवृत्ति खतरनाक हो रही है । आज सरकारी लोग इस आधुनिक खपत के कारण जनता से अलग होते जा रहे हैं, जनता की मुसीबतों को परख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, विवशताओं को समझ नहीं पाते हैं । जैसे तुगलक था, उसका फर्मान निकला कि कभी राजधानी दिल्ली कभी दौलताबाद । इसी तरह से यह टैक्स चाहे मोतीलाल अवस्थी

[श्री राजनारायण]

पर पड़े, चाहे राजनारायण पर पड़े, चाहे नारायणदत्त पर पड़े, उनसे कोई मतलब नहीं है। यह तो समाज से अलग हो गये हैं, इनकी अलग बिरादरी बन गई है। आज यह अमरीका की नकल कर रहे हैं या रूस की नकल कर रहे हैं या पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर रहे हैं...

श्री अधिष्ठाता---आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---दूर नहीं हूं, नजदीक ही हूं.....

श्री अधिष्ठाता---अमरीका और रूस न जाइये।

श्री राजनारायण---मैं अमरीका और रूस नहीं जाऊंगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अध्यापक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सभी हैं अमरीका के अन्दर। उनकी स्थिति के मजदूर और किसान यहां पर माननीय बहुगुणा जी नहीं बना सकते। यह बात वह मानेंगे कि नहीं? अमरीका और रूस जो है उसकी पोशाक या हैसियत की स्थिति में वहां का जो प्रधान मंत्री है उसी हैसियत में यहां का प्रधान मंत्री तो वे बना सकते हैं लेकिन किसान और मजदूरों की वह स्थिति नहीं बना सकते। यही इसमें विरोधाभास है जिसको मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। अमरीका की स्थिति में यहां पर वह चन्द पूंजीपतियों को ला सकते हैं, यहां के टाटा, बिरला, सिंहानिया को वह अमरीका की सभ्यता में रमा सकते हैं, वहां का प्रिंसिपल और वहां का वाइस-चांसलर जो तनख्वाह पाता है उस तनख्वाह को बहुगुणा जी यहां के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर को दे सकते हैं, वहां का मिनिस्टर जो तनख्वाह पाता है वह तनख्वाह यहां के मिनिस्टर को दे सकते है और दे रहे हैं लेकिन यहां की आम जनता, किसान और मजदूर को उस स्थिति में नहीं ला सकते हैं। मैं इस अन्तर को समझाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप फिर विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---तो मैं इस खंड का विरोध कर रहा हूं क्योंकि यह आत्मघाती है, राष्ट्रघाती है, न्यायघाती है, हक पर कुठाराघात करने वाला है। इसलिये जो भी ऐसा विधेयक हो, नन्हा-सा विधेयक हो, मासूम विधेयक हो, निर्दोष विधेयक हो, साधु विधेयक हो, बहुगुणा जी जो भी विशेषण या एडजेक्टिव लगाना चाहें लगा लें, हमको एतराज नहीं है, हम अपनी जगह पर हैं और हम उसका विरोध करेंगे। जब हमारे गरीबों के कीवड़ से करोड़पतियों का कमल खिल रहा हो तो हम उसका विरोध क्यों न करें। इसलिये श्रीमन, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी अपने इस विधेयक को वापस ले लें, इस खंड को वापस ले लें और माननीय गेंदा सिंह और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो उद्गार प्रकट किये हैं, उनकी कद्र करें। अगर आप कद्र नहीं करते तो अपने राष्ट्र को आप बचा नहीं सकते। इसलिये बराबर जोर देकर कहता हूं कि वे कद्र करना सीखें ताकि उसकी पुनरावृत्ति कोई न करे।

एक तर्क अक्सर सरकार की ओर से दिया जाता है। माननीय बहुगुणा जी ने भी कह दिया कि व चुनाव जीत गये। आज वे अपने को इस तर्क देने की स्थिति में पाते हैं। मैं आसाम की बात आपको बताना चाहता हूं कि वहां की जनता बड़ी राष्ट्र भक्त है लेकिन वहां फिर भी कम्युनिस्ट उम्मीदवार जीत गया। इससे हमें सबक लेना चाहिये। अगर जनरल पब्लिक की हालत को ठीक प्रकार से सुधारा नहीं गया तो यही हालत होनी है। अगर जनता की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, अगर इस सरकार ने अपने रावणशाही के रूप में सुधार नहीं किया तो ये विभीषण कारगर होंगे ही और उनकी कारगरी और सफलता को कोई रोक नहीं पायेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि आप इस रावणशाही की प्रवृत्ति को रोकिये और किसानों का खून शोषण न कीजिये और इसको जितनी जल्दी बन्द कर सकें उतनी जल्दी बन्द कीजिये।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे इसका सख्त विरोध करना है। यह तो आप जानते हैं कि प्रतिभासम्पन्न विशिष्ट पुरुष विष्ट जी आये और उन्होंने कहा कि क्लोजर मूव करते हैं। यह एक आसान सी चीज हो गयी। यह आसान सी चीज देश को जहन्नुम में ले जायगी। आपको, श्रीमन्, अधिकार है कि जिस स्थिति में क्लोजर आया है उस स्थिति में उसको न लें। अभी मोतीलाल जी बोलने के लिये खड़े हुए थे, अभी उग्रसेन जी भी बोलना चाहते हैं जो उसी खित्ते से आते हैं। मैं समझता हूं उनके भाषण हो जायं, तब इसको लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि एक दल के नेता श्री राजनारायण जी और एक दल के नेता श्री गेंदासिंह जब बोल चुके तो रेप्रेजेंटेटिव की हैसियत से उनकी बात तो हाउस के सामने आ गयी। इस पर काफी बहस हो चुकी है। इसे मैं हाउस के सामने रखता हूं।

श्री राजनारायण---अभी तो एक आदमी हाउस में बोलने के लिये खड़ा ही हुआ है। इसको आप अपने ऊपर ही रखें।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अधिष्ठाता जी, मुझे आपके द्वारा सदन से सिर्फ दो-तीन बातें निवेदन करनी हैं। श्री राजनारायण जी ने आर्थिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए जो कुछ कहा, उसके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि न तो यह अवसर था.....

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मेरी बात सुन लीजिये। तीन दिन से गन्ने के मामले पर बहस हो रही है लेकिन आज तक जो खास बात थी किसानों की वह सदन के सामने नहीं आयी।

श्री अधिष्ठाता---आप घबड़ायें नहीं, इसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री टीकाराम पुजारी---आप मुझे मौका नहीं देंगे, इन नेताओं को ही मौका देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अधिष्ठाता जी, माननीय राजनारायण जी ने जो बातें सदन के सामने कहीं उनके संबंध में मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। उनका अपना तर्क है, उन तर्कों को इस सदन ने बराबर सुना भी है और उनमें जितना सार है उस सार को बराबर लेने की चेष्टा भी हुई होगी और जितना शेष रहा होगा उसका जो होना चाहिये वह भी किया गया होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय टीकाराम पुजारी जी जो अपने को किसानों का प्रतिनिधि होने की बात कहते हैं और सचमुच में हैं भी, उन्होंने एक बात सही कही है कि तीन रोज से बहस हो रही है लेकिन आज तक किसानों के हित की एक भी बात हाउस के सामने नहीं आ सकी। जो फूल, पुष्प उनको उस तरफ से अभी-अभी चढ़ा है उसको माननीय राजनारायण जी और माननीय गेंदासिंह जी स्वीकार करें।

मैंने तो कुछ कहा नहीं है। मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। राजनारायण जी ने आर्थिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए जो कुछ कहा उस संबंध में मुझे यह कहना है कि हमारे प्रदेश में गन्ना पैदा होता है और गन्ने के आधार पर कुछ उद्योग चलते हैं जिनमें खांडसारी का एक उद्योग है और शुगर मिलों का भी एक उद्योग है। मैं कहता हूं कि अगर माननीय गेंदासिंह जी को खांडसारी वालों से इतना प्रेम हो गया है कि वे चाहते हैं कि शुगर मिलें बन्द भी हो जायं तो कोई बात नहीं है, तो मुझे आशा है कि इसकी चर्चा वे सदन में तथा सदन के बाहर भी करेंगे। खांडसारी से जो उनकी मुहब्बत है उसकी मैं उनको दाद देता हूं लेकिन वे इस बात को बाहर कहें भी तो कि इन शुगर मिलों को हटा दिया जाय? मुझे तो इस बात में अभी बहुत शुबहा है कि वास्तव में उनको खांडसारी वालों से प्रेम है। अगर उनके दिल में खांडसारी वालों से प्रेम रहता तो इस बिल के जरिये वे उनको बचाने की बात

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

न करते। रहा यह कि कुछ लोग अपने को उसका एक मन दोस्त कहते हैं तो कोई दस मन दोस्त बनने का दावा करते हैं और कोई १०० और १,००० मन दोस्त बनने का दावा करते हैं। खैर, इस बहस में मैं नहीं पड़ता और न पड़ना चाहता हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस खंड का विरोध क्यों किया जा रहा है।

रामायणराय जी का जो प्रस्ताव था संशोधन का, संशोधन स्वीकार होने के बाद इस सदन को बड़ी खुशी हुई। रामायणराय जी ने कहा कि हम तो सिर्फ कोल्हू के गुड़ को अलग करना चाहते हैं, यन्त्र वाले को तो उन्होंने छुआ भी नहीं। अब यह जो बाकी रह गया खंड, यद्यपि वह विधेयक का अंग नहीं बन सका, अगर विधेयक का अंग बन जाता तब तो बहस की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन यह सदन जानता है कि इस निश्चय के मुताबिक एक हद तक उसको कम कर दिया और अब जो रह गया है उसको भी छोड़ दिया जाय, जो एक भारी विरोधाभास होगा उस बहस से जो कल से यहां चल रही है।

मुबारक हो उस तरफ के लोगों को इस तरह की बहस लेकिन मैं बहुत अदब के साथ अपनी अल्पबुद्धि से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने पर जितने उद्योग चल रहे हैं अगर उनका संतुलन न किया गया और उस संतुलन की तरफ इस प्रदेश के लोगों ने ध्यान न दिया तो जिन किसानों का जीवन स्तर उठाने की बात माननीय राजनारायण जी और माननीय गेंदासिंह जी करते हैं उनका भविष्य मिट जायगा। इसलिये कि अगर गन्ने पर आधारित उद्योग खराब हुए तो फिर गन्ने जैसी कैशक्राप को पैदा करने वाले किसान पर बुरा असर पड़ेगा। मेरा मत स्पष्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं हैं, मिलों का दूसरे प्रदेशों में जाने न जाने का प्रश्न नहीं है, वे तो इसलिये नहीं जायंगी क्योंकि सरकार के कायदे कानून बने हैं कि वह सरकार की बगैर इजाजत के नहीं जा सकतीं और इजाजत हम देंगे नहीं, इसलिये वह तो हमारी बन्दिश में हैं लेकिन अगर वह बन्द हो जायगी, नहीं चलेगी तो हमारा सारा ढांचा जर्जर हो जायगा और उनकी शक्ति नहीं रह जायगी, अगर हम देखरेख और संतुलन कायम न करें तो अन्तिम नतीजा यह होगा कि यहां के किसान का सारा आर्थिक ढांचा खराब होगा। यह कहना भी ठीक न होगा कि उद्योगपति सारे के सारे खराब हैं, संविधान में हमारे यहां सब को अधिकार है। जब तक हम ऐसे उद्योगपतियों को हटाने की बात न सोंचे, उनसे हम काम भी लेते रहें और कहते भी रहें कि मशीन खराब है, रोज-रोज ऐसा कहते रहना भी ज्यादा उचित नहीं मालूम होता।

खांडसारी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह जी के पीछे जो माननीय सदस्य बैठे हैं मैं उनका नाम नहीं जानता लेकिन यह कह सकता हूं कि जिस अच्छे ढंग से और मजबूती के ढंग से खंडसारी का विश्लेषण उन्होंने किया उससे अच्छा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि रिजर्व क्षेत्र में चीनी मिलों से किसानों को गन्ने के जो दाम दिलाये जाते हैं उससे ८ आना मन अधिक इनसे दिलाये जायं, क्योंकि उनमें क्षमता है पैसा दे सकते हैं। लेकिन जिनमें ८ आना और ४ आना मन अधिक दाम देने की क्षमता बाकी है वह ४ नया पैसा देने को तैयार न हों, यह कोई बड़ी न्यायसंगत बात नहीं मालूम होती। मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसानों के हितों की सुरक्षा के संबंध में हम पूरे तौर से वाकफियत करने की कोशिश कर रहे हैं, तरीके सोच रहे हैं कि खांडसारी उद्योग के किसानों का हित किस बात में है, इस पर हम विचार करते चले आये हैं और हम ऐसा समझते हैं कि इस विधेयक से उनकी शक्ति बढ़ेगी।

केन सेस की वसूली की बात जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब हम इसकी वसूली करेंगे तो सरकार को जरूरत होगी कि वह गन्ने की ठीक से तौल की देखरेख करे, नतीजा इसका यह होगा कि किसान की तौल में जो गड़बड़ थी वह दूर होगी और उससे उसका लाभ होगा और सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से वह किसान की मदद ही होगी।

एक बात और कह दूं, उसके बाद मुझे अधिक नहीं कहना है। हम दावा नहीं करते कि दुनिया की सारी बुद्धि हमारे पास है। लेकिन यह दावा जरूर है कि दोनों तरफ की तस्वीर हमारे सामने रहती है। उधर वालों की दिक्कत जरूर है और वह सही है। दूसरी तरफ की जो दिक्कत है वह हमेशा उनके सामने नहीं आती है। जो बात उनके सामने आती है वह उतनी ही आती है जितनी वह बेचारे अपने सीमित साधनों से पकड़ सकते हैं। इसलिये उनकी जो दिक्कत है उसका मैं अन्दाज लगा सकता हूं। फिर भी, मैं आपके जरिये उनको यह संतोष दिलाना चाहता हूं कि खंडसारी उद्योग के प्रोडक्शन पर हमारे इस विधेयक द्वारा कोई गड़बड़ी आने की संभावना हुई या उसका उत्पादन गिरने लगा तो यह नियम इस सभा ने बनाया है काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये, रोकने के लिये नहीं, गला घोटने के लिये नहीं।

विशेषण इस्तेमाल करने की शक्ति हमारे उधर बैठे हुए लोगों की अनोखी है। वह तो मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि गन्ने पर आधारित उद्योगों को अगर जीवित रखना है, चाहे वह खंडसारी हो, चाहे शुगर हो और चाहे गुड़ हो, तो इसको संतुलित ढंग से चलाने की बात हमें सोचनी है और हम उसे सोच रहे हैं और सोचेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस सफाई को सदन स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---९५,
विपक्ष में---४८।)

खंड ४

४---मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"(क) उद्योग, गन्ना तथा सहकारिता के प्रभारी मंत्री।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन

*श्री गेंदासिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४ (क) को निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"उद्योग, गन्ना तथा सहकारिता के उपमन्त्री।"

इस संशोधन का अर्थ केवल इतना है कि उद्योग, सहकारिता और कृषि के 'मंत्री' जो शुगर केन बोर्ड में रखे जायेंगे उनके स्थान पर मैं 'उप मंत्री' चहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और कामों की वजह से बहुत कम फुरसत रहती है ऐसे कामों के लिए। आप देख भी रहे हैं कि तीन दिन से इस उद्योग पर बहस हो रही है लेकिन उनको फुरसत ही नहीं है कि इसकी कुछ बहस सुन सकें। बहुगुणा जी से चाहे हमारी लड़ाई हो जाय, झगड़ा हो जाय और हो रहा है और उनकी मदद के लिये श्री राजबिहारी सिंह भी आ गये हैं लेकिन कोई मंत्री, मैं समझता हूं, जल्दी इस काम की परवाह नहीं करता, वह नहीं आते।

इसके अलावा मुख्य मंत्री जी की स्मरण शक्ति भी कुछ कमजोर हो गई है, क्योंकि काम का बड़ा बोझ है उनके ऊपर, हमारी भी हो सकती है। और खास तौर से जितने आश्वासन देते हैं वे सब मुख्य मंत्री जी तुरन्त भूल जाते हैं। इसलिये उनके स्थान पर आखिर डिप्टी मिनिस्टर कौन होंगे? बहुगुणा जी। जो इतने सदस्यों की भावनाओं को सुन चुके हैं जिससे वे लाभ उठायेंगे और जो उन्होंने अपने भाषण के अन्त में अपील की है कि इस उद्योग को बहुत होशियारी के साथ संतुलन करना होगा। इसलिये मेरा अनुमान है कि जो आदमी इस सदन के विचारों को फुरसत के कारण सुन न सके वह भावना की पूरी कदर नहीं कर सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—अगर 'मंत्री' ऐक्ट या बिल में रहता है तो 'मंत्री' की परिभाषा में 'स्टेट मिनिस्टर' और 'उप-मंत्री' सभी आ जाते हैं। इसलिये मेरे ख्याल से आपका संशोधन ठीक नहीं है। बहुगुणा जी तो यों ही आजायंगे।

श्री गेंदा सिंह—आप देखें कि पुराने कानून में उद्योग तथा कृषि मंत्री दोनों लिखा हुआ है। लेकिन अब मालूम नहीं क्या मकसद है कि उसको लिखने के बाद भी यह अमेंडमेंट आया कि जहां उद्योग और कृषि मंत्री लिखा हुआ है उसमें कोआपरेटिव जरूर जोड़ दिया जाय। इसलिये हम भी उचित समझते हैं कि उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहता, एक मर्यादा भी होती है, वे बुजुर्ग भी हैं और भारत के उन नेताओं में से हैं जिनके ऊपर इस देश के शासन के चलाने का बोझ है। लेकिन उनकी स्मरण शक्ति खराब हो चली है और फुर्सत उनको कम है। इसलिये शुगर केन बोर्ड के सदस्य वे न रहें तो अच्छा है। कौंसिल में खड़े होकर उन्हों ने आश्वासन दिया कि ३३ रुपया २५ पैसे चीनी का खर्चा है उसमें पूरी गुंजायश है कि गन्ने के काश्तकारो को पैसा दिलाया जा सके और उस आश्वासन को नागपुर जैसे पवित्र स्थान पर उन्होंने तोड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि कई करोड़ रुपये ५०-६० मिल मालिकों के हाथ में चले गये।

कृषि मंत्री जी के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन कर दूं। वे किसी और काम के लिये एक्सपर्ट माने जा सकते हैं लेकिन इस उद्योग में वे एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर वे भी इस शुगर केन बोर्ड के सदस्य न रहें तो अच्छा होगा। जो काम उनके सुपुर्द हुए हैं उनमें एक शुगर केन कोआपरेटिव यूनियन है, जिसका काम यह है कि वह १८ लाख गन्ने के उत्पादकों की रक्षा करे। जब से गौतम जी नाम के एक साहब उसके इंचार्ज हो गये तब से उन्होंने उसको अपनी मुट्ठी में कर के पहले वह जितनी तबाह थी उससे अधिक तबाह करने की कोशिश की और उसे पूरे तौर से बिड़ला, डालमिया व नेवटिया जी के चरणों पर चलाना चाहा। उस फेडरेशन के चुनाव १९५८ में हो जाने चाहिये थे लेकिन नहीं हुए। दो मर्तबा उन्होंने चुनाव रुकवाये। एक मर्तबा तो उन्होंने अपने हुक्म से रुकवाये सिर्फ इस गरज से कि अपने एक आदमी को वे फेडरेशन का वाईस प्रेसीडेंट बनाना चाहते थे। वह आदमी मुकदमेबाजी कर रहा था क्योंकि वह डेलीगेट हो नहीं पाया था। एक आदमी को नेवटिया जी के कहने से गिराना भी चाहते थे। दोनों कामों को करने के लिये फेडरेशन के चुनाव टाले गये और आज तक टले हुए हैं। यह काम ऐसा है जिससे गन्ने के बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का अहित होगा। इसी शुगर केन बोर्ड के वे सदस्य होंगे इसलिये मैंने यह उपयुक्त अवसर समझा कि मैं यह नाराजगी जाहिर करूं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि गन्ने की सहकारी समितियां हैं। लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट आज खून के आंसू बहा रहा है। मैं भी कोआपरेटर हूं। उनकी यह ध्योरी है कि जहां कहीं गवर्नमेंट को नामिनेट करना हो वहां पर वे ऐसे लोगों को भेजेंगे जो पूरे तौर से गवर्नमेंट की पार्टी के हों और उस पार्टी में भी अपने ग्रुप से बिलांग करते हों।

तो इससे कोआपरेशन तो नहीं चल सकता और अगर कोआपरेशन नहीं चल सकता तो गन्ना उत्पादकों को धक्का लगेगा और अगर गन्ना उत्पादकों को धक्का लगेगा तो सारी इंडस्ट्री को धक्का लगेगा जिसको बहुगुणा जी कभी नहीं चाहेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि गौतम जी की जगह पर अगर वीरेन्द्र वर्मा जी हो जायें तो इसमें कोई बुराई नहीं हो जायगी। मैं अपने को या राजा साहब को या और किसी को तो कहता नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के स्थान पर बहुगुणा जी हो जायं और गौतम जी के स्थान पर वीरेन्द्र वर्मा जी हो जायं। गलतफहमी न हो किसी को, न मैं बहुगुणा जी की तारीफ करने वाला हूं और न वीरेन्द्र वर्मा जी की तारीफ करने वाला हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि शुगर केन बोर्ड का क्या काम है यह जरा देख लिया जाये। शुगरकेन बोर्ड का कार्य है—

"(क) चीनी की फैक्टरियों के निमित गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय,

(ख) गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों,

(ग) फैक्टरी के अध्यासियों अथवा प्रबन्धकों, गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, गन्ना विकास परिषद् तथा खरीदारी एजेन्टों के बीच समुचित संबंध बनाये रखना, और

(घ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायें।"

तो यह इस बोर्ड का काम है जिसका सदस्य इन दोनों साहबान को बनाया जा रहा है। ऐसे ही विकास परिषद् भी बनाया जाता है। उसकी ऐसी दुर्गति हमारे कृषि मंत्री जी ने कर दी है कि अगर मैं आप से उसकी चर्चा करूं तो लम्बा वक्त चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---जाने दीजिये।

श्री गेंदासिंह---लेकिन एक आध नमूना तो उदाहरणार्थ बता ही दूं। यही बोर्ड उन विकास परिषदों के सारे काम को देखेगा। प्रशासन की यही मशीनरी है। तो मैं पूछूगा, कोई साहब बतायें उधर से कि जो ६८,७० विकास परिषद् सारे सूबे भर में बनाये हैं इनमें कितने चेयरमैन कलेक्टर हुये हैं और कितने दूसरे लोग हुये हैं। जो इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले चेयरमैन हो गये हैं उनकी बात छोड़ दीजिये, लेकिन यह जरा बतायें कि सिउहारा मिल, जिसके मैनेजर के खिलाफ कम तौल की शिकायत और रुपया खाने की शिकायत है उसको विकास परिषद् का चेयरमैन किसने बनाया है? फैक्टरी के मैनेजरों को विकास परिषद् का चेयरमैन बना कर आप उम्मीद करते हैं कि गन्ने का विकास होगा और ऐसे मैनेजरों को जो सारे सूबे में सब से ज्यादा नम्बरी हों?

श्री अधिष्ठाता---'नम्बरी' शब्द मेरे खयाल से पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री गेंदासिंह---अच्छा, अधिष्ठाता महोदय। अगर नम्बरी के माने वह नम्बरी हो गये---हालांकि मेरा मतलब उससे नहीं था---तो मैं उसको वापस लेता हूं। मेरा मतलब यह था कि जितने मैनेजर हैं उनमें डिग्री का फर्क है....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---आज आप डिग्री की बात बहुत कह रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त ठाकुर साहब बैठे हैं नहीं तो हमारी हजामत बन गई होती।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हुकुम ने आप हुक्म की तामील की

श्री गेंदासिंह---तो अब हमारी प्रार्थना है कि गौतम जी को बहुत काम है, उनको अपने जिले अलीगढ़ से ही फुरसत नहीं है, आप उनको गोंडा की तरफ भेज रहे हैं, कहीं धीरे-धीरे वह देवरिया न पहुंच जायें। मैं भी उस बोर्ड का एक सदस्य हूं। उसमें गौतम जी न रहें तो इन विकास परिषदों का कुछ विकास होगा और विकास परिषदों से कुछ काम होगा। अगर इनको जहन्नुम में भेजना चाहते हैं तो बात और है। इसलिये मैं कहूंगा कि इनको इससे बचाया जाय और सरकार इसको स्वीकार कर ले।

श्री प्रतापसिंह---अधिष्ठाता महोदय,....

श्री राजनारायण---श्रीमन, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है और गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसमें उप-मंत्री लिखा है। विधेयक में प्रभारीमंत्री लिखा है तो इससे क्या मतलब है?

श्री अधिष्ठाता---मिनिस्टर-इन-चार्ज

श्री राजनारायण---श्रीमन्, डिपार्टमेंट का डिप्टी मिनिस्टर भी तो हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता---मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 'मंत्री' की डेफिनीशन में 'उपमंत्री' भी आ जाते हैं।

श्री राजनारायण---प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है तो मिनिस्टर इन-चार्ज होगा। मैं इतना ही कहना चाहता था। अब विवाद होने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---विवाद को हम रोकते नहीं हैं लेकिन स्पष्टीकरण से कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री प्रतापसिंह---अधिष्ठाता महोदय,....

श्री टीकाराम पुजारी---अधिष्ठाता महोदय, मुझे समय नहीं दिया जाता है....

श्री अधिष्ठाता---मुश्किल यह है कि आप खड़े नहीं होते। अब आप कृपा कर बैठिये। इनके बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री प्रतापसिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन के संबंध में जितनी बातें कहीं उनके अलावा मैं एक बात जो परम आवश्यकीय है कहना चाहता हूं। वह यह कि जिस सेक्शन में इस खंड में इसको रखना चाहते हैं उसमें यह है कि यू० पी० शुगर केन बोर्ड का कांस्टीट्यूशन कैसा होगा और उसके क्या कार्य होंगे। मैं आपका ध्यान यू० पी० शुगर केन रेगूलेशन्स आफ सप्लाई एन्ड परचेज ऐक्ट, १९५३ के सेक्शन ३ के सब-क्लाज (३) की ओर दिलाना चाहता हूं कि:---

"The Minister-in-Charge of Industries shall be the ex-officio Chairman of the Board".

जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि मिनिस्टर नहीं होना चाहिये क्योंकि सेलेक्ट कमेटी की चेयरमैनी के लिये भी हम चाहते हैं कि मिनिस्टर न हो इसलिये कि उसका कार्य ठीक तरह से चल सके और इस बोर्ड का संचालन उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से होता है। इसलिये गेंदा सिंह जी ने रखा था कि अच्छे आदमी इसमें आयें। हमारे जो इंडस्ट्रीज के उपमंत्री हैं उनको फुर्सत भी है और योग्य भी हैं और वह इंडस्ट्री के बारे में भी अच्छी तरह से सोच सकते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि आज कोआपरेटिव और इंडस्ट्र विभाग अलग-अलग हैं। जब इंडस्ट्री की बात आती है तो सहकारिता का नारा लगाते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि यह एक ही में हों।

दूसरी चीज यह है कि आज मिनिस्टर को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वह फाइल तक देख सकें। ब्यूरोक्रेस जो ड्राफ्ट लिख कर दे देती है उसको भी देखने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन उपमंत्री देख सकते हैं। मुल्क का तकाजा है कि अगर हम सबका भला नहीं कर सकते हैं तो ग्रेटेस्ट गुड आफ ग्रेटेस्ट नम्बर तो करें। दूसरे सहकारिता मंत्री जी के बारे में जो कहा गया है, उस से हमें भी एतराज है। कितना अहम मसला हो रहा है और वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रदेश में एक शुगर फैक्टरी लग रही है उसका रुपया छोटे छ टे किसानों ने जमा किया और जब माननीय सहकारिता मंत्री को बड़े-बड़े पूंजो पतियों ने ऐप्रोच किया तो माननीय सहकारिता मंत्री ने आन दी फ्लोर आफ दि हाउस कहा कि हम इस रुपये को वापस करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का आभारी हू उसको उन्होंने समझने की कोशिश की और सही बात सदन में आई। उन्होंने सदन में कहा कि वहां फैक्टरी लगेगी और हम किसानों का गन्ना लेंगे। यह चीज जाहिर करती है कि फाईलों को मिनिस्टर किस तरह से देखते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत लांछन किसी व्यक्ति पर नहीं ह। उस बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? इंचार्ज मिनिस्टर होगा। चेयरमैन का असर

जरूर होता है और जब मिनिस्टर चेयरमैन हो तो और भी रोब रहता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे उद्योग उप मंत्री को इसमें जरूर रखा जाये और मुझे उम्मीद है कि बहुगुणा जी यह नहीं सोचेंगे कि हम लोग कोई प्रोपेगैन्डा कर रहे हैं वह इसको सरकार की ओर से स्वीकार कर लेंगे और इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

*श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, श्रीमन्, जो संशोधन हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। वास्तव में यह संशोधन बहुत सीधा-सादा, छोटा-सा और मासूम है, परन्तु अपने स्थान पर यह बहुत महत्व रखता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको अवश्य स्वीकार करेगी। अगर यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो, जैसा बताया गया है उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री या हमारे मुख्य मंत्री जी आसन ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी पर सारे सूबे का भार है। यह उम्मीद करना कि वह उसमें अधिक समय दे सकेंगे, जरा उनके साथ ज्यादती करना होगा; साथ ही साथ अभी चीन का आक्रमण हो रहा है, हमारे बार्डर खतरे में हैं, इस तरफ भी उनका ध्यान है। तो मैं कहूंगा कि इस बोर्ड में जिससे करोड़ों किसानों का सम्बन्ध है उसमें उप मंत्री रख दिये जायें तो अधिक ध्यान सरकार का जा सकता है। जहां तक सहकारिता और कृषि मंत्री का सवाल है उन पर माननीय मुख्य मंत्री से भी अधिक भार पड़ गया है। उन्होंने बहुत से काम अपने ऊपर ले लिये हैं। सूबे की जो दलबन्दी चल रही है उसका भी भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता—मालूम होता है कि इसी खयाल से संशोधन आया है।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह—छुट्टी नहीं मिलती है कामों को देखने की। वास्तव में जब से उन्होंने, बेचारों ने कृषि और सहकारिता का कार्य ग्रहण किया है, अगर पता लगाया जाय, और जैसा कि जिक्र किया गया अगर ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाये तो मालूम होगा कि एक-एक कामदार की नियुक्ति में और हस्तांतरण में हमारे कृषि मंत्री महोदय को कष्ट करना पड़ता है। इंटरमीडिएट, बी० ए० शिक्षार्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये मगर वास्तव में बहुत से मिडिल पास रख लिये गये।

श्री अधिष्ठाता—अमेंडमेंट से इन सब बातों का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—इतना ज्यादा काम उनके जिम्मे पड़ गया है कि वह एक एक प्रार्थनापत्र को खुद देखते हैं और दूसरे दृष्टिकोण से उसके ऊपर निर्णय करते हैं। यहां तक कि अपने जिले का काम भी अपने ऊपर ले लिया है। अभी थोड़े दिन हुए बताया गया है कि वहां जो गोलोकांड हो गया है। उसके अन्दर भी उनका एक दल उसमें सम्बन्धित हो गया था, तो उसकी तरफ तो उन बेचारों को ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे आदमी को जिसको कि इतना काम हो गया है, और बोझ से लाद देना हमारे खयाल से अन्याय होगा और उसमें क्षमता भी पूरी पूरी नहीं आ पायेगी। अभी जैसा कहा गया है कि जिला गन्ना परिषद् बनाये गये। अगर रेकार्ड उठाकर देखा जाये तो एक एक गन्ना परिषद् की नामजदगी में जो साधारणतया जिला गन्ना अधिकारी या जिलाधीश द्वारा गन्ना आयुक्त परामर्श लेकर करते थे उसमें खुद मन्त्री जी ने परिश्रम करके ऐसे ऐसे आदमियों को नामजद किया है जिनके कुछ उदाहरण अभी कुछ मित्रों ने दिये हैं। मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट केन कोआपरेटिव फेडरेशन है। उसमें उन्होंने जिले भर से छान बीन करके ....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिये कुछ बोलना नहीं चाहता था लेकिन प्रश्न यह है कि यह जो बोर्ड बनेगा, न तो वह बोर्ड कौंसिल बनायेगी और न डिस्ट्रिक्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

केन कोआपरेटिव फेडरेशन से उसका कोई सम्बन्ध होगा, तो फिर उस बोर्ड की मेम्बरशिप जब तय हो रही हो, उस सम्बन्ध में एक मिनिस्टर का नाम न ले कर मिनिस्टर का डेजिगनेशन लिया गया हो, तो उसके ऊपर कहां तक ठीक है कि किसी एक व्यक्ति के सम्बन्ध में इतनी चर्चा की जाय ? मेरा निवेदन यह नहीं है कि अगर वह चर्चा करने के अधिकारी हैं तो चर्चा न हो लेकिन उसको उपयुक्त समय लावें, इस समय वह चर्चा कहां तक उचित है मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---श्रीमन्, हमारे मौजूदा कृषि मंत्री जो सज्जन महानुभाव इस वक्त हैं, स्थान ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने मेरे जिले में छांटकर ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जिसके जिम्मे हजारों रुपया सरकार का बकाया पड़ा हुआ था । कुछ नहीं दे सके। कुर्की सरकार को करनी पड़ी और फिर भी रुपया वसूल नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय राघवेन्द्र प्रताप जी आप जरा बैठें ।

माननीय गौतम जी आज मिनिस्टर हो सकते हैं। आज माननीय मुख्य मंत्री जी जो हैं वह उसके मिनिस्टर इंचार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो आप बिल बना रहे हैं उसमें कल कोई दूसरे हो सकते हैं, तीसरे हो सकते हैं । तो किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ न कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । मैंने पहले भी टोका था । आप इस पर तर्क दें कि मिनिस्टर के बजाय डिप्टी मिनिस्टर रहें, इस पर तर्क दें कि उनके पास काम ज्यादा है या जो भी हो लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो बहुगुणा जी ने बात कही उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता---उस पर तो मैंने निर्णय दे दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में न कहें। कल कोई दूसरा मिनिस्टर आ सकता है ।

श्री राजनारायण---विधेयक भी तो दूसरा आ सकता है । अगर दूसरा मंत्री होगा तो दूसरा विधेयक भी आ सकता है. . . . .

श्री अधिष्ठाता---अगर आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर हो तो आप कुछ कहें, वैसे मैं कहने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर ही है, और वह यह है कि हम एक प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं। आज जो कोई भी मंत्री है वह इस विधेयक के पास होने मात्र से ही इस बोर्ड में आ जायगा और उस मंत्री को हम पूर्णतः अनुपयुक्त समझते हैं तो उसके नाम पर चर्चा न करने देने की जो रोक है यह अवैधानिक है । यह मेरा वैधानिक प्रश्न है । क्योंकि कल अगर कोई दूसरा मंत्री हो सकता है तो दूसरा विधेयक भी आ सकता है । दूसरा मंत्री आयेगा तो दूसरा विधेयक आयेगा । इसलिये उसके गुण और दोष का विवेचन होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय राजनारायण जी, यह आपका कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---आधा मिनट, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये सब कार्य किये होते जिनकी चर्चा यहां की गई, तो उसको उठाकर फेंक दिया जाता । लेकिन वह तो कोई मिनिस्टर करता है । मिनिस्टर न होकर के वह केवल कोई व्यक्ति होता, तो यह चर्चा यहां न होती । इसलिये हम किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं और न ही राजा साहब ने किसी व्यक्ति की चर्चा की ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---श्रीमन्, कहना यही है और वह इसीलिये रखा गया है कि जो मंत्री महोदय हमारे इस स्थान को ग्रहण कर रहे हैं, वह इतने व्यस्त हैं कि उससे भय लगता है कि पता नहीं कोई दूसरा भी आवे और वह भी इसी तरह से व्यस्त हो जाय, तो इस काम का

भविष्य ही अंधकार में पड़ जायगा। अभी जैसा भाई गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारी एक गन्ने की सबसे प्रमुख संस्था है यू०पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन। साल भर से उसका समय खत्म हो चुका है परन्तु एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा था, एक डेलीगेट के एलेक्शन में, उसके निर्णय तक रोकने के लिये तीन मर्तबे एजेंडा निकला और तीन मर्तबे मीटिंग स्थगित की गई और फिर अब समय निर्धारित हुआ है। हमें तो भय है कि अगर उस दिन भी जीतने वाला नहीं मिला तो शायद उस दिन भी स्थगित कर दी जाय क्योंकि भय इसलिये मजबूत होता है कि अभी हाल ही में एक यू०पी० एनीमल हस्बेन्डरी बोर्ड की स्थापना हुई है। उसकी मीटिंग के कार्यक्रम पर पहला आइटम था चेयरमैन का निर्वाचन। मीटिंग हुई और जो हमारे कृषि मंत्री महोदय हैं वह उस स्थान पर आये। महज एलेक्शन कराना उनका कर्तव्य था परन्तु उन्होंने अगल-बगल देखा तो कोई कैंडीडेट उनको जीतने वाला नहीं मिला। तीन दिन तक बगैर एलेक्शन कराये मीटिंग चलती रही। जब उन्होंने देखा कि उनके मन के मुताबिक आदमी है तो उन्होंने एलेक्शन करा दिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे जो मंत्री हैं वह इतने व्यस्त हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता है। रहने वाले अलीगढ़ के हैं और जाकर उनको गोंडा में मीटिंग अटेन्ड करना पड़ता है और दूसरी जगह भी जाना पड़ता है। आगे पता नहीं उनको कहां से एलेक्शन में खड़ा होना पड़े। इसलिये जो संशोधन मैंने रखा है उसको स्वीकार किया जाय। सौभाग्य से यहां पर दोनों उपमंत्री मौजूद हैं और बहुगुणा जी को भी अनुभव हो गया होगा कि हम लोगों का अभी जो संशोधन स्वीकार हुआ है उसको देखते हुये कि सदन की दिलचस्पी किधर है। उनको जानकारी हो रही है। अभी वह ऊंचे ओहदे पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि उनके सिर पर भार आ जाय पर सौभाग्य से अभी वह उस दर्जे को प्राप्त नहीं कर सके। श्री वर्मा जी, जो केन कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, सारा काम उन्होंने किया है और वह गन्ना उत्पादकों की सारी व्यवस्था को भी जानते हैं उनको रख दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिये अगर यह संशोधन कर दिया जाय तो गन्ने के किसानों के हित के अपहरण की जो सम्भावना है उनके साथ कुछ सहानुभूति होगी और कुछ बचत हो सकेगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मुझे कभी-कभी मौका मिलता है। तीन दिन से गन्ने पर बहस चल रही है लेकिन किसानों की जो हालत है उस पर कोई नेता और कोई लीडर नहीं पहुंचा। किसानों को जो दुख हो रहा है वह दुख किसान ही जानता है। श्रीमन् आपके द्वारा मैं अर्ज करूंगा कि अगस्त के महीने में गुड़ का क्या भाव था। अगस्त के महीने में गुड़ का भाव २०, २१ रुपये मन था। आज आप देखिये कि गुड़ का क्या भाव है।

श्री अधिष्ठाता---इसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी---यह खास चीज है। इसको मैं जरूर कहना चाहता हूं और यह कह कर उसी पर आ रहा हूं। अब आज दिसम्बर में गुड़ का क्या भाव है। अब दिसम्बर के महीने में गुड़ का भाव १३, १४ रुपये मन है। वह किसान तो मर गया और बिलकुल जिन्दा मर गया। सरकार को पता नहीं है कि चीनी क्या भाव जनता में बिकती है। चीनी का भाव १५।। आना सेर है लेकिन हम लोगों को मिलती है १। रुपया सेर। ज्यादा दाम पर गरीब आदमी को मिलती है। इसलिये इस सरकार को एक चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिये। गरीबों के साथ ऐसा न्याय नहीं करना चाहिये। इतने दिन हो गये लेकिन यह सरकार गरीब किसान के लिये कुछ नहीं कर सकी। हम लोगों के लिये कार्ड मिलता है। हम लोग १० दिन के लिये आते हैं और हमको ४, ४ सेर चीनी मिलती है। आटा मिलता है। सूजी मिलती है। २०० रुपया महीना मिलता है। १० रुपया रोज मिलता है। फर्स्ट क्लास में बैठते हैं और फर्स्ट का भत्ता मिलता है। दो दिन का पहले का लेते हैं और दो दिन बाद का मिलता है। मुफ्त की चीज है उसे लेने को सब तैयार रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों का सच्चा नुमाइन्दा मुझे नजर नहीं आता। आपको मालूम ह

[श्री टीकाराम पुजारी]

कि चारे का क्या दाम है ? करबी और भूसे का क्या दाम है ? दो रुपये मन । और गन्ने का क्या दाम है ? १ रुपया ५ आने मन। इसे तो किसान चारा करके ही बेच लेगा और अगर आपको नहीं देगा तो आप चीनी बिना तड़प-तड़प कर मर जायंगे। यह सोचने की बात है। किसान से वायदा करके हम और आप दोनों यहां आये हैं कि हम उसका भला करेंगे आज मंत्री जी कहते हैं कि हम सफाई देंगे। यह सफाई की क्या जरूरत है। यह सफाई तो जनता के सामने सन् १९६२ में दी जायेगी। किसी कवि ने कहा है :

फिदा को जाना हमने साकी लोहू दिया शराब करके,
तपे इलम ने जिगर को भूना, हम खा लिया कबाब करके।
मेरे जनाजे पे मेरा कातिल, नमाज पढ़ कर यह कह रहा है,
न चैन पाओगे तुम भी जालिम, नाहक किसी को खराब करके।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन यहां तो प्रश्न दूसरा है।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं उसी पर आ रहा हूं, श्रीमन्। सन् १९३२ और १९४० में हम और आप कहा करते थे कि किसान और मजदूर जो चीज पैदा करेगा उसी को उसका दाम और भाव तय करने का हक होगा। यह कांग्रेस और महात्मा गांधी की बात है। और आज यह कितना अन्याय है कि ईख हम पैदा करें और उसका भाव लखनऊ और दिल्ली वाले तय करें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। ऊपर में मंत्री नहीं होना चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि नेता नहीं होना चाहिये, उपनेता रहना चाहिये। यह मंत्री और नेता देश को बरबाद कर देंगे। जब मैं कभी कुछ कहना चाहता हूं तो मुझ से कहा जाता है कि कृपा करके बैठ जाइये। तो क्या यह कृपा मेरे ही हिस्से में आ गई है ? आगे बैठने वालों के लिये क्या कृपा मर गई है। क्यों ? क्योंकि नेताराज है। नेता न रहे उपनेता रहना चाहिये। अध्यक्ष न रहे, उपाध्यक्ष रहना चाहिये। श्रीमन्, मेरा यह सुझाव है। इन नेताओं ने देश का सत्यानाश कर दिया है। मंत्री न रहे, उपमंत्री ही रहे....

श्री अधिष्ठाता---आप कह तो चुके इस बात को। अब आप बोल चुके हैं, कृपया बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण---मैं, श्रीमन्, इसका विरोध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता---आपको यह मालूम है कि आज ही यह बिल पास होना है क्योंकि उसके बाद फिर प्रस्ताव आने वाला है....

श्री राजनारायण---वह तो श्रीमन्, इसके बाद ही आयेगा। मैं विरोध में बोल तो सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आपका संशोधन जो है वह तो लिया जायेगा। आपने तो यह संशोधन रखा है कि इस क्लाज ४ को बिलकुल निकाल दिया जाय। इस क्लाज का आप विरोध कर रहे हैं तो उसके लिये आपको मौका दिया जायेगा। इस समय आप बैठिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, तो उसके लिये कब मौका दिया जायेगा। यहां तो क्लोजर मूव हो गया है।

श्री अधिष्ठाता---यह होने दीजिये, आपको मौका बोलने का दिया जायेगा।

श्री राजनारायण—वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि कब दिया जायेगा, श्रीमन्।

श्री प्रतापसिंह—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, इस हाउस की यह परम्परा रही है कि जब समय नहीं रहता है तो बहस नहीं होती है और क्लोजर का मोशन आ जाता है। किन्तु जब एमेन्डमेन्ट्स पर बहस हो रही हो, एमेन्डमेंट्स चल रहे हों, तब क्या क्लोजर का मोशन आ सकता है? अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब एमेन्डमेंट्स पर बहस हो रही हो तो उस समय क्लोजर का मोशन आ जाये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। एमेन्डमेन्ट्स के लिये कोई समय निर्धारित नहीं होता है, ऐसा होता रहा है।

श्री अधिष्ठाता—ऐसा नहीं है। क्लोजर का मोशन हर वक्त मूव हो सकता है।

श्री राजनारायण—जी हां। यहां सब कुछ हो सकता है। यहां तो शीर्षासन भी लगाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया, राजनारायण जी, उचित भाषा का प्रयोग करें। यह पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस क्लोजर के पहले भी मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं....

श्री अधिष्ठाता—आप क्लोजर मूव होने के पहले १० बार भी यदि खड़े हो चुके हों तो उससे क्या होता है। आपको बोलने के लिये तो नहीं कहा गया।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि यह क्लोजर मूव हो जाता है तो उसके बाद आप वोट लेंगे गेंदा सिंह जी के एमेन्डमेंट पर। तो क्या उसके बाद आप मुझे बोलने का मौका देंगे? अगर आप नई प्रथा चलाना चाहते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप हमको बुलवा देंगे तो वह कैसे हो सकेगा?

श्री अधिष्ठाता—जब हम यह कहेंगे कि खंड ४ विधेयक का अंग बने उसके पहले आपको मौका दिया जायगा।

श्री राजनारायण—वह गलत होगा। एक नई प्रथा हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं। अभी तो पहले गेंदा सिंह जी का अमेंडमेंट है उसके बाद और भी अमेंडमेंट हैं। उनके बाद प्रश्न रखने से पूर्व पूरे खंड के लिये आपको बुलाया जा सकता है। वह नई प्रथा नहीं है।

श्री राजनारायण—नई प्रथा है, आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, नई प्रथा नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दे दिया। मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करते हुए एक बात की याद दिलाता हूं कि क्यों सहकारी प्रभारी मंत्री नहीं रहना चाहिये। इसमें कुछ पद की बात होती है और कुछ व्यक्तित्व की, और जब दोनों मिश्रित कर दी जाती हैं तो वह नई बात पैदा होती है जो मैं कह रहा हूं। जो प्रभारी मंत्री हैं सहकारिता के उनके व्यक्तित्व बात को लेकर देखा जाय तो वह सारा इतिहास ही असहकारिता का इतिहास बन गया है। इसी कुर्सी पर जहां आप विराजमान हैं इसी पर विराजमान होने वाले महान् व्यक्ति राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टंडन के साथ क्या किया गया है और वही किया जायगा अगर सहकारी प्रभारी मंत्री का वाक्य बिल से न निकाला गया।

श्री अधिष्ठाता—मैं इस तरह की वैयक्तिक बातों की इजाजत नहीं दूगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं तो यह कह रहा हूं कि क्यों सहकारी प्रभारी मंत्री नहीं होना चाहिये बल्कि इसमें उपमंत्री का होना जरूरी है और यह इसलिये कहता हूं कि इससे कितनी हानि हो सकती है। इस प्रदेश और देश के महान् नेता आचार्य नरेन्द्र देव जी के साथ जो किया गया है ठीक वही इसके साथ भी किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—आप यह कहें कि माननीय मंत्री को फुरसत नहीं है, लेकिन अगर माननीय नरेन्द्रदेव जी या माननीय टंडन जी की बात को लेकर कोई बात आप कहेंगे तो मैं आपको उसके लिये इजाजत देने को तैयार नहीं हूं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं उसके लिये इजाजत नहीं दे सकता। श्री शिवप्रसाद नागर जी, आप बोलते जाइये।

श्री शिवप्रसाद नागर—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है किन्तु मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी इस वक्त तक हुआ है कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर वह चाहे किसी व्यक्ति से सम्बन्धित हो और चाहे वहां के पदाधिकारी हों उनके कृत्य सहन करने के योग्य नहीं हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिये। इसलिये जो दोष कोआपरेटिव विभाग के हैं जिनके कारण सारी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है वह सारा दोष इस प्रदेश के किसानों को न उठाना पड़े जिसका अन्देशा है इसलिये सहकारी प्रभारी मंत्री इसके अन्दर नहीं आने चाहिये।

मैं यह इसलिये और भी कहता हूं कि दो-दो वर्ष तक कोआपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव जिलों में नहीं हुये। लखीमपुर के अन्दर दो तीन मार्केटिंग सोसाइटियों के सालाना चुनाव नहीं हुये। यहां तक कि प्रभारी सहकारी मंत्री से मौखिक लिखित सब प्रकार से बतलाया गया, लेकिन कोई आदेश नहीं हुआ। बराबर दो साल तक मीटिंग को रोका गया और यहां तक कि केन कोआपरेटिव फेडरेशन का दो साल तक बराबर जलसा नहीं हुआ और भी बड़ी-बड़ी अनियमिततायें चलती रहीं जिसको इस प्रदेश का किसान अब सहन नहीं कर सकता। इसीलिये सख्त विरोध इसका किया जा रहा है और अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो गन्ने के किसानों को कुचल डाला जायगा, उनको रौंद डाला जायगा और वह कभी जिन्दा नहीं बच सकते। मैं एक बात आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जितनी गन्ने की हड़तालें इस समय हुई हैं सारे गन्ने की हड़तालों में, कोआपरेटिव सोसाइटीज के जितने कर्मचारी हैं....

श्री अधिष्ठाता—नागर जी, आपका भाषण जो हो रहा है वह बिलकुल व्यक्तिगत हो रहा है, अमेंडमेंट की ओर आप ध्यान दीजिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—अमेंडमेंट यह है कि उसमें प्रभारी सहकारी मंत्री न रखे जायं। किसी भी अदालत में जब कोई मुकदमा पेश होता है तो उस पर बिना दलील के कोई बहस नहीं होती, बगैर दलील के विषय रूखा हो जायगा....

श्री अधिष्ठाता—अगर बहस इर्रेलिवेन्ट होती है तो उसको रोक दिया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें कितने दोष हैं। अगर एक सेर घुना हुआ गल्ला ५० मन अच्छे गल्ले में मिला दिया जाय तो वह ५० मन सब घुन जायगा। इसलिये आज जो सहकारिता का घुन बन गया है वह धीरे-धीरे सारे किसानों को लग जायगा। गन्ने की कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो अधिकारी हैं उन्होंने किसानों को धमकाया कि तुम्हारा सट्टा काट देंगे, तुम्हारा गन्ना नहीं खरीदेंगे। तो जब वह नहीं हैं तब तो यह दशा है और जब वह आ जायेंगे तब तो भगवान ही खैर करेगा। मैं पलिया मिल का उदाहरण देना चाहता हूं। काश्तकारों की कटौती से १८ लाख रुपया इकट्ठा हुआ। लखीमपुर के उद्योग विभाग की एक रिपोर्ट, जो कि दिसम्बर, १९५८ में पेश हुई, वह

सरकार तक भी आई है उसमें लिखा है कि पलिया स्टेशन ५५-६० लाख मन गन्ने की सप्लाई का सेन्टर है। एक प्रस्ताव यह था कि जिले में एक सहकारी मिल खोली जाय उस पर उन्होंने धनराशि इकट्ठा करने के लिये कहा था ....

श्री अधिष्ठाता---आप बिलकुल व्यतिक्रम कर रहे हैं।

श्री बलदेवसिंह---व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य जो बोल रहा हो वह अपनी मर्जी से बोले या अधिष्ठाता महोदय की जो मर्जी हो वह बोले, वह अपने विचार प्रकट करे या माननीय अधिष्ठाता के विचार प्रकट करे ?

श्री अधिष्ठाता---सदस्य का जो विचार होगा वह तो कहेगा ही, लेकिन अगर वह विषय के बाहर जायगा तो मैं उसको रोक दूंगा और अगर उस पर भी नहीं मानेगा तो मैं कहूंगा कि उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर---अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत हैरान हूं रास्ता नहीं मिल रहा है। सहकारिता के अन्तर्गत जो मेरे सिर पर गुजरा है उसके जख्म मेरे सिर पर देखे जायं....

श्री अधिष्ठाता---अमेंडमेंट सिर्फ यह है कि 'मंत्री' के बजाय 'उपमंत्री' रख दिया जाय। इसकी बहस में आप जितना चाहें बोलें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं इसी की पुष्टि में बोलूंगा आप कृपा कर सुनें। आपको वही शब्द सुनाई देंगे और आपके मन में वह चीज पड़ेगी। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि दो आना मन की कटौती से १८ लाख रुपया इकट्ठा हुआ। उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है वह कहती है कि यह धनराशि प्रति वर्ष बढ़ सकती है। इस तथ्य से इस बात की पुष्टि होती है कि जिले में एक शुगर मिल अवश्य होना चाहिये लेकिन मिल वालों की हानि होती थी इससे कटौती वापिस कराई गई और उसके बाद जब फिर यहां हल्ला मचा तो ....

श्री अधिष्ठाता---मैं आपका ध्यान नियम २९१ की तरफ दिलाऊंगा।

"The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech."

इस ओर मैंने आपका ध्यान इस लिये दिलाया क्योंकि आप व्यतिक्रम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से आप स्पीच जारी रखेंगे तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मेरा विरोध यही है कि सहकारी मंत्री इसमें नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---प्रस्ताव यह है कि बजाय मंत्री के उपमंत्री हों चाहे सहकारिता के हों या कृषि के हों या उद्योग के हों।

श्री शिवप्रसाद नागर---प्रस्ताव यह है कि यह रख दिया जाय---'उद्योग गन्ना तथा सहकारिता के उपमंत्री'। प्रभारी सहकारिता मंत्री को हटाने का प्रश्न है। उसकी पुष्टि में एक बड़ी विचित्र बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक कोआपरेटिव केन सोसाइटी के झगड़े की बात है। कोआपरेटिव रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश से शिकायत की गई थी कि वह हमारा फैसला कर दे। कोआपरेटिव रजिस्ट्रार लिखते हैं कि प्रार्थी को मूल रूप में इस आशय के साथ प्रेषित ....

(इस समय ४ बजकर ३२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री शिवप्रसाद नागर]

अध्यक्ष महोदय, अब आप आ गये हैं और मेरी कठिनाई आसान हो गई । अरनीखाना सोसाइटी का कुछ झगड़ा हुआ और जिला गन्ना अधिकारी ने कह दिया कि वह उसे सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । आर्बीट्रेशन के लिये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को प्रार्थना-पत्र दिया गया मगर उन्होंने ज्यों का त्यों वापिस कर दिया । उसकी उन्होंने फाइल भी नहीं बनाई । उसके हाशिये पर लिखा कि प्रार्थी को मूल रूप में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित करें क्योंकि गन्ना समितियां उन्हीं के अन्तर्गत कार्य करती हैं । इस पर हमने गन्ना आयुक्त के पास अपील कराई । गन्ना आयुक्त का यह पत्र है वह कहते हैं कि कृपया आप अपने पत्र दिनांक २७ अगस्त, १९५९ की ओर ध्यान दें और आपके पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि आप रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश के यहां आर्बीट्रेशन दायर करें जिससे आपके मसले पर उचित कार्यवाही हो सके । हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जावें । त्रिशंकु की तरह से लटके हैं, न आसमान में हैं न जमीन पर हैं । कोई सुनने वाला है नक्कारखाने में तूती की आवाज ?

दूसरी बात यह भी है कि एक किसान ने एक दिन गन्ना दफ्तर के सामने रोकर कहा कि यह गन्ना दफ्तर है या भठियारखाना है । मैंने पूछा कि क्या बात है । तो उसने रिपीट किया और कहा कि यह गन्ना केर दफ्तर है कि यह भटियारखाना है न पहुंचे बोल तूती का यहां नक्कारखाना है ।

मैं कहना चाहता हूं कि गेंदासिंह जी के संशोधन को यह सदन स्वीकार करे ।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री राजनारायण---सदन का समय तो आपने पहले से ही बढ़ा रखा है । एक दिन के के लिये नहीं बल्कि आपने कह दिया था कि हम ४ दिन तक लगातार ५ बजे से लेकर ७ १/२ बजे तक बैठेंगे । अब एकायक इस नये प्रस्ताव का रहस्य हमारी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---वह स्पष्ट करेंगे ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, जैसा सारे सदन को विदित है, सवेरे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ये सारे बिल, हस्तिनापुर जिला अन्तरिम परिषद् शुगरकेन सेस, शुगरकेन सप्लाई और संविधान के संशोधन का बिल, ये सब आज पास होंगे । तब चौन के ऊपर ५ बजे के बाद विवाद होगा । चूंकि अभी तक आधा बिल भी पास नहीं हो पाया है, और चूंकि इन सब बिलों के पास होने की बड़ी आवश्यकता है, इसलिये यह अनिवार्य हो गया है कि कम से कम २ घंटे का समय आज बढ़ाया जाय ।

श्री राजनारायण---माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं, अच्छा है कि मैं अपने उद्गार प्रकट कर दूं । माननीय मुख्य मंत्री जी जरा स्वतः विचार करें । माननीय अध्यक्ष महोदय के मुखारविन्द से इस सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार यह बात कही जा चुकी है कि इस ढंग से कार्यक्रम बनेगा । कल भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने यही कहा था कि उन्होंने सभी पक्षों को सुन लिया है और सभी पक्षों को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं । उसके अनुसार कल ५ बजे चौन पर विवाद होगा और उसके बाद जैसा होगा देखा जायगा । तो क्या माननीय अध्यक्ष के मुखारबिन्द से निकले हुये इन निर्णयों, आदेशों या व्यवस्थाओं के विरुद्ध आज जो तजवीज की जा रही है वह उचित है ? क्या यह आपके इन निर्णयों के विरुद्ध नहीं जा रही है ? स्पष्ट जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---यह बात गलत है कि मैंने इस प्रकार की कोई बात कही हो कि बिल लटके रहें और चीन का विवाद प्रारंभ हो जाय। ये सभी बिल ऐसे महत्व के नहीं हैं, एकाध को छोड़ कर, और संविधान के संशोधन वाला भी फार्मल ही है। यह बात हो रही थी। अभी तक २ दिन में एक भी बिल पास नहीं हुआ है। आप लोगों को चीनी, गुड़ व शक्कर पर साल भर में चार बार बोलने की जरूरत है और चार बार बहस १५ दिन में भी होती रह सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसमें अगर प्वाइंट्स के ऊपर ही सदस्य बोलें तब भी ठीक है, लेकिन किसी ने नगर निगम के एक बाई-एलेक्शन का शोशा छोड़ दिया तो कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टी वालों की शक्ति की तुलना भी बहस में आ जाती है। जब इस तरह से समय जाता है तो मेरे समय निर्णधारण को कोई ब्रह्म वाक्य मानकर आप न चलें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य दूसरों ने नहीं माना है वरना दो दिन में एक या दो बिल तो पास वे कर देते।

श्री राजनारायण---हमने तो माना है।

श्री अध्यक्ष---व्यक्ति का, किसी का सवाल नहीं है। सारे सदन का प्रश्न है। क्योंकि वह समझौता एक तरफ से टूट रहा है, इसलिये वह जो समझौता आपस में हुआ था कि एक रोज या दो रोज इसके लिये दे दिया जाय, दूसरी ओर लोग कह सकते हैं कि अब हम उसको नहीं मानते। क्योंकि मालूम यह होता है कि चीन के मसले में किसी को महत्व नहीं दिखाई देता और कुछ लोगों के दिलों में यह स्पष्ट जरूर मालूम होता है कि गन्ने वाली चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर अगर आठ रोज तक भी बहस हो तो उसे कम ही समझते हैं। और फिर यह भी कि उसके ऊपर भाषण भी छोटे नहीं होंगे, तार्किक भी न होंगे बल्कि और भी बहस उसमें आ सकती है, समय खत्म करने के लिये। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि समय के प्रस्ताव पर राय ले ली जाय।

श्री राजनारायण---मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मेरे विरोध का कारण यह है, क्योंकि इस सदन में जनतांत्रिक ढंग से वादविवाद करने का अवसर प्रदान किया जाता है और उस तरीके से मैं यह समझता हूं कि इन दो घंटों में ये चार विधेयक पास नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष---एक भी होगा या नहीं?

श्री राजनारायण---हो सकता है। आप कुछ स्वयं प्रश्न करते हैं तो हमें कुछ सहम आती है।

श्री अध्यक्ष---एक भी अगर पास हो जाता तो मैं समझ लेता।

श्री राजनारायण---इसीलिये मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अभी यह तर्क दिया गया कि ४ विधेयक पास कराने हैं और दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यही कहा है कि दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय, यह नहीं कहा कि २ घंटे में ये सब पास ही हो जायेंगे। अगर पास नहीं होंगे तो सदन उठ जायगा।

श्री राजनारायण---मैं तो चाहता था कि इसको अभी उठा दिया जाय और चीन वाला प्रस्ताव ले लिया जाय।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, हो सकता है सदन के कुछ लोगों के लिए गन्ना, शकर, गुड़ और राब अधिक महत्वपूर्ण हो, लेकिन इसके साथ ही साथ इस तरफ के बहुत से माननीय सदस्य और उस तरफ के भी माननीय सदस्य बहुत से ऐसे होंगे जिनको चीन के सम्बन्ध में होने वाली डिबेट अधिक महत्व रखती है। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो हमारी मजबूरी होगी। अगर आज दो घंटे का समय इसमें चला जाता है तो २८ तारीख को भी ऐसी सूरत हो सकती है। इसके लिये हमें वक्त दे दीजिये, जिससे हम कोई रास्ता इसके लिये निकाल सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं सबसे पहले इस बात पर खेद प्रकाशित करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष से जो बातचीत हुई थी वह उनके कारण विफल रही। उसके बारे में कल, परसों बातचीत चली और आज भी मैंने बातचीत करने का प्रयत्न किया लेकिन अपने प्रयत्न में विफल रहा। अतः इस विफलता का दोष हमें नहीं दिया जा सकता। अगर हमारा दोष माना भी जाय तो सरकारी पक्ष का दोष भी उतना ही है। मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे दल और समस्त विरोधीदल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चीन के मसले को यह समझे कि वह गन्ने और चीनी के मसले से कम महत्व का है। अगर ऐसी कोई भावना हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसका निराकरण करने की कृपा करें।

आज दो घंटे समय बढ़ा कर काम को पूरा करने में हमें कोई आपत्ति न होती लेकिन सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि दो घंटे के बाद ढ़ाई घंटे और क्या चीन वाले मसले पर विचार होगा। इसके अतिरिक्त गन्ने के दामों से संबंधित तथा कानपुर वाले मामलों से संबंधित कार्य हमारे सामने और भी है। जहां एक ओर यह कहा जाता है कि गन्ने और चीनी से चीन वाले प्रस्ताव का महत्व कम समझा जा रहा है वहां यह भी शिकायत है कि चीन विवाद के नाम पर यह चेष्टा की जाय और यह कहा जाय कि ४, ५ विधेयक उसी दिन पारित हो जायं। तो उसके महत्व को भी देखा जाय। इसलिये मेरी तो यह प्रार्थना है कि चाहे चीनी का सवाल हो, चाहे आपसी एलेक्शन हो, थोड़ा बहुत समय निकाल कर चीन के मसले पर भी दो दिन विवाद होना चाहिये और यह बिल भी बिना पुनरावृत्ति के जल्द से जल्द पास कर दिये जायं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, कुछ मैं इस मामले में आपके सामने दोषी हूं कि मैं सचमुच चीन के महत्व को गन्ने और चीनी के महत्व से अधिक नहीं समझता। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसमें हमारा दोष उतना नहीं है। मैं आपसे अपने दोष से मुक्त होना चाहता हूं। इस गरज से मैं आप से थोड़े समय में कह देना चाहता हूं कि इस देश की जितनी चिन्ता हमको है उससे कम चिन्ता इस सरकार को नहीं होनी चाहिये। चीन के सम्बन्ध में विवाद करने के लिये समय निकालने की चिन्ता इधर जितनी होनी चाहिये, उससे अधिक चिन्ता सरकार को होनी चाहिये। अगर घर में कोई खराबी हो तो अब आप ही बतलावें कि यह हम गैरजिम्मेदारी की बात कर रहे हैं या वे गैर-जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से ऐसी कोई बात हो तो भी उधर गैरजिम्मेदारी की बात नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि हम बहुत फिक्रमन्द हैं, चीन की ग़लत हरकतों की वजह से और उसको रोकने के लिये चेष्टा करने में हम अपने प्राणपण को भी लगा देंगे लेकिन सरकार को भी देखना चाहिये कि अपने घर के ही १८, २० लाख किसानों के सम्बन्ध में कोई बात कही जाय जो थोड़ी लम्बी भी हो जाय तो उसके लिये इस सदन को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। जब इस बात की चर्चा करने का मौका सदन को मिला है तो एक बात यह हो सकती है—श्रीमन् आप कई वर्ष से हमारी अगुवाई कर रहे हैं, चाहे जो भी कारण हों लेकिन जितने समय तक आज कल असेम्बली बैठती है क्या पहले भी उतने समय तक यह बैठती थी? यही हमारा एक साधन है और इसी के द्वारा हम अपनी भावना को जो सारे देश में फैल रही है आपके सामने रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय २ घंटे के लिये आज बढ़ाया जाय और उसके बीच में यह जो विधेयक चालू है वह चालू रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९

खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब यह बिल चालू होगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अच्छा हुआ होता कि जिस वक्त मैं बोल रहा था तो शुरू में ही माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सहकारिता मंत्री, दोनों महानुभाव मेरी बात को सुन लिये होते। लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुन ली होगी।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने माननीय गेंदासिंह जी की बात सुन ली थी।

श्री गेंदासिंह—उन बातों को फिर दोहराने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जिन बातों को मैंने या सदस्यों ने कहा उसका किसी ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप के जरिये, मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि शुगर केन बोर्ड में उनको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके वहां रहने से अव्यवस्था होगी। इसलिये कृपा कर के वे अपने ही डिप्टी मिनिस्टर को रख दें तो उसमें क्या हर्ज होता है? अपने लोभ को इतना तो वे संवरण करें ही।

दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है उनकी स्मरण शक्ति कुछ क्षीण हो गयी है, जिससे वे अपने दिए हुए आश्वासनों को भी भूल जाते हैं और उनका कार्यभार भी बहुत है। इन दो बातों की वजह से जो काम वह करते हैं, वह बोर्ड में न रहें ताकि काम में आसानी हो, इतना ही फिर दोहराने के बाद मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष जी, जिस तरह की चर्चा इस संशोधन के सम्बन्ध में हुई ह उसके सम्बन्ध में मैं अगर यह कहूं कि वह तथ्य से परे थी और इसलिये उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तो यह गलत न होगा। आगे मैं अधिक कहना नहीं चाहता लेकिन सामान्य बुद्धि यह कहती ह कि कोई भी उपमंत्री अपन मंत्री के परामर्श के बिना कुछ नहीं करता और एक सम्मिलित जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है। इसको समझते हुय भी तमाम तरह की बातों को उछालकर समय लिया गया है। मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ (क) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :—

"उद्योग, गन्ना तथा सहकारिता के उपमन्त्री"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से.....

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, आप से पहले अधिष्ठाता जी ने कहा था कि इसके बाद आप का संशोधन ले लूंगा, वह समझ नही पाये थे, हम केवल विरोध करते हैं तो जैसा पुराना है वही रह जाता है, हमारे संशोधन में ही संशोधन हो जाता है....

श्री अध्यक्ष—आप का संशोधन बाद में लिया जायगा, मैंने अभी इसे देखा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामलखन मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका स्वरूप इस प्रकार है कि विधेयक के खंड ४ के वाक्य खंड "(क) उद्योग, गन्ना तथा सहकारिता के प्रभारी मन्त्री" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) उद्योग, कृषि तथा सहकारिता के प्रभारी मंत्री"

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन पूर्ण वैधानिक चिन्तन से भी परिपूर्ण है। मैंने जो 'मंत्री' शब्द रखा है वह इसलिये रखा है कि वह मंत्री परिषत् का सदस्य होगा और उसके साथ विशेषण है कि वह 'प्रभारी' भी होगा। 'गन्ना मंत्री' कोई नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है लेकिन 'कृषि मंत्री' के अन्तर्गत ही 'गन्ना मंत्री' भी आ जायगा। ऐसा करने से यह तथ्यगम्य भी हो जायगा और वाक्य का सौष्ठव और अर्थसंगति भी आ जायगी, और वह वस्तुतः परिपूर्ण हो जायगा। गन्ने का सम्बन्ध सदैव से हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से रहा है। संस्कृत में गन्ने को 'इक्षु' कहते हैं और इक्षु रस की हमारे साहित्य में बड़ी महिमा है। इक्षवाकु वंश भी गन्ने के प्रेम से ही चला है। सोमरस का पान भी हमारे यहां देवताओं को कराने की प्रथा रही है और गन्ने के रस को नैवेद्य के रूप में भोज आदि में पान कराया जाता रहा है .....

श्री अध्यक्ष—आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं?

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जिस भाषा को कि राष्ट्र भाषा के सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। इस सदन की सीरियसनेस का डेवलपमेंट इसी प्रकार होगा, मैं ह्यूमर को परिश्रय नहीं देना चाहता। संशोधन के सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं। अब मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष जी, मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ४ के वाक्य खंड "(क) उद्योग, गन्ना तथा सहकारिता के प्रभारी मन्त्री" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) उद्योग, कृषि तथा सहकारिता के प्रभारी मंत्री"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) के बाद निम्नलिखित उपखंड (ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(ख) मूल अधिनियम की धारा ३ (२) (ख) में "१५ सदस्यों" के स्थान पर "२० सदस्य" कर दिया जाय एवं दूसरी पंक्ति में 'होंगे' के बाद नीचे लिखे शब्द बढ़ा दिये जायं :

"तथा ५ सदस्य गुड़, राब व खंडसारी इकाइयों के प्रतिनिधि होंगे।"

मान्यवर, यह एक इतना सीधा, सरल लेकिन महत्वपूर्ण संशोधन है कि मैं समझता हूं कि इसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस मूल अधिनियम में हम संशोधन कर रहे हैं उसमें एक तीसरा क्लाज है। उस क्लाज में शुगरकेन बोर्ड के कम्पोजीशन का प्रावीजन है, जिसमें अब तक १५ सदस्य होते थे। ५ शुगर मिल्स के, ५ गन्ना उत्पादकों के और ५ टेक्नीकल रेप्रेजेन्टेटिव्ज। मैं यह आशा करता था कि जब यह प्रस्ताव आया था और उसमें गुड़, खंडसारी और राब को शामिल किया गया था तो विभाग की निगाह इस ओर जाती कि इसके कम्पोजीशन में उनका भी प्रतिनिधित्व होता जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जा रही है और जो प्रदेश के करीब-करीब ६० प्रतिशत गन्ना की खपत करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने

जो विवाद के दौरान में अपने विचार प्रकट किये हैं और जो सहानुभूति का दृष्टिकोण इन गृह उद्योगों के प्रति प्रकट किया है उनका ध्यान रखते हुए वह मेरे इस सुझाव को मानने की कृपा करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (क) के बाद निम्नलिखित उप-खण्ड (ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(ख) मूल अधिनियम की धारा ३ (२) (ख) में "१५ सदस्यों" के स्थान पर "२० सदस्य" कर दिया जाय एवं दूसरी पंक्ति में "होंगे" के बाद नीचे लिखे शब्द बढ़ा दिये जांय :

"तथा ५ सदस्य गुड़, राब व खंडसारी इकाइयों के प्रतिनिधि होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ का विरोध करता हूं और एक वाक्य यह अवश्य कहना चाहता हूं जैसा कि गेंदा सिंह जी का संशोधन था कि 'सहकारी मंत्री' के स्थान पर 'उपमंत्री' रहे और वह इसलिये रहे कि सहकारी मंत्री जी ने इस मुहकमे में पार्टीबाजी के कारण सहकारिता के काम को बड़ा धक्का पहुंचाया है, इसलिये उनको बोर्ड में नहीं रहना चाहिये वरना सहकारिता के प्रति लोगों के भाव बिगड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी, आप भी विरोध ही कर रहे हैं?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जो मूल अधिनियम है इसमें यह है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये गन्ना बोर्ड की स्थापना करेगी। बोर्ड में निम्नलिखित होंगे. . . .

श्री अध्यक्ष---आपका संशोधन यह है कि "मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा २ के खंड (क) को हटा दिया जाय"। आपके संशोधन का स्वरूप ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण---माननीय अधिठाता जी ने कहा कि लिख दीजिये तो हमन लिख दिया था। मुझे एक मिनट सुन लें तो वह ठीक हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष---मैं इस संशोधन की इजाजत नहीं देता हूं। विरोध आप कर सकते हैं। क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है, इसके लिये दूसरे शब्द आने चाहिये थे। मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री राजनारायण---क्योंकि हमने जिस समय संशोधन दिया था उस समय अधिष्ठाता महोदय थे। हमारी मजबूरी है कि आपसे हम बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह यह कहते हैं कि विरोध करेंगे।

श्री राजनारायण---हमने कहा था केवल हमारा विरोध नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो आपको इस शक्ल में संशोधन नहीं देना चाहिये था। उसकी दूसरी शक्ल होनी चाहिये थी। यह तो आप ने लिख दिया कि "मूल अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा २ के खंड (क) को हटा दिया जाय"।

श्री राजनारायण---उसी से तो हमारा मतलब पूरा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---आपको यह कहना चाहिये कि संशोधन को हटा दिया जाय।

श्री राजनारायण---तो वह बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब आप विरोध ही कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---यों अपने भाव को तो हम विरोध में बता ही देंगे। हम इसके विरोधी हैं कि जो गन्ना बोर्ड बन रहा है। मैंने माननीय बहुगुणा जी को सुना, गेंदा सिंह जी को सुना, जगदीश शरण अग्रवाल जी को सुना और सब को सुना, मेरा तर्क यह है कि अगर बोर्ड को अपना कार्य सम्पादन नियमित और अवाध गति से करना है तो उसमें न तो मिनिस्टर रहे और न डिप्टी मिनिस्टर रहे। मैं इस तर्क को समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं कि मिनिस्टर न रहे और डिप्टी मिनिस्टर रहे। मैं माननीय बहुगुणा जी के इस तथ्य को मानता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर रहेगा तो मिनिस्टर ही की राय से काम करेगा। वह माननीय गेंदा सिंह जी के भाव को पूरा करने में और खतरनाक साबित हो जायगा, क्योंकि वैसे तो आमने-सामने गेंदा सिंह जी मुख्य मंत्री जी को कह सकते थे, जैसा कि उन्होंने आज स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री की स्मरण शक्ति क्षीण हो गयी है, वृद्धावस्था के कारण . . .

श्री अध्यक्ष---आप विषयांतर कर रहे हैं, आप इधर-उधर न भटकिये।

श्री राजनारयण---मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन के समर्थन में क्यों नहीं हूं, यही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप विरोध करें, संशोधन का जिक्र ही नहीं है।

श्री राजनारायाण---मैं यही कह रहा हूं कि अगर मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर रहेगा तो वहां की नीति को सरकारी नीति से संचालित करेगा और वहां सही तरीके से विचार-विनिमय नहीं होगा, क्योंकि देखा जाय कि बोर्ड के क्या कर्त्तव्य हैं और जो बोर्ड बना है उसके कर्त्तव्य (क), (ख), (ग) और (घ) में दिये हुए हैं:

(क) में लिखा है चीनी की फैक्ट्रियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति विनियमन सम्बन्धी विषय।

इसमें सब बातें आ जायंगी कि गन्ने, चीनी, शीरे की क्या कीमत होगी।

(ख) में है कि गन्ने के विभेद जो चीनी की फ़ैक्ट्रियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त तथा अनुपयुक्त हों। इसमें गन्ने की किस्म आजायेगी।

(ग) में है फ़ैक्ट्रियों के अध्यासियों अथवा प्रबन्धकों, गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों, गन्ना विकास परिषद् तथा खरीदार और एजेन्टों के बीच समुचित सम्बन्ध बनाये रखना।

इस बोर्ड के कर्त्तव्य इतने व्यापक हैं कि इसमें उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो एजेन्ट्स हैं और सहकारी समितियां हैं यह सारी की सारी बातें आ जायेंगी और फिर,

(घ) में है अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

तो इस बात को माननीय सदस्य मानेंगे कि जो अध्यक्ष होता है वह बहुत कुछ किसी भी समिति या उप-समिति की गतिविधि को नियंत्रित करता है अपनी इच्छा के अनुकूल। इसमें रखा हुआ है कि उद्योग मंत्री बोर्ड के पदेन सभापति होंगे। अगर मान लें कि मौजूदा माननीय सम्पूर्णानन्द जी नहीं रहे और उनके स्थान पर बहुगुणा जी आ गये तो बहुगुणा जी उसके सभापति होंगे और माननीय बहुगुणा जी वह सरकारी नीति जो कि सदन पास करे, सदन कहे कि गन्ने की कीमत १ रुपये १२ आने ही हो और सरकार चाहे कि १ रुपये ७ आने से ज्यादा न हो तो उसी नीति को उस बोर्ड में चलाने में वे अपनी कुशलता का सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं।

इसलिये मेरा कहना है कि बोर्ड के कार्य को समुचित रूप से सम्पादित करना कर्तव्य प्रधान हो तो उसमें मंत्री या उप-मंत्री, किसी के रहने की आवश्यकता नहीं है और जब इनमें कोई नहीं रहते हैं तो चाहे वह सहकारी मंत्री हो या उद्योग मंत्री हो उसके व्यक्तिगत गुण दोष के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं एक सम्यक् दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। बहुत से बोर्ड बनते हैं, जो सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होते हैं। उसी तरह से यह बने जिसमें एक्सपर्ट हों, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हों जो किसानों, मजदूरों, और उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट (हित) को देखें।

श्री अध्यक्ष---वह आपका प्रस्ताव नहीं है। अभी आप विरोध करें।

श्री राजनारायण---विरोधात्मक सुझाव दे रहा हूं और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि बोर्ड इस तरीके से बनाया जाय जो सहकारी नियंत्रण से मुक्त हो।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड

५---मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) में

(क)---खण्ड (ख) में---

(१) अंक "६" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय, तथा

(२) उपखण्ड (१) में शब्द "चीनी की फैक्टरियों" के स्थान पर शब्द "चीनी (Sugar) की फैक्टरियों, गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" रख दिया जाय।

(ख)---खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (घ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"(घ) कोई व्यक्ति जो सचिव को सहायता देने के लिये संयुक्त सचिव के रूप में गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किया जाय।"

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शब्द "आठ" के स्थान पर शब्द "दस" रख दिया जाय।

विकास परिषदें बना करती हैं और वे सुरक्षित क्षेत्रों के लिये बना करती हैं। उसके अलावा भी जो क्षेत्र प्रति वर्ष सुरक्षित किये जा सकते हैं उनके लिये बनती हैं। तो ये ८ सदस्य जो हैं ये पहले से ही हैं, लेकिन जो तत्व अब आ रहे हैं शुगर केन बोर्ड, में जिनके विकास के नाम पर कुछ सेस सरकार लगाने जा रही है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये सदस्यों की संख्या इन विकास परिषदों में ८ के बजाय १० कर दी जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय गेंदा सिंह जी की हर बात को जितनी अच्छी तरह से सुनना मनन करना चाहिये उसकी बराबर मैं चेष्टा की है और करूंगा। इस संशोधन के जरिये वे जिन तत्वों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं उसी के परिणामस्वरूप हमने २ मेम्बर बढ़ाये हैं। अब तक इन कौंसिलों की मेम्बरशिप ६ थी, अब ८ हम खुद करने जा रहे हैं। ८ तक बढ़ाने का मकसद भी यही था कि जो नये तत्व आये हैं खांडसरी, गुड़ व राब के जो इस विधेयक की परिधि में आते हैं उनका प्रतिनिधित्व हो जाय। इसलिये उनको बढ़ाया गया है क्योंकि वो ही प्रतिनिधि सबके हैं। मुझे आशा है कि गेंदा सिंह जी स सफाई के बाद अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री गेंदा सिंह---मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो विरोध भी नहीं करेंगे आप ?

श्री गेंदा सिंह---जी नहीं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६ व ७

उ० प्र०अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ८ का शोधन

६---मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) के खंड (ग) में शब्द "चीनी की फैक्टरियों" और शब्द "तथा" के बीच में कामा तथा शब्द शब्द "गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" बढ़ा दिये जांय ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४,१९५३ ई० की धारा १० का संशोधन

७---मूल अधिनियम की धारा १० में जहां भी शब्द "अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर" आये हों उनके स्थान पर शब्द "अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना-कमिश्नर" रख दिये जांय तथा कोष्ठक और शब्द "Additional Cane Commissioner" निकाल दिये जांय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १८ का संशोधन

८---मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में :---

(१) शब्द "अध्यासी" के स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के अध्यासी" रख दिये जांय ।

(२) शब्द "फैक्टरी" के स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जांय; और

(३) निम्नलिखित उसके नये प्रतिबन्धात्मक खंडों के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये कमीशन की भिन्न-भिन्न दरें नियत की जा सकती हैं;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के सम्बन्ध में उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सीमित प्रयोजन के लिये उक्त कमीशन की पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है ।"

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ८ के प्रथम प्रतिबन्ध के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिये जांय :---

" जो तीन नये पैसे प्रतिमन से अधिक नहीं होंगी "।

प्रतिबन्ध मूल अधिनियम का इस प्रकार है ---

" किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये कमीशन की भिन्न-भिन्न दरें नियत की जा सकती हैं ।"

इसके बाद में यह जोड़ना चाहता हूं कि "जो तीन नये पैसे प्रतिमन से अधिक नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय, कुछ समय तक तो आप उपस्थित थे जब विवाद चल रहा था। हमारे उपमंत्री महोदय ने कहा कि इस टैक्स को लगाने की मंशा यह नहीं है कि खंडसारी वालों पर कोई बोझ लादा जाय बल्कि यह टैक्स इसलिये लाया गया कि इसके बहाने सरकारी अधिकारी जायंगे जिससे किसानों के गन्ने की ठीक कीमत मिल पायेगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी जो खंडसारी उद्योग वाले करते हैं या केन क्रशर वाले करते हैं, वह न कर पायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ४ आने या २५ नये पैसे का अधिकार लेकर उनका कतई यह मन्शा नहीं है कि छोटे उद्योग-धन्धे वालों को दबायें। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर उनकी ऐसी नीयत नहीं है तो फिर किस लिये इतना बड़ा अधिकार चाहते हैं? जैसा कि उन्होंने कल कहा कि जो छोटे उद्योग धन्धे हैं उनको वह चाहते हैं कि फलें फूलें और पनपें। गेंदा सिंह जी ने कल बताया कि उन्होंने यह भी कहा कि खद्दर का कपड़ा और दूसरे प्रकार के गृह उद्योगों के लिये सरकार सब्सिडी देती है और उसका एक इंडस्ट्री मुहकमा खुला हुआ है जिसके वह उपमंत्री हैं। वह लोगों को छोटे-छोटे उद्योगों के लिये मदद देता है और सरकार का यह मन्शा है कि छोटे उद्योग धन्धों का विकेन्द्रीकरण हो, लोगों को रोगजार मिले। इसके लिये महात्मा गांधी के नाम से लेकर समाजीकरण और विकेंद्रीकरण आदि सिद्धान्तों की बहुत चर्चा होती है। मैं समझता हूं कि स पर दोनों तरफ के बैठने वाले लोग एकमत हैं कि खंडसारी पर अधिक भार नहीं पड़ना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर सरकार को यह अधिकार लेने में क्या आनन्द आ रहा है? अगर आपकी नीयत साफ है, अगर सिर्फ इसलिये कि आप उनका निरीक्षण कर सकें, उनकी देख रेख कर सकें, उनके बारे में आप जानकारी रख सकें, उनका सर्वे आपके पास हो, ऐसा करते हैं और इस नीयत से करते हैं कि गन्ने वालों का कल्याण हो तो मेरा आपके जरिये मंत्री जी से यह निवेदन होगा कि इस अधिकार के लिये उनको बहुत तृष्णा नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अधिकार मंत्री जी को नहीं लेना चाहिये। जैसा कि कल गेंदा सिंह जी ने कहा था कि इस सरकार को बड़े चीनी मिल मालिकों के इशारे पर बहुत काम करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है और सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग किया तो छोटे उद्योग वाला बरबाद हो जायगा। इसलिये मैं इस आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे इस संशोधन को मान लें और तीन नये पैसे प्रति मन से अधिक का अधिकार सरकार को न दे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि २५ नये पैसे की बात उनको क्यों परेशान कर रही है। इसके द्वारा केवल खांडसारी और गुड़ के उद्योग पर जो इसकी परिधि में आते हैं उनके लिये ही नहीं हो रहा है बल्कि चीनी मिलों के लिये भी इसमें व्यवस्था सम्मिलित है। अगर अब तीन पैसे की बात चीनी मिलों के लिये भी कर दी जाय, इसको गौरीशंकर राय जी मानने वाले हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके द्वारा व्यवस्था तीनों के लिये है। मैंने कल भी वायदा किया था और आज फिर उसको दुहराये देता हूं कि हम मिल के लिये, सल्फेटेशन प्लान्ट्स वालों के लिये तथा क्रशर वालों के लिये ऐसे रेट्स रखेंगे जो उनकी क्षमता के अनुसार होंगे। इसलिए मुझे आशा है कि वह इसको वापस ले लेंगे वरना मुझे इसका विरोध तो करना ही है।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट हुई और ऐसा लगता है कि गौरीशंकर राय जी के संशोधन से बड़ी मिल वालों को भी छट मिलने की शंका है तो यह हमारी मंशा नहीं है कि उनको छूट हो। संशोधन की केवल मंशा इतनी है कि जिनके ऊपर आप नये सिरे से टैक्स लगाना चाहते हैं उनके ऊपर तीन नये पैसे प्रति मन से ज्यादा टैक्स न लगाया जाय। अगर गवर्नमेन्ट कहेगी तो मैं समझता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे और इसको वापस ले लेंगे।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बातया और मैं भी देख रहा था और सही बात है मैं नहीं समझता था कि इसका असर तीनों पर पड़ेगा। मैं इसकी टैक्नीकेलिटीज में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मरी मंशा है जो उसको वह अच्छी तरह से समझते हैं और मैं उनकी मंशा को समझता हूं। इससे मालम होता है कि उनको हमारी बड़ी

[श्री गौरीशंकर राय]

भारी गलती मिल गयी है । हमारी नीयत यही है कि नये सिरे से जिन पर वह टैक्स लगाने जा रहे हैं उनके ऊपर तीन पैसे प्रति मन से ज्यादा टैक्स न लगाया जाय । जिन पर जितना लगता है उसके लिये हमें कुछ नहीं कहना है । इसके लिये अगर कोई तरमीम की जरूरत हो तो वह कर ली जाय, अगर वह मेरी मंशा से सहमत हों ।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि आप इसको अमेंड करना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें ही इसे ले लिया जाय तभी तो मालम होगा ।

श्री अध्यक्ष—पहले इसे ऐक्सेप्ट तो हो जाने दीजिये तब कोई फार्म हो जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मेरी मंशा यह नहीं है कि मिल वालों को छूट मिल जाय बल्कि जिन पर टैक्स लगे उन पर तीन पैसे से ज्यादा न लगे ।

श्री अध्यक्ष—अगर वह राजी होते हैं तो ठीक है वरना वोट ले लेंगे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, उसका इस समय कोई सवाल नहीं है, क्योंकि गन्ना मिलों के लिये भी करना पड़ेगा वरना डिस्टिंक्शन हो जायगा जो कि लीगली भी ठीक नहीं होगा । इसलिये इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं । लेकिन इतना आश्वासन अवश्य दे देना चाहता हूं कि हम क्षमता के अनुसार टैक्स लगायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के प्रथम प्रतिबन्ध के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिय जायं:—

"जो तीन नये पैसे प्रतिमन से अधिक नहीं होंगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदासिह—श्रीमन्, विरोध करने के लिये मुझे मजबूर किया जा रहा है । अब हमें कम से कम आप इस दोष से मुक्त कर दें कि मैं कोई बहस बढ़ाता हूं । बहुगुणा जी ने पहले यह कहा कि तुम फैक्टरियों को छूट दे देना चाहते हो । उसकी सफाई में कहा गया कि हम एसा नहीं चाहते । हम चाहते है कि गुड़, खांडसारी, राब वालों पर तीन पैसे से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा यह वादा कर दें । यह एक कम्प्रोमाइज था । लेकिन उनकी मंशा साफ नहीं मालूम होती है । तो हमें विरोध करने की आवश्यकता पड़ती है । मैं पूछना हूं कि आज तक जो सेस का रुपया काटा गया वह किस गरज स काटा गया ? प्रति वर्ष पाच–छः करोड़ रुपया कटता है केन सेसक । अध्यक्ष महोदय, १९५० में एक टैरिफ बोर्ड बैठा था ।उसने कहा है कि कहीं भी कच्चे माल पर सेस लगाने का रिवाज नहीं है । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया । आज भी तीन आने मन दूसरे प्रदेश नहीं लेते हैं और अगर लेते हैं तो गन्ना की उपज बढ़ाने, चीनी की रिकवरी ऊंची करने, चीनी के दाम सस्ता करने के काम में खर्च करते हैं । आंध्र, बम्बई और मद्रास को देख लें, वहां यह रिवाज है । पिछली मर्तबा शुगरकेन बोर्ड में मैंने इस सवाल को उठाया था । मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं । मैं पचास वर्ष के ऊपर हो गया हूं । पचास के ऊपर वालों की याददाश्त तो कमजोर हो ही जाती है । ६० वालों की और ज्यादा गड़बड़ होगी ।

श्री हुकुमसिह विसेन—जिनकी गड़बड़ होने वाली होती है उन्हीं की गड़बड़ होती है ।

श्री गेंदासिह—जो दवाई खाता है वह बूढ़ा कभी होगा ही नहीं, उसकी गड़बड़ नहीं होगी । लेकिन जो कुदरती तरीके पर जवान और बूढ़े होते हैं, वह जवान और बूढ़े होंगे ।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली मर्तबा यह प्रस्ताव आया कि जो केन सेस की रकम इकट्ठा होती है उसको गन्ने के काम में खर्च कर दिया जाय। इससे गन्ना की उपज बढ़ेगी और जो हम रोज झगड़ा करते हैं गन्ने की कीमत के लिये उसमें भी कुछ थोड़ी सी सहूलियत हम को मिल सके। करोड़ों रुपया सेस का वसूल हुआ उससे गन्ना वालों को या कंज्युमर्स को क्या सहूलियत पहुंची ? मैं आप के सामने किसी दिन पेश करूंगा कि सारी दुनिया में केन सेस की रकम नहीं ली जाती है। और अगर यहां ली जाती है तो उसका ठीक उपयोग होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि खांडसारी का इतना बड़ा उद्योग है जिसमें १२ लाख आदमी लगे हुए हैं सारे देश भर में। वह सीजनल काम करते हैं। उसमें करोड़ों मन गन्ना जाता है। दो लाख टन खांडसारी पैदा होती है। मैं एक शीशी में खांडसारी भर कर ले आया हूं। उसको मैं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं। वह ज्यादा स्वादिष्ट है सफेद चीनी से। उस खांडसारी की मदद करने के लिये यह सेस नहीं लगा रहे हैं।

अगर उसकी मदद करने के लिये यह सेस लगा रहे हैं तो हमको कोई एतराज नहीं होता। लेकिन यह उसकी मदद करने के लिये नहीं है। जो पहला तजुर्बा हमारा है वह यह है कि आप हरगिज उस काम में उसे खर्च नहीं करेंगे। आपके सामने दूसरे खर्च हैं, दूसरे कामों में आप उसे खर्च करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह नहीं लगना चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, शब्दों के साथ खेल करने से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। माननीय बहुगुणा जी ने यह कह दिया कि माननीय गौरीशंकर राय जो अगर फैक्टरी के मालिकों की मदद करना चाहते हों तो जरूर ऐसा संशोधन पेश करें। असल में भाव वह था नहीं। मगर आदमी अगर अपने तर्क को सही प्रकट कराने के लिये सन्तुलन खो दे तो जिस ढंग से चाहे वह बात बना दे। विरोध करते समय माननीय गेंदासिंह जी ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि हम फैक्टरी के मालिकों का हित नहीं करना चाहते हैं किसानों का अहित करके। अब मैं माननीय बहुगुणा जी से पूछना चाहूंगा कि क्या चीनी की कीमत जो निश्चित की जाती है उसमें यह सेस या अन्य प्रकार की ड्यूटीज जो लगती हैं इनका जोड़ नहीं होता। अगर सेस यह सरकार छोड़ दे तो उससे क्या कुछ चीनी सस्ती हो सकती है या किसानों के गन्ने की कीमत कुछ ज्यादा बढ़ सकती है ? यह एक एक अंग हाथी का है, कहीं उसकी पूंछ देखकर हाथी समझ रहे हैं, कहीं सूड़ देखकर हाथी समझ रहे हैं, कहीं पांव देखकर समझ रहे हैं और उसी बुद्धि-विभ्रम-जन्य भ्रान्ति में विचरण कर रहे हैं। इससे बड़ी मुसीबत हो रही है कि आखिर यह समाज बनने वाला है या बिगड़ने वाला है, बावजूद तमाम हमारे प्रयत्न के, देखें क्या होता है ? तो मैं बहुत ही स्पष्ट ढंग से यह कहना चाहता हूं कि यदि इस खंड का विरोध कर दिया जाय और विरोध करने का जो नतीजा हो वह किसानों और उपभोक्ताओं के हित में लगाया जाय तो निश्चित रूप में मिल मालिकों का उससे भला नहीं होगा, मिल मालिकों की अतिरिक्त आय में वृद्धि होगी, बल्कि उससे किसान का भला होगा।

इस विवाद को हम ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि फैक्टरी के मालिकों का हित कौन करना चाहता है ? इस ढंग से संज्ञा का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ न किया जाय बल्कि सही दृष्टिकोण अपनाया जाय। क्या कारण है, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय बहुगुणा जी अगर मिल मालिकों के हित के आगे किसानों या जो छोटे छोट गृह और कुटीर उद्योग-धन्धे चलाने वाले लोग हैं उनके हितों की उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं तो आज तक यह सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से नाबालिग क्यों है ? क्यों नहीं सरकार के सामने यह तथ्य आये कि सरकार बताती कि वह फैक्टरी पर कितना सेस लगायेगी, गुड़, राब या खांडसारी शक्कर पर कितना सेस लगायेगी ? इसमें कहीं भेद नहीं, कहीं व्याख्या नहीं, कहीं संकेत नहीं। और श्रीमन्, आप जानते हैं कि कानून की भाषा बिलकुल साफ होनी चाहिये और निश्चित होनी चाहिये। जब कानून की भाषा अनिश्चित होती है और अस्पष्ट होती है तो हमेशा उसमें मिल मालिकों का भला होता है और गरीबों का नुकसान होता

[श्री राजनारायण]

है। दुनिया का इतिहास इसका साक्षी है। आज भी आप देखें कि जिस कानून के अन्दर कानून की भाषा अस्पष्ट है, चाहे आप कचहरी में जांय या चाहे किसी भी कोर्ट में जांय, उससे गरीब का हित होने वाला नहीं है।

माननीय बहुगुणा जी सरकार की ओर से जो यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें इतना ही लिखा है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये कमीशन की भिन्न-भिन्न दरें नियत की जा सकती हैं" और देखें यह भी है कि "और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के सम्बन्ध में उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सीमित प्रयोजन के लिये उक्त कमीशन को पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती हैं"। अब इसका अर्थ जरा लगाया जाय और सत्य को अपने सामने रखा जाय। मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। आज बाहर चारों तरफ चर्चा है कि मेरठ के एक जिले में जो कि वहां पर खंडसारी के छोटे-छोटे उद्योगों को चलाने वाले लोग थ उनसे २० हजार रुपया लिया गया। यह वायदा सरकार की ओर से किया गया कि उन पर हम इस साल लाइसेन्स नहीं लगायेंगे। जब सरकार यह अधिकार लती है तो इसका दुरुपयोग होगा या नहीं? जब सरकार यह अधिकार लेती है तो सरकार के जो पक्ष के लोग हैं उनको छूट दे सकती है और जो सरकार से मोर्चा लेने वाले लोग हैं उन पर सरकार बढ़ा सकती है। अगर कोई मर्यादित सरकार हो तो सरकार को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिये, निश्चित भाषा का प्रयोग करना चाहिये जिसका गलत अर्थ न हो सके कि जिसको चाहे मनमाने ढंग पर दे दी जाय और जिसको चाहे उसको रगड़ दे। यह नहीं होना चाहिये। मगर आज जिस ढंग से इस विधेयक के जरिये यह सरकार अधिकार ले रही है, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि उससे पक्षपात बढ़ेगा, कुनबापरस्ती बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उससे देश और राष्ट्र का अहित होगा, क्योंकि आज यदि किसी कोने में भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो हमारे राष्ट्रीय हित को धक्का लगेगा। उससे राष्ट्रीय चरित्र का हनन होता है। इस विधेयक में इन सारी बातों की गुंजायश है। इसलिये इस विधेयक का जबरदस्त विरोध होना चाहिये। इस खंड का जबरदस्त विरोध होना चाहिये।

मैं आपसे इतना और निवेदन कर दूं कि आगे और आयेगा। हमारे पास इसके लिये कम प्रमाण नहीं हैं। हम एक एक बात को जानते हैं। विधान परिषद में भी महाराज सिंह भारतीय ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था। सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसका जवाब दे। तो जब हमारे पास इतने प्रमाण हैं, एक एक मंत्री क कुनबापरस्ती के प्रमाण हैं, एक एक विभाग के कुनबापरस्ती के प्रमाण हैं तो इस विधेयक में इतनी गुंजायश क्यों छोड़ें। आज इस विधेयक की भाषा दोषपूर्ण है। मैं चाहता हूं इसमें सुधार हो, संशोधन हो और इसको स्पष्ट किया जाय। इसकी भाषा को इस ढंग से रखिये कि अगर कोई भी मन्त्री हो, चाहे कोई बहुगुणा जी जैसा ईमानदार मन्त्री हो या राजनारायण जैसा बेईमान मन्त्री हो, अगर किसी प्रकार से वह कानून के अन्दर कुछ पक्षपात करना चाहे तो न कर सके। कानून के अन्दर खुद इतना बन्धन होना चाहिये कि अगर कोई बेईमानी करना चाहे तो न कर सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के इस खंड का विरोध किया जाय। इसी कर्त्तव्य के पालन हेतु मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस खंड का विरोध इसलिये करने जा रहा हूं कि जो गन्ना मिलों के क्षेत्र में रहे उसमें कमीशन सरकार को केन सेस के रूप में मिलता है लेकिन इस विधेयक के इस खंड से अब वह काश्तकार जो स्वतन्त्र रूप से अपना गन्ना बेचता था उसको भी देना पड़ेगा। इसी के मुताबिक इस खंड में सरकार यह अधिकार ले रही है और समय-समय पर सरकारी गजट में उस विज्ञप्ति को सरकार की तरफ से प्रकाशित

किया जायगा। एक गजट अभी ८ दिसम्बर को प्रकाशित हुआ है । उस गजट में जो साधारण प्रक्रिया द्वारा गुड़ बनाने वाले किसान हैं वह कमीशन देंगे १ मन पर दो नये पैसे, और जो सुल्वीय प्रक्रिया द्वारा गुड़ बनायेंगे वे ३ नये पैसे प्रति मन कमीशन देंगे और साधारण प्रक्रिया वाले ४ नये पैसे केन सेस देंगे और सुल्वीय प्रक्रिया वाले ६ नये पैसे प्रतिमन के हिसाब से केन सेस देंगे । तो यह नया टैक्स बढ़ रहा है उन काश्तकारों पर जो अभी तक कोई टैक्स नहीं देते थे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध हो चुका है कि ये विकास परिषदें केवल पूंजीपतियों की संरक्षिका हैं । उन्होंने गन्ना विकास के लिये कोई काम नहीं किया । केवल ३ पैसे मन कमीशन लेती हैं और गन्ने सप्लाई के लिये पर्चियां बांटने का काम करती हैं और साथ ही पिछली गन्ना सप्लाई के आधार पर कुछ आंकड़े भी तैयार करती हैं । तो उस झगड़ में यह किसान भी फंस रहा है । मैं माननीय मंत्री जी और सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान इन सब झगड़ों से दूर रहना चाहता है और वह नहीं चाहता कि उस के ऊपर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि सदन को इसको पास नहीं होने देना चाहिये । आप सोचें कि किसान की कितनी परेशानी बढ़ जायगी कि जब वह गन्ना बेचे तो वह गन्ना परिषद् को कमीशन दे और उसके लिये वह पड़ताल कराय और फिर पर्ची का इंतजार करे । जो किसान अपना नफा-नुकसान सोच कर जल्दी ही अपना खेत खाली कराने के लिये अपना गन्ना बेच देना चाहता है वह उतना ही ज्यादा लटकाया जायगा और इस तरह से उसका नुकसान होगा । इसके माने यह होंगे कि गन्ना पैदा करने वाला स्वतंत्र रूप से अपनी उपज का पैसा नहीं प्राप्त कर पायेगा और मजबर हो कर मिल मालिक को अपना गन्ना बेचेगा । यही इसका मतलब है । मैं चाहूंगा कि सदन इसका विरोध करे और इसको पास न होने दे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है । केवल माननीय मंत्री जी से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो यह नये टैक्स की बात तिवारी जी ने बतलाई उस के हिसाब से वह कितना इंपैक्ट रेवन्य एक्सपेक्ट करते हैं ? इसके फिगर्स अगर उन क पास हों तो दे दें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष महोदय, मैं ब्रजनारायण जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्रश्न को साफ कर दिया । इस के पहले बहस में कुछ गलतफहमी सी हो रही थी । इसके पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि यह जो कमीशन मिलने वाला है यह काउन्सिलों को मिलने वाला है। यह कमीशन गवर्नमेंट के लिये या गवर्नमेंट के एक्सचेकर के लिये नहीं लिया जा रहा है । अब जहां तक इस कमीशन का संबंध है, इसमें यह लिखा हुआ है कि अब फैक्टरी के साथ गुड़, राब और खंडसारी की भी वे इकाइयां आ रही हैं जो इस विधेयक की परिधि में आती हैं । इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी काश्तकार अपना गन्ना बेचे वहां सोसाइटी को कुछ कमीशन देने की बात आती है । मुझसे पूछा गया कि इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा । जो हिसाब मैंने लगाया है उसमें डेढ़ लाख से ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा । ऐसा मेरा भरोसा है । दोनों चीजें मिला कर मैंने कही थीं । सोसाइटीज को जो कमीशन देना है और जो केन सेस देना है वह सब मिलाकर मैंने बतलाया है । तो वह पैसा जो जायेगा वह डेवलपमेंट के काम में जायेगा, किसानों की सहायता में ही खर्च होगा और वह डेवलपमेंट काउन्सिल का ही फंड बनेगा । इसे और किसी काम में सरकार खर्च नहीं कर सकती है, जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा है, इस पैसे को न ही हम जनरल फंड के लिये लेने वाले हैं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है ।

दूसरी बात यह है, यदि मूल अधिनियम को देखा जाय तो मालूम होगा कि उसमें सेस लगाने की शक्ति हमको इस सदन से मिली थी । इस विधान मंडल से हमको वह शक्ति मिली थी । हम उस फैक्टरी के सेस की मात्रा को कम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

यह अधिकार हमको मिला है इस सदन से। सन् १९५६-५७ के अन्दर हमने करोड़ों रुपया सेस का फैक्टरियों से लिया है। हमने अर्ली स्टार्ट करने के संबंध में छूट दी थी ; ४ नवम्बर से १२ नवम्बर तक के लिये, केवल ८ दिन के लिये छूट दी गयी थी। इससे सिद्ध होता है कि सरकार को जो शस्त्र इस सदन ने दिया था उसका उचित रीति से उपयोग किया है और भविष्य में भी हम सही उपयोग ही करेंगे।

मेरठ के सम्बन्ध में एक लांछन लगाया गया। उसके सम्बन्ध में भी मैं जवाब दे दूं। मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा इस सूबे की गन्ने की किसी फैक्टरी अथवा किसी खंडसारी व्यवसाय को किसी भी प्रकार से कोई भी रियायत देने की नहीं है और न हम देंगे। हम सब से टैक्स लेंगे, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। यह बिलकुल स्पष्ट में बता देना चाहता हूं। जिस दिन से यह अध्यादेश जारी हुआ है उसी दिन से हम टैक्स लेंगे, इसमें कोई छूट नहीं दी जायेगी। अगर भूल से भी कोई आदमी यह समझता है कि हमको छूट मिल जायेगी, तो वह इस उम्मीद में न रहे और, मुझे क्षमा किया जाय कहने के लिये, वह आदमी अपनी भूल को जितनी जल्दी हो सके दूर कर दे। अगर किसी आदमी ने कोई लिया है या पैसा दिया है तो वह मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है, भले ही उधर के बैठने वाले सदस्यों की जानकारी में कुछ हो, मैं इस बात का बिलकुल खंडन करना चाहता हूं। यह बात बिलकुल निराधार है और जहां तक हम समझते हैं हमारी जानकारी में बिलकुल भी नहीं है। यह लेन-देन उधर के बैठने वालों के सामने ही हुआ होगा। वे ही इसको बेहतर जानते होंगे। मेरी जानकारी इस संबंध में नहीं है। इसमें कोई गुंजायश नहीं हो सकती है। यह गलत प्रचार है।

श्री राजनारायण--एक यह स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय और कर दें कि मेरठ की फैक्टरी से कब से और कितना टैक्स लिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जिस समय से सारे प्रदेश भर से लिया है, उसी दिन से मेरठ से भी लिया है। मेरठ अगर प्रदेश से बाहर है तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर प्रदेश में है तो उससे भी जरूर लिया है।

श्री राजनारायण--उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष---इस तरह से मैं बीच में आपको बहस की इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपया बैठ जायं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि २४ फरवरी, १९५९ तक जितने भी आदमी थे उनको तो हम लाइसेंस देंगे। इस तारीख तक जितनी भी यूनिट थी सब के लिये लाइसेंस देने की व्यवस्था है। उनको बिना किसी खयाल के लाइसेंस दिये जायेंगे चाहे वह हमारे दोस्त हों या न हों, हमारे भाई ही हों या न हों। इस तारीख के बाद से जिन लोगों को लाइसेंस चाहिये तो उसके लिये हम उस क्षेत्र वगैरह को पहले देखेंगे और उसी के बाद उसको लाइसेंस देने, न देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। उसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल की जायेगी।

इस तरह की हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि साहब अपना लाइसेंस बनवाने में उनको सालों लग जायेंगे, तब तक वह क्या करेंगे ? गन्ना सूख जायगा। इसलिये तो सारे सूबे में छूट दे दी गयी थी कि २४ फरवरी, १९५९ के पहले लगे हुए खांडसारी वाले अपना काम शुरू कर दें और लाइसेंस की दरख्वास्त दे दें। सबसे लाइसेंस की फीस ली जा रही है और ली जायगी किसी को छोड़ने का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा २१ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा २१ में जहां भी शब्द "फैक्ट्री" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं ।

श्री गेंदासिंह--मैं श्रीमन्, इस खंड का भी विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि मैं मजबूर किया जा रहा हूं विरोध करने के लिये। जो कारण हमने पहले सदन के सामने रखे हैं वही कारण इसके विरोध करने के भी हैं । मैं समझता हूं कि शायद हम अपने विरोध से इस वक्त भी सरकार को समझा सकें कि जो रुख सरकार का है वह यही है कि वह किसी भी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है । उन लोगों की बात भी वह सुनने के लिये तैयार नहीं है जो लोग सचमुच सहानुभूति के पात्र हैं । सहानुभूति ही नहीं, वह सहानुभूति के स्थान पर, उनके ऊपर जो कुछ भी जुल्म हो सकता है, करने के लिये तुली बैठी है। इस बिल का जो कुछ भी असर पड़ेगा वह किसानों के हितों के विरुद्ध पड़ेगा, खांडसारी बनाने वालों के हितों के विरुद्ध पड़ेगा और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे वाले लोगों के विरुद्ध भी पड़ेगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाबू गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस सदन से आग्रह करूंगा कि वह पूछे कि आखिर यह सरकार कुटीर उद्योगों को बड़े बड़े उद्योगों के साथ क्यों नत्थी कर रही है । यह सही है कि उत्तर प्रदेश के लिये गन्ने का व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और वह आज के समाज की आर्थिक रीढ़ है और फिर भी सरकार को उससे संतोष नहीं है । वह बड़े मिल मालिकों के चंगुल में फंसी हुई उनके दबाव के कारण इस तरह के विधेयक प्रस्तुत करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है । इस तरह के विधेयक बन जाने से वह किसान मर जायगा जो मिलों से बहुत दूर रहता है या जो अब तक स्वतंत्र रूप से अपने पेशे को करता चला आ रहा है। आज सरकार उसके ऊपर अंकुश लगा रही है । इसका प्रभाव यह होगा कि अभी हाल में जो निर्णय हुए चीनी के दामों के बारे में यानी पिछले साल जो एक रुपये ७ आने मन गन्ने का दाम रख गया तो चीनी ३६ रुपये मन बिकी और जो तेज दाम से चीनी बिकी उसका भी फायदा सरकार ने ले लिया और उसमें भी किसानों को हक नहीं मिला ।

अभी बहुगुणा जी ने कहा कि उन्होंने ८ दिन की छूट दे दी थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गन्ने के दाम की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में क्यों की । यह रिआयत मिल-मालिकों के साथ की । आप उनके साथ बराबर रिआयतें करते आ रहे हैं और इससे किसानों का ह्रास होता है । उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है । बजाय इसके कि किसानों को तरजीह दी जाय, पूंजीपतियों को प्रश्रय मिलता है ।

अगर विषयान्तर न समझा जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि जो छूट दी गयी है उसमें मिल-मालिकों का मुनाफा हुआ । मैं पूंछना चाहता हूं कि जब तक गन्ना एक्सेस नहीं होगा तब तक चीनी कैसे एक्सेस होगी ? लेकिन किसे समझाया जाय कि पारसाल और परियार साल उसमें ८ दिन की छूट दी गयी लेकिन यह नहीं देखा गया कि जब अधिक गन्ना नहीं होगा तो चीनी कैसे अधिक होगी । किसानों को अधिक गन्ना पैदा करने लिये क्या आपने प्रोत्साहन दिया । मैं कहता हूं कि यह बिलकुल अन्याय है और मिल-मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिये यह बिल लाया गया है । सरकार धीरे-धीरे कुटीर उद्योगों को समाप्त

[श्री व्रजनारायण तिवारी]

करना चाहती है। अगर आपका यह तक हो कि अगर १० मन गन्ने में एक मन खंडसारी बनती है उतने में ही एक मन चीनी भी मिल में बनती है तो मैं आपसे कहूंगा कि उतनी ही रूई में मिल में एक धोती जोड़ा भी बनता है, आप खादी को क्यों प्रोत्साहन देते हैं ? आज इस उद्योग से हजारों आदमी अपनी रोजी कमा रहे हैं और उनका खेत भी जल्दी खाली हो जाता है। इस बिल के अनुसार किसानों की पड़ताल कराना भी जरूरी हो जायगा। अबतक वे जिन झगड़ों में नहीं थे उनमें वे फंस जायंगे और उनका निकलना मुश्किल हो जायगा। फिर आप पर्ची भी इश्यू करेंगे यह देखने के लिये कि खंडसारी वालों को बराबर सप्लाई हो रही है और ताकि आपका कमीशन भी मिलता रहे। यह सब बातें अभी नहीं मालूम पड़ रही हैं लेकिन जब यह लागू होगा तब मालूम होगा। आज हमारे सामने चीन का मसला पेश है। जब अंग्रेज थे तो लड़ाई के दौरान में उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान हमारी मदद नहीं कर रहा है बल्कि उसकी गरीबी हमारी मदद कर रही है। उसी तरह से आज आप जनता की गरीबी से नाजायज फायदा उठा रहे हैं लेकिन इसका जवाब जब समय आयेगा तब आपको मिलेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह खंड पास न किया जाय।

श्री राजनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो टैक्स लगाया जाता है वह इसलिये कि कुछ सुधार करेंगे। आप तीन पैसा फी मन कमीशन सोसाइटियों को दिलवाते हैं उसमें से डेढ़ पैसा डेवलपमेंट में खर्च करने को और डेढ़ पैसा नौकरों के लिये लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे अपने जिले लखीमपुर के बारे में ही पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर कोई भी सोसाइटी की ओर से गलियारा या सड़क बनायी गयी है ? कोई नहीं। यह पैसा मिल वालों के पास जमा रहता है, उनके ही नुमाइन्दे रहते हैं और वह उससे फायदा उठाते हैं। अगर किसान चाहे कि अपने आप से वह गलियारा बनवा ले तो उनको पैसा दिया नहीं जायगा क्योंकि उन पर विश्वास नहीं है। ठेकेदार चाहे कि हम बनवायें तो फिर ओवरसियर होना चाहिये और फिर सोसाइटियों से कमीशन तय हो जाय तब वह काम मिले। इसलिये वह पैसा ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है। अगर किसी सोसाइटी शरीफ के पास गन्ने का बीज लेने जाइये तो वह कहेंगे कि ५० मन गन्ने के बीज के साथ ५ मन खाद लेनी जरूरी है। इसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज में भी अगर गेहूं का बीज लेने जाइये तो वहां भी कहेंगे कि इतने मन खाद लेनी पड़ेगी। कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लेने जाते हैं तो वह कहती है कि पहले खाद लो। अब बताइये कितनी-कितनी खाद लें और कहां डालें और अगर खाद की जरूरत हो तो मजबूरन तेज दामों पर खाद लेकर महंगे दामों पर बेचना पड़ती है और अगर खाद की जरूरत हो तो ? इसी बरसात में गन्ने के खेत में मैं खाद डालना चाहता था। तीन बार गाड़ी सोसाइटी आफिस में भेजी लेकिन कहा गया कि एक बोरी अगर एम्यूनियम सल्फेट लेंगे तो एक बोरी नीम की खाद लेनी पड़ेगी या सनई लीजिये। अब नीम की खाद कहां डालें ? और इसलिये वह खाद भी न ली जा सकी। इस तरह की नेकी और सुधार आज आपकी सोसाइटी शरीफ करती हैं। आज मैं फरदहन सोसाइटी में १५ साल से इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि गलियारा पटे, लेकिन नहीं पट पाया। तो आखिर यह क्या है? आपकी पार्टी तो मर गयी, आपको भी और सबको हमको भी इस दुनिया से जाना होगा इसलिये किसानों का कुछ भला कर जाइये जिससे हमारा आपका नाम रहे। लेकिन आप जो भी काम करते हैं वह गलत होता है। अब यह आप गन्ना टैक्स लगाने जा रहे हैं। होगा क्या ? थोड़े से आफीसर और आफिस किसानों के ऊपर बढ़ जायेंगे जो किसानों के लिये काल हो जायेंगे। इसक अलावा और क्या होगा ? कुछ नहीं। मैं इन टैक्सेज का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप टैक्स न लगाइये। अगर ऐसा नहीं

किया तो आपकी सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । उसका भी बुढ़ापा है । सन् १९६२ के बाद आपकी सरकार नहीं होगी, यह बंशीधर शुक्ल की भविष्यवाणी है । इस जगह कोई किसान बैठेगा आप बाहर रहेंगे ।

कोल्हू किसान तब लगाता है जब उसका गन्ना मिल में नहीं बिक पाता है । आप देश की रीढ़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं । एक काश्तकार है रघुवीर, उसके पास ४ एकड़ की ईख है । अब सोसाइटी शरीफ फरमाती ही नहीं, लिखती है कि २·३८ एकड़ है और उसकी ५०० मन अनुमानित दावार लगा कर सट्टा लिखती है ७४ मन का । अगर कोई काश्तकार गन्ना फी एकड़ में ५०० मन पैदा करता है, अगर इतना भी नहीं हो तो काश्तकार गन्ना बोकर क्या करेगा । उससे तो अच्छा चना बो देगा, तो ५० मन फी एकड़ होगा क्योंकि उतनी फसलों को नष्ट करके एक गन्ने की फसल होती है । आपकी सोसाइटी शरीफ का हाल यह है । इसी सट्टे पर मिल को गन्ना दिया जाना है ।

अब एक आनरेरी सेक्रेटरी होता है और दूसरा सोसाइटी का सेक्रेटरी होता हैं । मिल मालिक और सोसाइटी का आदमी घाट तौलते हैं, जो मुनाफा होता है दोनों बैठकर शाम को बांट लेते हैं । गन्ना पैदा करता है किसान और लेता है मिल और बीच में दूसरा फायदा उठाता है । आपने कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी और उसके अन्तर्गत गन्ना सोसाइटी बना दी । गन्ना विक्रय सोसाइटी क्यों नहीं बनायी जाती ? आपने आदर्श नियमावली जारी की, उस में केन कमिश्नर को सब अधिकार दे दिया । जो वह करे वह सब ठीक है । अभी तक रिकवरी बेसिस पर दाम दिये जाते थे इस वर्ष सुनते हैं नहीं रहे । पहले ३ साल की सप्लाई के अनुसार सट्टा करते थे उसे अब ५ वर्ष कर दिया है । यह क्या बात है ? इस पर कभी विचार किया गया ? अब कल्पना से काम नहीं चलेगा । श्रीमन्, को जमीन पर उतरना पड़ेगा और जमीन पर आकर किसान की जो दुर्दशा है उसको मिटाना होगा, जिसने आपको चुन कर यहां बैठाया है, उसकी बात आप को सुननी पड़ेगी । इसलिये आप उन पर टैक्स न लगायें, इस प्रकार के टैक्सों की कोई जरूरत नहीं है । इससे आप उनका कोई सुधार जो करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे । आप कोई डवलपमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप अपने नौकरों के भरोसे रहते हैं खुः कुछ नहीं कर पाते और नौकर सब के सब आपकी नहीं सुनते । अतः आप यह खुराफात बन्द करें इस प्रकार काम नहीं चल सकता ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष जी, जो विरोध का प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि धारा २१ में जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं वह कांसिक्वेंशल है । अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो विधेयक में एक अपवाद की स्थिति पैदा हो जायगी और अब तक जो काम इस सदन ने किया है वह खतम हो जायगा, अगर यह बात न की जाय । इसलिये मैं समझता हूं कि इसके विरोध करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है । दो-तीन बातें जो उठायी गयी हैं, सिर्फ उन्हीं का जवाब मैं दूंगा । एक बात तो यह कही गयी कि सेस में छूट दी तो कमीशन में रेमिशन क्यों नहीं करवाया । यह जो मूल अधिनियम की धारा १८ में बात हुई है उसी की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं कि उसमें यह शर्त है कि अगर सरकार मंजूर करे और समझे तो गजट नोटिफिकेशन करे तो उसके द्वारा कमीशन रेमिशन दिलाने की बात कर सकेंगे । गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सब को बतला दिया जायगा कि सरकार ने यह निश्चय लिया है ।

एक बात यह कही गयी कि सरकार ने क्या डवलपमेंट का काम किया है और आयन्दा क्या करेगी । इसका जवाब देना कठिन है । इसका जवाब मैं उन गन्ना काश्तकारों के

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

ऊपर ही देने के लिये छोड़ता हूं जिनके प्रतिनिधि होकर हम और आप यहां आते हैं और समय आने पर वे ही इसका सही जवाब देंगे । मैं इससे ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता । मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९५९ ई० का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४ ई०

१०—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश निरस्त किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियमित (enactment) हो और पुनः अधिनियमित किया गया हो ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा ३० नवम्बर, १९५९ को प्रख्यापित किया गया था,

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९५९ ई०

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १४७ (२) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है--"यदि विधेयक में कोई संशोधन किया जाय, तो कोई भी सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के उसी दिन किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा कि विधेयक को पारित किया जाय, और यदि अध्यक्ष उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।"

इस सिलसिले में मैं आपको बतला दूं कि जो यह विधेयक हमारे सामने है उसमें कुछ तो संशोधन ऐसे हैं जिनको सरकार ने स्वयं स्वीकार कर लिया है और वे पास हो गये, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे भी पास हुए हैं जो सरकार को हरा कर पास हुए हैं और बड़े मूल्यवान संशोधन पास हुए। उसके सम्बन्ध में आप दूसरी राय रखते हों और समझते हों कि दो दिन इस विधेयक पर बहस करके समय का दुरुपयोग हुआ लेकिन साथ ही उसके आपको यह भी सोचना चाहिये कि इतनी बहस के बाद जो संशोधन पास हुआ है उसके द्वारा एक बहुत बड़ी बला जो ७ कोल्हू की बैलों द्वारा चलाने वाली किसानों के ऊपर आने वाली थी उससे उनको छुटकारा मिल गया और अन्ततोगत्वा वह हिस्सा ही उसमें से निकाल दिया गया जिसका तरह-तरह से इन्टरप्रिटेशन निकाला जा सकता था और निकाला जाता था।

श्री अध्यक्ष--आपकी वैधानिक आपत्ति क्या है?

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक संशोधन पास हो चुका है और वह संशोधित रूप में विधेयक है इसलिये उसे आज पारित होने के लिये न रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं इजाजत दे दूं कि ऐसा मोशन आज ही आ सके। इसकी मैंने इजाजत दे दी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--मैंने कह दिया कि मैं आप के आक्षेप को स्वीकार नहीं करता।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बाद में विरोध करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं अब श्री गेंदासिंह को बुला रहा हूं।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां एक तरफ इस बात का बहुत दुख है कि इस तरह का बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक प्रस्तुत हुआ और वह अब पास होने जा रहा है वहां मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। इस सदन के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि इस सदन में एक संशोधन को जो सरकार चाहती थी उसको गिरा कर सरकार और विरोधी दल दोनों की भावनाओं की कद्र की है और मैं समझता हूं कि जिस संशोधन की अभी माननीय अवस्थी जो चर्चा कर रहे थे वह संशोधन ऐसा है कि उसके कुछ कान्सीक्वेन्शियल अफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिये आगे आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी उसके असर आगे की ओर धाराओं पर पड़ते हैं उसी प्रकार इसे संशोधित रूप में पास कराने की कृपा करायें। वह परिभाषा में संशोधन था, उसका प्रभाव हर जगह उसी प्रकार लिया जाना चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बिल को इतनी उग्रतापूर्वक सरकार ने पारित कराने की चेष्टा की। इससे देश का हित न होगा लेकिन जो एक संशोधन कबूल हुआ है उससे जरूर कुछ देश का हित होने वाला है। आशा है कि सदन उस संशोधन के साथ सद्भावना से विचार करेगा। सरकार उसको अपनी हार न माने, थोड़ी देर चलने के बाद सरकार को खुद ही यह अपनी हार न मालूम होगी, उसे यह जीत ही मालूम होगी ऐसा विधेयक यदि न आया होता, ऐसा विचार

[श्री गेंदासिंह]

ही न आया होता तो वह दल शायद अपने सिद्धांतों के प्रति अधिक सिन्सियर रहा होता। मैं पढ़ता तो जरूर हूं। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी मोटी-मोटी बातों को जरूर पढ़ता हूं। जहां तक मैं समझता हूं यह बिल उल्टा जाता है और इस से हानि ही पहुंचने की सम्भावना है। इतना मैं अब भी कहूंगा कि यह विधेयक आज पास न कराया जाय और यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस बिल में सरकार की जो कुछ भी मन्शा है उस को वह पहले पूरा कर सकते थे, इसकी कतई जरूरत नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि चीनी का प्रोडक्शन बढ़ जाय। मैं तो कहते-कहते थक गया कि चीनी का प्रोडक्शन कहां घटा है और क्यों घटा है इस पर विचार करना चाहिये। हम को सारे अधिकार पहले से थे, सरकार को अधिकार था वह सारी चीजों पर विचार कर सकती थी, सदन के समय को नष्ट न कर के भी, लेकिन ऐसा न किया। सरकार ने जिस तरह से जल्दबाजी में इसको पास कराने की चेष्टा की है उस से तो अहित ही होगा।

दक्षिण भारत में, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि गन्ने की उपज बढ़ी है और गन्ने में सुक्रोज कन्टेन्ट भी बढ़ा है। फैक्टरी भी मुनाफा ज्यादा कमा रही हैं और काश्तकार भी ज्यादा पा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सोई हुई है जब कि सारे भारत में आधी चीनी की पैदावार करने वाला प्रदेश है। इस प्रकार किसान का और उपभोक्ता का नुकसान होता है। अभी यहां जो खंडसारी और राब पैदा करते थे और दूसरी स्टेट्स को मदद करते थे उनको भी नुकसान हो जायगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह विधेयक पारित न किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह द्वारा जो विरोध किया गया है मैं उसका समर्थन करने क लिय खड़ा हुआ हूं। यह जो विधेयक हमारे सामने आया इसमें हमारी दृष्टि स दो तीख दांत थे जिनके द्वारा जनता को काटा जा रहा था। उसकी पीड़ा से चिल्लाने पर भी सरकार को जरा भी दर्द नहीं हुआ। वह दो दांत यह थे। एक तो फैक्टरी को इस रूप में दिखाया गया कि जो गुड़, खंडसारी और राब बनाने वाली इकाइयां होंगी। इस तरह से फैक्टरी की परिभाषा बढ़ायी गयी। दूसरा दांत यह था जो इसके खंड ३ में है कि "जो बैलों द्वारा चालित सात या अधिक कोल्हुओं की या यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू" यानी इन्हें भी फैक्टरी माना जायगा। यह बड़ा तीखा दांत था जो कि चुभ रहा था। इसके बारे में तो हमारे सदन ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है और यह दांत तो टूट गया। अब एक दांत और बचा है जो काटता है। इस दांत के रहते हुए हम इस विधेयक का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। हमें यह बड़ी शिकायत है कि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको अब हम फैक्टरी के नाम से पुकारें। यह एक बड़ी अजीब चीज है। यह हमारे निर्धन किसानों के लिये बड़ी आपत्तिजनक चीज होगी और उन पर मुसीबत लाएगी। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे पारित न किया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह चाहूंगा कि यह बिल इस सदन से पास न हो। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण क्या होगा कि १९३७ में जहां चीनी के उत्पादकों का मुनाफा १३७ था, वह सन् १९४७ में १७१ हुआ और सन् १९५६ में ४५४ हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, दूसरी ओर जो गन्ने की कीमत है उस कीमत के बारे में भी देखें। जब तक अंग्रेजी राज्य रहा तब तक हमको चीनी के दाम में से ६३ फीसदी से अधिक मिलता रहा। जिस कीमत पर चीनी बिकती थी उसमें गन्ने का दाम विदेशी शासन ने ६३ फीसदी से अधिक दिलवाया। जब कि हमारी सरकार, जो अपने को समाजवादी कहती है आज ४० फीसदी चीनी के दाम में हमको गन्ने का दाम दिला रही है और वह भी उस किसान को मिलता है जिसके पास गन्ना बेचने का अपना साधन है, जो अपनी ट्राली, बैलगाड़ी आदि से या अन्य किसी साधन से मिल गेट पर भेज सकता है। उस

किसान को आज भी ४० फी सदी दाम नहीं मिलता जिसके पास गन्ना बेचने का अपना कोई साधन नहीं है। उसको जो कीमत आज सरकार दिला रही है वह १/३ से भी कम है ।

अंग्रेजी राज्य में कभी भी गन्ने की दो कीमतें नहीं थीं। लेकिन पूंजीपतियों ने इस सरकार को मजबूर किया और १९५१-५२ के बाद गन्ने की दो कीमतें निर्धारित करनी पड़ीं। आज भी गन्ने का तीन प्रकार का दाम है। मिल गेट पर १ रु० १० आना, रेलवे पर्चेजिंग सेन्टर पर १ रु० ८ आना चाहे कितना ही दूर हो; लेकिन रोड सेन्टर पर सरकार ने ९ नये पैसे से लेकर ३७ नये पैसे तक की कटौती रखी है। इस प्रकार १ रु० ४ आना, १ रु० ८ आना और १ रु० १० आना दाम हुए। और अगर २ आना मामूली तरीके से किराया काट दें जिसके पास गन्ना बेचने का अपना कोई साधन नहीं है वह किराया देने के बाद अपना गन्ना बेचता है चाहे मिल गेट पर बेचे, चाहे जहां बेचे, तो क्रमशः १ रु० २ आना, १ रु० ६ आना और १ रु० ८ आना कीमत रह जाती है। यह सरकार न तो उनको कार्टेज दिला सकती है, न उनका गन्ना ढोने का इंतजाम कर सकती है, न उनके गन्ने को १२ घंटे के अन्दर मिल के अन्दर पेरने की व्यवस्था कर सकती है, न उनके बैलों के ठहरने की उचित व्यवस्था करा सकती है और न उन्हीं के लिये रात भर ठहरने का प्रबन्ध करा सकती है। आज चीनी की जो कीमत है वह शुगर कन्ट्रोल बोर्ड के मुताबिक ५·९६ नये पैसे में....

श्री अध्यक्ष—आप अपने को विधेयक तक सीमित रखें। और अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो मैं आपको बैठने के लिये कहूंगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं उसको छोड़े दे रहा हूं। अब सरकार फैक्टरियों के साथ गुड़ और राब, खंडसारी बनाने की इकाइयों को जोड़े दे रही है, जिसका मंशा है कि जो किसान अपने पैरों पर खड़े हैं वे धीरे-धीरे तबाह होते जायं, कोआपरेटिव सोसाइटीज के चक्कर में पड़ें, उनके मेम्बर बनें और उनकी पंचियों के चक्कर में पड़ें, अन्त तक अपने गन्ने को खेत में खड़ा रखें और फिर सरकार को कमीशन मिले। इसके कई उद्देश्य हैं। एक तो सरकार को पैसा मिले, दूसरे मिल मालिकों को मुनाफा हो और तीसरे गन्ने के व्यवसाय का ह्रास हो। जब सरकार किसानों को उचित मूल्य नहीं दिला सकती है, उनके गन्ने की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकती है, रिकवरी बेसिस पर निर्धारित मूल्य पर बोनस नहीं दिला सकती है तो सरकार को कोई हक नहीं है कि सदन में इस तरह का विधेयक पास करे जिससे गुड़, राब और खंडसारी बनाने वाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का ह्रास हो। यह सिद्ध हो चुका है कि इस सदन ने जो प्रस्ताव पास किया उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने १ रु० ७ आना की सिफारिश की। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पूंजीपतियों की बात को सरकार ज्यादा सुनती है, गरीबों की नहीं सुनती है और यही नतीजा है कि यह विधेयक सामने आया है। इसलिये मैं सदन से सिफारिश करूंगा कि वह इस विधेयक को पास न करे।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होता कि इस सरकार की ओर से इसको पारित करने का प्रस्ताव ही प्रस्तुत न किया गया होता क्योंकि सरकार की जो मंशा थी उसको इस सदन ने मान्यता प्रदान नहीं की। अगर खंड ३ को देखा जाय तो उसमें सरकार यह चाहती थी कि खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ञ-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो किसी सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो बैलों द्वारा चालित सात या अधिक कोल्हुओं की या यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हुओं की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो।"

सरकार जो विधेयक रख रही थी उसका यह मूल रूप है और सदन ने जो मान्यता प्रदान

[श्री राजनारायण]

की वह इसे न दे कर इस प्रकार दी:—"यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो।" सदन ने "जो बैलों द्वारा चालित ७ या अधिक कोल्हुओं की" इन शब्दों को निकाल दिया यानी जो संशोधन सदन ने रखा था उसे मान्यता प्रदान की गयी और सरकार की ओर से जो विधेयक प्रस्तुत था उसको सदन ने ठुकरा दिया।

सरकार यह चाहती थी कि गुड़, राब या खंडसारी बनाने में जो भी इकाइयां लगी हों वे सब इस टैक्स लगने की परिधि में आ जायं लेकिन सदन ने केवल यंत्र द्वारा या शक्ति द्वारा चालित इकाई को ही मान्यता प्रदान की है। बैलों द्वारा ७ कोल्हू चलें या १२ कोल्हू चलें, उन पर सरकार सेस नहीं लगा पायेगी,तो सरकार को यह साफ करना चाहिये था कि यंत्र द्वारा चालित ऐसी कितनी इकाइयां हैं जिन पर इस विधेयक का अब प्रभाव पड़ सकेगा और जिनके लिये इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता रह जाती है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अब सरकार इसको पारित करने का प्रस्ताव न उपस्थित करे, उसे वापस ले ले और सदन उसको वापस लेने का अधिकार प्रदान करे, इससे उसका ज्यादा भला होगा, क्योंकि अब यह विधेयक निरर्थक-सा रह गया है, जैसे कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।

श्री अध्यक्ष—आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये !

श्री राजनारायण—हम न्यायी और मर्यादित पुरुष हैं और किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। हम अपनी मर्यादा की सुरक्षा चाहते हैं और साथ ही साथ सरकार की मर्यादा की भी सुरक्षा चाहते हैं, यह आप हमको हमेशा पायेंगे। इसीलिये हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी पुरुष हो और किसी भी पद पर हो, अगर वह मर्यादित होना चाहेगा तो अपने लिये सीमा बांधेगा, रेखा खींचेगा और जो असीम हो जायगा, किसी रेखा में बंध ही नहीं पायेगा, ऐसा विधेयक रख देना कि जब चाहा छूट जब चाहा नहीं छूट, जितना चाहें लगाये, जितना चाहें न लगायें, तब तो वह सरकार अमर्यादित हो जायगी या कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकारी अमर्यादित हो जायेगा। आखिर जो विधेयक पास हो रहा है इसका प्रभाव क्या होगा और इसके लिये हम इतना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ? अगर सरकार वापस लेती है तो धन्यवाद की पात्र है और अगर नहीं वापस लेती है तो हमको जम कर विरोध करना है और हम अपने उस कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। आज के हमारे विरोध से अब भी सरकार में मर्यादा का भान हो और वह इसको वापस ले। किसी भी प्रकार से इस निकम्मे विधेयक को इस सदन को पास नहीं करना चाहिये। इसलिये मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के पास करने का तनिक भी मतलब नहीं और न ऐसा अनावश्यक काम समाजवादी युग में होना चाहिये। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने हमको पढ़ाया था सोशली नेसेसरी लेबर टाइम।

श्री अध्यक्ष—बहुत अच्छा पढ़ाया था (हंसी)।

श्री राजनारायण—अनावश्यक श्रम करके अगर समाज का अहित किया जाय तो वह समाजवादी व्यवस्था नहीं बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह निवेदन करूंगा कि राक्षसी व्यवस्था को बनाने के लिये ऐसे विधेयक को यह सदन पारित न करे, इसको ठुकराये और अगर सरकार इसे वापस लेना चाहे तो सदन को उदार होना चाहिये और उस उदारता का परिचय दे कर सदन इसको वापस लेने का अधिकार दे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष जी, जो भय इस सदन में बार-बार प्रस्तुत किया गया उसके संबंध में जो पिछले तीन दिन कहा गया उससे अधिक कहना सम्भव नहीं है। मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक साहब पूछ रहे थे कि अब किन क्रशर्स पर इस कानन का असर आता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाऊं कि ७ कोल्हू से ऊपर जो क्लस्टर्स हैं उनकी संख्या

बहुत कम है। जो पावर क्रशर्स हैं उनकी संख्या सूबे में १,८३९ है। जिनको विधेयक में आप बांधना चाहते हैं उनकी संख्या मैंने आप से कह दी। जो छूट गये, अच्छा है, अन्धेरे में बात हो गयी .....

श्री राजनारायण---इस पर वैधानिक आपत्ति है। मंत्रीजी का यह कहना कि अन्धेरे में बात हो गयी, यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष---कोई अपमान की बात नहीं है। आप कृपा कर बैठें। वह बहुत शाइस्ता शब्द है, शाइस्ता मजाक है उसमें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हम कोई ऐसी उक्ति ले रहे हैं कि जब चाहेंगे लगा देंगे और जब चाहेंगे छोड़ देंगे, हम जब भी उस कमीशन को छोड़ने की बात करेंगे, जो कि डेवलपमेंट कौंसिल का हक बनता है, तो उसमें कारण देंगे और नोटिफ़ाई करेंगे, कोई अपनी फाइल पर ही सिर्फ़ आदेश नहीं करेंगे। वह जनता की प्रापर्टी होगी और उसको अधिकार होगा कि वह उस पर चर्चा करे। हर चीज को एक ऐसी शक्ल दे देना कि हम किसी जगह ले जा कर गठरी बांधने की कोशिश करेंगे यह मेरे खयाल से बहुत उचित नहीं है।

अन्त में सिर्फ़ एक बात कह देना चाहता हूं कि किसान के नाम पर दुहाई दे कर यह बताना कि चीनी मिलों में जो अव्यवस्था है वह इस ऐक्ट की वजह से होगी, यह तथ्य के परे की बात है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज सदन में पौने तीन बजे के करीब माननीय बंशीधर जी कुछ कागज मेरे पास लाये। उनको पढ़ कर मुझे संतोष हुआ कि जो वह कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है। एक बीस मिनट में मैंने इस सदन में बैठकर ही कई सवाल विभाग से किये और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर जितनी कार्यवाही हो सकती है उतनी हम जरूर करते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि काश्तकार का गन्ना अंधेरे में न तौला जाय, आदि, नियम बने हुये हैं और यदि रूल्स के खिलाफ कोई मिल मालिक कुछ करता है तो हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे गन्ना आयुक्त ने अभी कई सरप्राइज विजिट भी किये हैं और कइयों को ससपेंड किया है क्योंकि वहां पर कुछ कोताही पाई गई। जहां तक इस विधेयक का संबंध है हम कोई ऐसी बात करने वाले नहीं हैं जिससे किसी का अहित हो। मुझे भरोसा है कि इन बातों को ध्यान में रखकर आदरणीय सदन इसको पारित करने की कृपा करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९, को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---७५,
विपक्ष में---३९।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक बिलकुल खानापूरी का ही है लेकिन बहुत आवश्यक बिल है क्योंकि हमारा जो ओरीजीनल बिल था उसमें दिसम्बर, १९५९ तक ही मियाद थी और जैसा कि सदन को

---

*२२ दसम्बर, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

मालूम है, जिला परिषद् बिल प्रवर समिति में गया हुआ है। उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है और अगर वह आ भी जाय तो दोनों सदनों में पास कराने में और इलेक्शन कराने में करीब-करीब एक साल या इससे कुछ कम लग जायगा। चूंकि यह अंतरिम जिला परिषद विधेयक भी समाप्त हो जाता है और यह कि एक वैकुअम क्रिएट न हो जाय इसलिये यह विधेयक लाया गया। मुझे आशा है कि इसको स्वीकार किया जायगा और जो इसमें प्रवर समिति के प्रस्ताव हैं इनको नहीं पेश किया जायगा क्योंकि प्रवर समिति आलरेडी बिल को देख रही है और स्थायी बिल कैसा होगा उसे शीघ्र से शीघ्र पास करके जो कयामी प्रबन्ध है वह करें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जायगा और संशोधन नहीं पेश किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--इसमें प्रवर समिति को भेजने के जो संशोधन हैं उनको मैं अवैधानिक समझता हूं क्योंकि प्रवर समिति के पास जिला परिषद् विधेयक मौजूद है। यह विधेयक उन्होंने इसलिये दिया है कि इस बीच में जिस बीच में नया विधेयक पारित नहीं हो जाता जिसको सदन ने प्रवर समिति के पास भेज दिया है, पुराना प्रबन्ध जारी रहे। इसलिये प्रवर समिति में भेजने के जितने प्रस्ताव हैं उनकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--जरा आप मेरे आर्गूमेंट्स सुन लें।

श्री अध्यक्ष--मैंने अपना फ़ैसला दे दिया। उसके खिलाफ़ मैं सुनना नहीं चाहता। मेरे फ़ैसले के ऊपर कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकती।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि आपका मत हो गया है कि संशोधन यह अवैधानिक है इसलिये इस संशोधन पर तो कुछ कहना है नहीं, यद्यपि मेरी नाचीज राय में दोनों बिल एक दूसरे को कवर नहीं करते। लेकिन मुझे तो आपकी आज्ञा माननी है।

इस विधेयक द्वारा जो अंतरिम जिला परिषदों की १९५९ तक मियाद है अब उसको बढ़ाना चाहते हैं १९६० तक। श्रीमन् को याद होगा कि पहले यह विधेयक इस सदन में आया था तो उस वक्त इस तरफ़ के बैठने वालों ने एक स्वर से यह बात कही थी कि यह पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जनता पर लादे जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १९४८ में बने थे। १९५२ में चुनाव ड्यू थे। लेकिन वे नहीं कराये गये। माननीय मंत्री जी ने उस वक्त यह कहा कि यह विरोधी लोग जो यह कहते हैं कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव से घबड़ाते थे वह गलत है क्योंकि उस वक्त हमारी थम्पिंग मैजारिटी थी, अगर हम चाहते तो उस समय चुनाव ला सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं चाहा। और हम एक कांप्रीहेंसिव बिल लाना चाहते थे लेकिन वह बिल १९५२ से १९५८ तक नहीं आया। १९५८ में उन्होंने कहा कि हम बिल ला रहे हैं, फ़रवरी में जब वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल लाये थे तो उसमें उन्होंने ७ या ६ फ़रवरी, १९५८ को फ़रमाया था कि अब वह बहुत जल्द चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन इसके बाद कुछ बातें हो गईं, वे चुनाव नहीं हुए। उन्होंने अब कहा कि हम शीघ्र आपको पूरा मुकम्मिल बिल दे रहे हैं। लेकिन सारे का सारा १९५८ भी बीत गया और अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो ५९ में उनका बिल आया। जबकि वह यह बात कह चुके थे पहले साल कि उनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो बिल है वह तकरीबन तैयार है, तब, श्रीमन्, कोई बात समझ में नहीं आती कि यह क्या है। बड़ा दुख होता है, श्रीमन्। इस अन्तरिम जिला परिषद् में क्या किया गया? पुराने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स थे उन्हीं में से कुछ लोग अगर मैं ठीक याद करता हूं तो ५ तो एक और दो, एक, सात और वाइस-प्रेसीडेंट आठवां हो जाता है, इस प्रकार से आठ मेम्बर इन जिला परिषदों में इन्होंने पुराने रखे हैं। श्रीमन्, पुरानी जो थम्पिंग मैजारिटी की बात थी, मैं माननीय मंत्री जी की उस दिन की बात का जवाब दे दूं, शायद आज वह फ़िर उसे कहना चाहें, कि उस वक्त सन् १९४७ में वे ज्यादा जो

आ पाये थे तो उस वक्त इधर के जो हम इतने बैठने वाले हैं इनमें से भी काफ़ी लोग कांग्रेस में थे। तो यह उनकी अकेली मेजारिटी नहीं थी बल्कि वह हमारी भी मेजारिटी थी। लेकिन जिन सिद्धातों पर हम कांग्रेस में थे उन सिद्धातों को जब कांग्रेस ने सिर्फ कागज पर रहने दिया और उनका पालन करना छोड़ दिया तो हम एक के बाद एक इधर आने लगे। इसलिये उस मेजारिटी के बल पर यह कहना कि फिर मैजारिटी में आते, वह बात गलत साबित होती है और इधर के चुनावों से वह और भी स्पष्ट हो गई है। तो अब, श्रीमन्, इस बिल को लाने का केवल एक मंशा है और वह मंशा यह है कि जो लोग वहां बने हैं वे बने रहें, आज तो आठ मेम्बर इनको इस तरीके से मिल गये और जो मेम्बर सरकार नामिनेट करती है, बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ कहना पड़ता है कि उसमें बिलकुल एक पार्टीजन ऐटीट्यूड से काम होता है, यानी जिला अन्तरिम परिषद् क्या हो गया कांग्रेस की कमेटी बना डाली है। सभी कांग्रेस के अपने आदमी छांट छांट कर ले लिये गये। वहां भी उनकी बूट मेजारिटी कर दी गई है। इसलिये सरकार नहीं चाहती है कि दुबारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हों और उनमें लोगों को फिर मौका मिले कि वह अपनी राय जाहिर कर सकें।

श्रीमन्, इस बिल में आप देखेंगे कि अब भी सरकार १९५९ की जगह ६० करने का एक बड़ा बहाना ले रही है। जिस समय १९५९ तक की तारीख मांगी थी उस समय हमने विरोध किया था कि दिसम्बर तक क्यों चाहते हैं, उस वक्त यह कहा गया था कि हम फौरन ही एलेक्शन करा देंगे, फौरन ही नया बिल पेश हो जायगा, फौरन ही सब कुछ हो जायगा, तो हमने कहा था कि मियाद को दिसम्बर, १९५९ के पहले क्यों नहीं रखते। उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह जो फर्जी डेट रखी गई है हम तो उससे पहले ही चुनाव करा देंगे। उस वक्त हमें यह आखिरी तारीख बताई गई थी दिसम्बर, १९५९। अब आखिरी तारीख १९६० बताई जा रही है। उसके बाद अभी माननीय मंत्री महोदय के मुखारविन्द से निकला कि एक साल तो बिल पास होने में लग जायगा। तो सरकार के ऊपर चार्ज है, श्रीमन् . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह जो सरकार के ऊपर चार्ज है यह प्रवर समिति के सुपुर्द बिल हुआ है उसमें देर हो रही है तो यह चार्ज प्रवर समिति पर और इस सदन पर अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, बहुमत वाली पार्टी जो है . . .

श्री अध्यक्ष--बहुमत वाली पार्टी क्या? बहुमत वाली पार्टी चाहती थी कि यह बिल आज पास हो जाय, तो क्या आपने पास हो जाने दिया? इसलिये बहुमत वाले कुछ नहीं कर सकते। प्रवर समिति जो है उसमें अगर बहस चल जाय तो विरोधी पार्टीवाले एक-एक महीने तक एक-एक प्रश्न को लेकर समय बढ़ा सकते हैं। और फिर आप सरकार के ऊपर चार्ज करें तो सरकार के ऊपर चार्ज करने का कोई प्रश्न नहीं आता जबकि प्रवर समिति में कोई चीज है और आप उसके ऊपर आक्षेप करेंगे तो सदन के ऊपर ही अपरोक्ष में आक्षेप होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, यह कतई मेरी मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके विरोध में दें, यह कहें कि समय कम कर दो या यह कर दो लेकिन प्रवर समिति के सामने से वहां प्रश्न यहाँ पर नहीं आया है तो उसके लिये जो प्रस्ताव हो रहा है, उसके ऊपर सदन का कर्तव्य हो जाता है, कि उसके लिये समय देना पड़े। सदन में सरकार के ऊपर और प्रवर समिति के ऊपर आक्षेप आप नहीं कर सकते। यह आप कर सकते हैं कि साल भर का समय ज्यादा है कम होना चाहिये यह चीजें तो बहस में आ सकती हैं लेकिन वह विधेयक जबकि प्रवर समिति से वापस नहीं आया तो उसके लिय सरकार के ऊपर चार्ज करेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रवर समिति ने जो देरी की है उसके ऊपर हमला होता है। यह आपको मैंने ध्यान दिला दिया कि इतना अन्तर रखियेगा अपनी बहस में।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यह तो मैं करूंगा लेकिन श्रीमन् से एक अर्ज करना चाहता हूं। जब हम यहां पर कोई बात कहते हैं और उसमें 'सरकार' शब्द कहा जाता है तो उससे हमारा मतलब बहुमत वाला दल है जिसकी बात यहां पर चलती है। मेरा मतलब यह है कि सरकार की राय ही उसमें चलती है।

श्री अध्यक्ष--किसी भी सदन की समिति पर कोई छींटा इस बहस में नहीं आना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--आप मुझे माफ फरमायेंगे कि 'सरकार' कहने से ही खींच-तानकर उसका संबंध सदन से हो जाता है। मैं यह समझता हूं कि सरकार जो चाहती है वह कराती है और इस सदन से कराती है।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई विधेयक समय के अन्दर विधान सभा के अन्दर आना चाहिये लेकिन अगर उसका समय टलता चला जाता है, बैठक नहीं चल रही है और विधेयक समय के अन्दर पास नहीं किया जाता है, टलते-टलते दो-दो साल खत्म हो जाते हैं और फिर भी मीटिंग उसकी नहीं होती है तो उसके लिये क्या जिक्र न किया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप इस तरह से बात का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरह से देर हो गई। आप तो यह मानकर चल रहे हैं कि देर हुई और फिर भी एक दम चुनाव के जिक्र पर आ गये। आप प्रवर समिति की रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं कि वह रिपोर्ट आनी चाहिये। यदि किसी तरह से सरकार ने कोई काम किया है तो उसकी चर्चा आप कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं बड़ी दूर से उस प्वाइंट को टच कर रहा था। मैं यह कह रहा था कि उन्होंने चुनाव न कराके प्रवर समिति में देर की। मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर है कि यदि मीटिंग नहीं बुलाई जाती है तो उसमें बहुमत दल का हाथ अधिक रहता है। चूंकि कांग्रेस वाले पार्टी के झंझटों में पड़े हुये हैं कि कौन गुट हावी हो दूसरे गुट पर, इस वजह से उनको यहां के कामों के लिये वक्त नहीं मिलता। मैं इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन आपने मुझे अवसर दिया इसलिये यह सब जिक्र करना चाहता हूं। अब आप देखें कि ७ तारीख तक यह सदन बैठने वाला था लेकिन अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन की बैठक नवम्बर के आखिरी सप्ताह में या दिसम्बर के पहले हफ्ते में बुलाने के लिये कहा था लेकिन वह तारीख टलकर दिसम्बर आखीर में आ गया और अब कहा जाता है कि सदन ही उठने वाला है.....

श्री अध्यक्ष--इस सदन में दो-तीन रोज पहले जब यह प्रस्ताव आया कि इन प्रवर समितियों का समय ३१ मार्च तक बढ़ा दिया जाय तो जहां तक मुझे ख्याल है आपने यह पास किया कि ३१ मार्च तक के लिये समय दिया जाय। उसके लिये मंत्री जी के ऊपर हमला नहीं हो सकता। प्रवर समिति की बैठक बुलाने का अधिकार डिप्टी स्पीकर को है। वह उनके अध्यक्ष हैं। यह खयाल भी आप अपने दिमाग में रखें जिस समय इस पर आलोचना करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--एकाध समितियों में मुझे रहने का मौका मिला है। वहां पर तो बहुमत वाले के दम पर लठ चलने से रह गये और सब कुछ हो गया। इसी वजह से हम उसको छोड़कर चले गये। वह कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक की सेलेक्ट कमेटी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे किसी तरीके से भी हो और कैसी भी परिस्थिति हो, यहां आज चुनाव टालने की बात है। उसके लिये हम एक तारीख क्यों न फिक्स

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दें ? उसी पर चुनाव हो जाय । मगर सरकार के लोग अपने घर में ही लड़ रहे हैं और इसी वजह से बाहर भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि स्वतंत्र कांग्रेस के आजकल कई किस्म के कैण्डीडेट होने लगे हैं। एक तो असली और एक नकली और एक फसली.....

अध्यक्ष—यह चीज इसमें नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी के उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है। मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूं। वह इस विधेयक की भावना के अनुकूल हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप किसी पार्टी के ऊपर टीका नहीं कर सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप विधेयक पर ही बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—तो सन् १९६० तक तो यह चलेंगी और फिर १९६१ में विधेयक पारित होगा और चुनाव होते-होते सन् १९६२ आ जायगा और फिर आप कहेंगे कि १९६२ में दूसरा चुनाव भी होने जा रहा है इसलिये क्यों इस पचड़े में पड़ा जाय और इनको इसी तरह से चल दिया जाय। तो यह लोग इसी तरह से लगातार बहुत समय तक बने रहेंगे। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। कुर्सी उनसे चिपकी हुई है या वे ही कुर्सी को चिपक गये हैं, समझ में नहीं आता। जो उनका यह खयाल है कि हम ही मेजारिटी में बने रहेंगे उसके लिये मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि राईटिंग आन दि वाल जो है उसको जरा आप पढ़ लें। जैसी हवा बह रही है उस हिसाब से कानपुर नगर महापालिका में जहां हमारा एक भी मेम्बर नहीं था वहां अब तीन आ गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप इसे आगे और न उठाइये।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता तो क्या अपनी तारीफ भी न करूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता। हमारा बहुमत हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—असंगत में नहीं होने दूंगा। आप कृपा कर इस बहस को छोड़ दें।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—आप के मुंह से, इस चेयर से ऐसी बात कहना क्या.....

श्री अध्यक्ष—यह असंगत है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—मैं किसी पार्टी का नाम न लेते हुए भी कहना चाहता हूं कि इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। जनमत जो पहले था वह अब रहा नहीं। जैसी हवा बह रही है, और जो आप कोआपरेटिव फार्मिंग आदि देहातों में शुरू करने जा रहे हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसके अतिरिक्त आपने इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८, को अधिनियमित करने के लिये विधान मंडल के समक्ष जो विधेयक लाया गया था उसमें कोई ऐसी अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी थी जिसके पश्चात् अधिनियम का प्रचलन समाप्त हो जाता। तो मैं उनसे पूछना हूं कि क्या वजह थी, क्या कारण था । इसके बाद क्यों क्लैरीफिकेशन कर रहे हैं ? होना यह चाहिये कि छोटी अवधि ली जाती ताकि जनता को जल्दी से जल्दी मतदान करने का मौका मिलता। लेकिन हमारी सरकार नाराज है। बहाना करने को कुछ और, कहने के लिये कुछ और। इसलिये इस आदरणीय सदन से मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें इतनी मियाद न ली जाय। कम से कम मंत्री जी इस विषय में अपने को ढीला न करें। अगर वह जल्दी पास कराने की बात सोचते हों तो सेशन जल्दी बुलाया जा सकता है और विधेयक जल्दी पास कराया जा सकता है। प्रवर समिति में भी मेहनत करने के लिये अगर उधर के सदस्य तैयार न हों तो इधर के बहुत से सदस्य बैठे हैं, वे मेहनत कर सकते हैं और इसे पास करा सकते हैं। अगर सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थक गये हैं तो उनको बदला जा सकता है, उनको अगर घरेलू काम हैं तो दूसरे नये लोग जाकर उसको देख-समझ सकते हैं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

आप दूसरों को मौका दें ताकि हम इस बिल को जल्दी से पास कर सकें। आपकी इस देरी को कब तक इस तरह से बरदाश्त किया जा सकता है ? एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी का नाम लेते नहीं थकते और दूसरी तरफ एक डिप्टी कमिश्नर हमारा हेड, एक्जीक्यूटिव हेड, बना बैठा है हमारे सिर पर ।

श्री अध्यक्ष—इस पर और लोगों को भी बोलना है, यह ध्यान में रखिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—और लोग बोलेंगे लेकिन मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा हूं। बिलकुल अपने प्वाइंट पर हूं और उससे बिलकुल नहीं घूमा।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप सारा दिन भर का गुस्सा मुझ पर ही क्यों उतारना चाहते हैं। अगर हम इस तरह से समय को बढ़ाते जायेंगे तो होगा क्या ? जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि एक दूसरे बिल में तीन सेलेक्ट कमेटियां बैठ गयीं और दो में कुछ काम नहीं हुआ सिवाय चाय पीने के.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप बार-बार असंगत हो रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री गौरीशंकर राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय क्योंकि ७ बजे तक तो यह बिल चलेगा, उसके बाद प्रस्ताव पर भी बहस आरम्भ कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—तो आप एक घंटे का समय बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—जी हां, लेकिन वह समय चीन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस के लिये ही।

श्री अध्यक्ष—तो अभी बिल पर ही बहस चल रही है, उस प्रस्ताव को कैसे लिया जायेगा ?

श्री गौरीशंकर राय—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक अंतरिम जिला परिषद् के सम्बन्ध में आया है, आपको भी तथा इस आदरणीय सदन को स्मरण होगा कि जब-जब भी यह विधेयक इस सदन में आया तब तब हम लोगों ने यही कहा कि यह सरकार इस अवधि के भीतर भी इस विधेयक को पास नहीं करा पायेगी और अब तक अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक प्रवर समिति में ही है, इस सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कुछ नहीं हो पाया है। हर बार समय बढ़ाने के लिये हमारे सामने प्रस्ताव रख दिया जाता है। टेक्नीकली आप यह कह सकते हैं कि इसमें सदन की जिम्मेदारी है, मगर वास्तव में यही सरकार उसके लिये जिम्मेदार है। इस सरकार की, इन्हीं लोगों की आपस की फूट के कारण, पार्टीबन्दी के कारण और अपना बहुमत बनाये रखने के कारण ही यह चुनाव को टालती आ रही है। मैं निहायत नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इसमें सदन की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिये तो यही लोग जिम्मेदार हैं। जब कभी भी यह सदन बैठा वह इतनी जल्दी में बैठा कि एक तरफ तो सदन बैठता है दूसरी तरफ उसको स्थगित करने की कोशिश होती है और कारण यह होता है उसके पीछे कि उनको अपनी पार्टी आदि के इलेक्शन करने होते हैं। तो यह वस्तुस्थिति है। इसको हमें ध्यान में रखना है। यह सरकार ही पूरी तरह से इसके लिये जिम्मेदार है। न मालूम कौन-सा ऐसा संकट इस सरकार के ऊपर आ जाता है जो न तो यह समय से सदन को बुला पाती है और न समय से सदन स्थगित ही होता है। यह सब उनकी पार्टी के कलह-क्लेश के ही कारण होता है। प्रजातंत्र

शासन की यह स्वशासन इकाइयां एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं सरकार का। अगर इनका चुनाव इस तरह से टाला जाता रहा तो मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रजातंत्र कैसे सुरक्षित रह सकेगा। आप देखें कि १९४८ से १९६० तक यह चुनाव नहीं करा पाये और किसी न किसी कारणवश अब तक उसको टालते रहे। मुझे सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं दिखाई देती है। पहले भी यह कहा जा चुका है कि सरकार की नीयत इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर यही धारणा रही इस सरकार की, तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह चुनाव सन् १९६२ तक भी होने वाले नहीं हैं। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो अब तक कभी का यह बिल पास हो गया होता और चुनाव भी हो गये होते।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इन जिला परिषदों के चुनाव को टाल कर कोई अच्छा काम नहीं किया है। यह प्रजातंत्र के विरुद्ध है। इससे प्रजातंत्र को बहुत धक्का पहुंचता है। अगर इस सरकार के हाथ में आज लोक सभा और इस विधान के सभा के भी चुनाव को टालने के अधिकार होते, तो वह कभी भी इनके चुनाव न कराती और इनको अनन्त-काल तक टालती रहती। अगर इस प्रकार का कोई संविधान होता तो वे कभी भी चुनाव कराने वाले नहीं थे। इनके हाथ में यही है कि एलेक्शन जिला परिषदों का ले सकते हैं या टाल सकते हैं, उतना ही बहुत है। बात प्रजातंत्र की करते हैं लेकिन हर जिले में जिलाधीश को बीच में रखकर अपनी पार्टी और अपने विशिष्ट लोगों का नामिनेशन मुदर्रिस से लेकर ऊपर तक सारी जगह पार्टीबाजी है। अध्यक्ष महोदय, यह आपको इर्रिलेवेंट लगता हो लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत रेलिवेंट बात है कि यह एलेक्शन टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—अब समय भी समाप्त हो गया है। हम अब उठते हैं और २८ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजे, सोमवार, दिनांक २८ दिसम्बर, १९५९, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ दिसम्बर, १९५९।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

क्रम-संख्या	ट्रेड का नाम	ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि	औसत नियत स्थानों की संख्या	भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की संख्या (१९५९ सेशन में)
	पोलीटेक्निक स्कीम			
१	मोटर मेकेनिक्स	२ वर्ष	१२	८
२	रेडियो मेकेनिक्स	,,	१२	१३*
३	इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स मेकेनिक्स	,,	१२	१४*
४	एलेक्ट्रोप्लेटिंग	,,	१२	४
५	रेफरीजरेशन	,, ..	१२	१६*
६	वेल्डिंग मेकेनिक्स	१ वर्ष	१२	१०
७	स्टीम इंजन ड्राइविंग ..	,,	१२	१३*
८	इन्टरनल कम्बस्शन इंजिन ड्राइविंग ..	,,	१२	११
९	प्लम्बिंग	,,	१२	९
१०	टिन एन्ड कापर स्मिथी ..	,,	१२	८
			१२०	१०६
	रिलीफ आफ अनइम्प्लायमेन्ट स्कीम			
१	जनरल मेकेनिक्स	१ वर्ष	२३	१५
२	आरमेचर वाइंडिंग	,,	२३	८
३	मोल्डिंग	,,	२३	७
४	टाइपराइटर मेकेनिक्स ..	,,	२३	८
५	वाच मेकेनिक्स	,,	२३	१
६	मेकेनिकल ड्राफ्ट्समैन ..	,,	२३	२९*
७	कार्पेन्ट्री	,,	२३	१
८	ब्लैकस्मिथी	,,	२३	१
९	टरनरी	,,	२३	१३
१०	लाइन मैन	,,	२३	७
११	ट्रैक्टर मेकेनिक्स	,,	२३	६
			२५३	९६

नोट—*चिन्ह पर वर्णित ट्रेडों की सर्वप्रियता के कारण भर्ती की संख्या इन ट्रेडों में अधिक है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

विभागीय विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जौनपुर जिलें में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक भिन्न-भिन्न उद्योगों को दी गई आर्थिक सहायता से सम्बन्धित सूची

क्रम-संख्या	उद्योग	ऋण	अनुदान	छूट (Rebate)
		रु०	रु०	रु०
१	चूना भट्ठा	३,०००	..	
२	होजरी ..	६,०००	..	..
३	लौहे उद्योग ..	१३,५००	१,१००	..
४	खंडसारी ..	३,०००	५,२३५	..
५	चर्म उद्योग ..	१०,२००	१६,०००	..
६	घड़ी के पुर्जे ..	१,५००	..	..
७	फिनाइल ..	४,०००	..	..
८	मानचित्र ..	५,०००	..	..
९	रिक्शा ..	४,०००	..	..
१०	हुक्के की तम्बाकू ..	३,०००	..	..
११	तेल उद्योग ..	३४,०९३.५०	६,५५५	..
१२	साबुन उद्योग ..	३२,६००	..	..
१३	ताड़ गुड़ ..	२००	..	..
१४	चांदी का वर्क ..	३,६००	..	..
१५	ऊनी कालीन ..	११,०००	..	..
१६	गोला पेचक ..	१,०००	..	..
१७	खादी उद्योग ..	..	९,२८०	..
१८	कांच का काम ..	३०,०००	..	..
१९	हड्डी की खाद ..	१५,०००	..	..
२०	बढ़ईगीरी ..	१४,३००	६५०	..
२१	बिजली के मोटर की मरम्मत ..	..	४५०	..
२२	हस्तकर्घा उद्योग ..	५,६००	४,४२८.८७	२१,९३५.४७
२३	अन्य छोटे-छोटे उद्योग	१,४००	..	..
	योग (रु० में) ..	२,०१,९९३.५०	४३,६९८.८७	२१,९३५.४७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

सूची

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम	औसत मुद्रण संख्या १९५८–५९	औसत बिक्री संख्या १९५८–५९	वार्षिक व्यय (रु०)	वार्षिक आय (रु०)	अधिक प्रसार करने की व्यवस्था	विशेष विवरण
१	सूचना विभाग ..	त्रिपथगा (मासिक)	२८०० प्रति अंक	२,०९२ प्रति अंक	५७,३००	१,९०६.०४	इन पत्रिकाओं के प्रसार के लिये विभाग द्वारा समय-समय पर विज्ञापन देकर विक्री बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तथा जिला सूचना अधिकारी भी इन्हें जनप्रिय बनाने के लिये प्रचार करके बिक्री बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं।	
२	सूचना विभाग ..	ग्राम्या (साप्ताहिक)	४,८४७ (१२ फरवरी से २६ जुलाई, १९५९)	१,५८४ (१२ फरवरी से २६ जुलाई, १९५९)	..	..	..	ग्राम्या साप्ताहिक का प्रकाशन गत वित्तीय वर्ष के अन्त में १२ फरवरी, ५९ से आरम्भ हुआ अतएव वार्षिक आय तथा व्यय के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३	नियोजन विभाग (विकास अन्वेषणालय) ..	नव युवक (मासिक)	६,३४३	५,४३१		७,६८०	इसका प्रसार नियोजन विभाग के अन्तर्गत जिला खंड तथा ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। युवक मंडल दल के सदस्यों द्वारा भी इसके प्रसार में सहयोग प्राप्त होता है। अन्य विभागीय अध्यक्षों तथा अन्य प्रदेशों के विकास विभागाध्यक्षों से भी इसे व्यापक बनाने का अनुरोध किया गया है।	
४	शिक्षा विभाग ..	नवज्योति (मासिक)	१,५०० प्रतिमास	..	५,०००	..	नव साक्षरोपयोगी होने के कारण यह बेची नहीं जाती अतः इसके प्रसार का प्रश्न नहीं उठता।	यह निःशुल्क पत्रिका है।
५	शिक्षा विभाग ..	शिक्षा (त्रैमासिक)	२,३००	१,११३	३०,०००	१३,९५१	इसके प्रसार के लिये संस्थाओं के पास पत्र भेजे जाते हैं तथा एक-एक प्रति सूचना केन्द्रों के वाचनालयों में प्रचार के लिये भेजी जाती है और बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियों में भेजी जाती है।	

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम	औसत मुद्रण संख्या १९५८-५९	औसत बिक्री संख्या १९५८-५९	वार्षिक व्यय (रु०)	वार्षिक आय (रु०)	अधिक प्रसार करने की व्यवस्था	विशेष विवरण
६	गृह विभाग (पुलिस)।	जनसेवक (त्रैमासिक)	११,५००	७,७१४	१५,०००	१४,०००	समय-समय पर इसके प्रसार के लिये ग्राहकों को पत्रादि भेजे जाते हैं।	इसकी प्रतियां एक बड़ी संस्था में थानों, चौकियों व बटालिनों में मुफ्त वितरित होती हैं अतः विक्रय संख्या प्रकाशन संख्या की अपेक्षा कम है।
७	अर्थ एवं संख्या विभाग।	मासिक सांख्यकी पत्रिका	७,११९	..	२६,८९३.४३	३९२.७४	इसके प्रसार के लिये इसका विज्ञापन श्रम-जीवी लेबर बुलेटिन नामक प्रकाशनों में दिया जाता है।	पत्रिका का निःशुल्क वितरण प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों, विभिन्न राज्यों के सांख्यकीय विभागों, विश्वविद्यालयों व अन्य प्रमुख पुस्तकालयों को दिया जाता है इसके अतिरिक्त ६५ देशीय एवं विदेशीय संस्थाओं को आदान-प्रदान के आधार पर दी जाती है।
८	उद्योग विभाग कानपुर (व्यवसायिक ज्ञान विभाग)	साप्ताहिक समाचार पत्र	६५० प्रतियां प्रति सप्ताह	..	१,९८२	..	इसकी प्रतियां साइक्लो स्टाइल करके उद्योग पतियों, पत्रकारों, अधिकारियों तथा	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	श्रम विभाग		श्रम जीवी (मासिक)	१००० प्रति मास	२५० प्र० मा०	४,६५५	६००	विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क वितरित की जाती हैं इसलिये प्रसार का प्रश्न नहीं उठता। इसके विक्रय व अधिक प्रसार के लिये मिल मालिकों, व्यवसायिक संघों और विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजकर उनसे ग्राहक बनने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त कानपुर में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके इसकी बिक्री बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।
१०	कृषि विभाग	..	कृषि समाचार	७९,१९६	६५,७७१	१५,०००	८,२००	कृषि विभाग के जिला स्तर के कर्मचारियों द्वारा किसानों में इन पत्रिकाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। कृषि समाचार की २२३८० प्रतियां निःशुल्क वितरित की गयीं।
११	कृषि विभाग	..	कृषि और पशुपालन।	८१,३६९	४८,९४२	४५,०००	३०,६००	इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी, किसान मेलों आदि में इनका अधिकाधिक प्रसार किया जाता है। कृषि और पशुपालन की ३१८५८ प्रतियां निःशुल्क वितरित की गयीं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'घ'

(देखिये नत्थी पीछे पृष्ठ २७१ पर।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३, १९५७ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६ की धारा २ का खंड (ख) निकाल दिया जाय तथा खंड (ग) और (घ) की संख्या बदल कर उन्हें क्रमशः खंड (ख) और (ग) कर दिया जाय।

उद्देश्य तथा कारण

प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन (पार्लियामेंट ऐंड पार्ट "सी" स्टेट्स लेजिस्लेचर्स) ऐक्ट, १९५३ (ऐक्ट संख्या १,१९५४) की धारा ३ (बी) के उपबन्धों का अनुसरण करके उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६ (उ०प्र० अधिनियम संख्या ३,१९५७) अधिनियमित किया था और इस प्रकार यह व्यवस्था की गयी थी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति के आसीन होने से वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होगा। तब से संसद ने इस विषय पर एक व्यापक विधि अधिनियमित की है जिसका नाम पार्लियामेंट (प्रिवेंशन आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, १९५९ (ऐक्ट संख्या १०,१९५९) है। इसके द्वारा उसने किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पद पर आसीन व्यक्ति की संसद का सदस्य होने के लिये अनर्हता के निवारण की कोई व्यवस्था किये बिना उक्त विषय पर पूर्ववर्ती अधिनियमों को, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त केन्द्रीय ऐक्ट संख्या १,१९५४ भी है, निरस्त कर दिया है। तदनुसार इस सम्बन्ध में भारत सरकार का अनुसरण करने का निश्चय किया गया है और यह विधेयक इसी उद्देश्य से पुरः स्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

पी० एस० पू० पी०—ए० पी० २५१ एल० ए०—१९६०—८४५।